SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का स्थानीय निकायों पर प्रतिवेदन मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए

हरियाणा सरकार

2026 की प्रतिवेदन संख्या 6

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का
स्थानीय निकायों पर प्रतिवेदन
मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए

हरियाणा सरकार

2026 की प्रतिवेदन संख्या 6

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन	v	
कार्यकारी सार	vii-xiii	
अध्याय I **राज्य के स्थानीय निकायों का विहंगावलोकन**		
प्रस्तावना	1	1
पंचायती राज संस्थाएं	1.1	2
पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली और संगठनात्मक संरचना	1.1.1	2
हस्तांतरण का संक्षिप्त विवरण	1.1.2	3
कार्यबल की स्थिति	1.1.3	3
निधियों के स्रोत	1.1.4	3
राज्य वित्त आयोग का गठन और अनुदान	1.1.5	4
पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लेखों का रखरखाव और उनकी लेखापरीक्षा	1.1.6	5
शहरी स्थानीय निकाय	1.2	6
शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली और संगठनात्मक संरचना	1.2.1	6
शहरी स्थानीय निकायों को कार्यों का हस्तांतरण	1.2.2	7
शहरी स्थानीय निकायों में कार्यबल की स्थिति	1.2.3	7
निधियों के स्रोत	1.2.4	7
राज्य वित्त आयोग का गठन और अनुदान	1.2.5	8
शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लेखों का रखरखाव और उनकी लेखापरीक्षा	1.2.6	9
लेखापरीक्षा अधिदेश	2	10
लेखापरीक्षा का क्षेत्र	3	10
लेखापरीक्षा मानदंड	4	10
प्रतिवेदन का विहंगावलोकन	5	11
आभार	6	11
अध्याय II **पंचायती राज संस्थाओं द्वारा पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदानों के उपयोग पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा**		
प्रस्तावना	2.1	13
लेखापरीक्षा के उद्देश्य	2.2	13
लेखापरीक्षा के मानदंड	2.3	13
लेखापरीक्षा का क्षेत्र और कार्यप्रणाली	2.4	13
वित्तीय प्रबंधन	2.5	14
लेखापरीक्षा निष्कर्ष	2.6	15
अंतिम शेष में विसंगतियां	2.6.1	15
लक्षित सेवाओं के लिए गतिविधियों का गैर-निष्पादन	2.6.2	16

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
निर्धारित विकास योजनाएं तैयार न होने के बावजूद पंचायती राज संस्थाओं को ₹ 5.27 करोड़ के टाइड अनुदान जारी करना	2.6.3	17
ई-ग्रामस्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस दिशानिर्देशों का गैर-अनुपालन	2.6.4	18
जारी करने की स्वीकृति के बावजूद पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ₹ 1.48 करोड़ के पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदानों की गैर-प्राप्ति	2.6.5	19
गैर-विकासात्मक गतिविधियों के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान से ₹ 1.91 करोड़ की कटौती	2.6.6	19
पब्लिक डोमेन पर अनंतिम और लेखापरीक्षित खातों की अनुपलब्धता	2.6.7	20
परिसंपत्ति एवं कार्य रजिस्टरों और परियोजना डिस्प्ले बोर्ड का गैर-रखरखाव	2.6.8	20
पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदानों में से ₹ 1.73 करोड़ का अस्वीकार्य व्यय	2.6.9	21
बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	2.6.10	21
निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन किए बिना खरीद - ₹ 6.90 करोड़	2.6.11	22
पंचायतों के भंग होने के बावजूद पूर्व सरपंचों द्वारा पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान से ₹ 23.77 लाख का आहरण	2.6.12	22
स्वीकृति प्राप्त किए बिना किए गए भुगतान	2.6.13	23
समर्थित बिलों के बिना किए गए भुगतान	2.6.14	24
विभिन्न कार्यों पर समान व्यक्तियों का एक साथ नियोजन तथा मस्टर रोल के माध्यम से अनियमित भुगतान	2.6.15	24
सेवाओं की प्रदानगी	2.7	25
वर्षा जल संचयन और सोख्ता गड्ढे के लिए अकार्यशील प्रणालियां	2.7.1	25
ग्रे-वाटर का अनुचित निपटान और अकार्यशील ग्रे-वाटर प्रबंधन परियोजना	2.7.2	25
सार्वजनिक शौचालयों का गैर-रखरखाव	2.7.3	26
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में कमियां	2.7.4	27
प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का अभाव	2.7.5	27
निष्कर्ष	2.8	28
सिफारिशें	2.9	28
अध्याय III शहरी स्थानीय निकायों की कार्य आधारित लेखापरीक्षा		
प्रस्तावना	3.1	29
लेखापरीक्षा का क्षेत्र और कार्यप्रणाली	3.2	29
लेखापरीक्षा के मानदंड	3.3	29
चयनित कार्यों का अवलोकन	3.4	30
लेखापरीक्षा निष्कर्ष	3.5	30
स्ट्रीटलाइटिंग संबंधी लेखापरीक्षा निष्कर्ष	3.5.1	30
केंद्रीकृत नियंत्रण और निगरानी प्रणाली के गैर-कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप स्ट्रीटलाइटिंग सेवाओं की बहाली में विलंब	3.5.1.1	31

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
स्ट्रीटलाइटिंग सेवाओं के लिए नागरिक फीडबैक तंत्र का अभाव	3.5.1.2	31
संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई कमियां	3.5.1.3	32
मवेशी बाड़ों और मवेशी क्रूरता निवारण से संबंधित निष्कर्ष	3.5.2	33
आवारा मवेशियों के शेल्टर और उनकी सुरक्षा के लिए बाड़ों की स्थापना न किया जाना	3.5.2.1	33
कुत्तों की स्टरलाइजेशन में कमियां, जिसके परिणामस्वरूप कुत्तों की संख्या और बाइट की घटनाओं में वृद्धि हुई	3.5.2.2	34
बूचड़खानों और चर्मशोधन कारखानों का विनियमन	3.5.3	35
बूचड़खानों के अकार्यशील होने के परिणामस्वरूप अस्वच्छ परिस्थितियों का उत्पन्न होना	3.5.3.1	35
निष्कर्ष	3.6	37
सिफारिशें	3.7	37
अध्याय IV नगरपालिकाओं की अनुपालन लेखापरीक्षा		
मनोरंजक उद्देश्यों के स्थान पर बैंक्वेट हॉल के संचालन के लिए स्थल का उपयोग किए जाने के कारण ₹ 3.44 करोड़ के कन्वर्शन चार्ज की कम वसूली	4.1	39
नगर निगम, पानीपत द्वारा समय पर कार्रवाई न करने के कारण झील के विकास के इच्छित उद्देश्य की प्राप्ति न होना	4.2	41
परिशिष्ट		45

प्राक्कथन

मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए यह प्रतिवेदन, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत हरियाणा राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में राज्य में पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण, जो वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान नमूना-लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए थे तथा वे, जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में तो आए थे परन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किए जा सके थे, उल्लिखित हैं; 2022-23 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी, जहां आवश्यक समझे गए, शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सार

कार्यकारी सार

इस प्रतिवेदन में चार अध्याय शामिल हैं जिनमें राज्य के स्थानीय निकायों का विहंगावलोकन, पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) द्वारा पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की कार्य आधारित लेखापरीक्षा और नगरपालिकाओं की अनुपालन लेखापरीक्षा शामिल है।

अध्याय I: राज्य के स्थानीय निकायों का विहंगावलोकन

यह अध्याय स्थानीय निकायों का विहंगावलोकन प्रदान करता है, जिसमें निधियों के स्रोत, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को कार्यों का हस्तांतरण, लेखापरीक्षा अधिदेश आदि शामिल हैं। इस अध्याय में मुख्य रूप से निम्नलिखित मामलों पर प्रकाश डाला गया है:

- हरियाणा में 6,390 पंचायती राज संस्थाएं (22 जिला परिषदें, 143 पंचायत समितियां तथा 6,225 ग्राम पंचायतें) और 88 शहरी स्थानीय निकाय (11 नगर निगम, 23 नगर परिषदें तथा 54 नगरपालिकाएं) हैं, जो क्रमशः 165.09 लाख ग्रामीण और 88.42 लाख शहरी जनसंख्या को सेवाएं प्रदान करते हैं।

  (अनुच्छेद 1)

- संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 कार्यों में से पंचायती राज संस्थाओं को केवल पांच कार्य ही पूरी तरह से हस्तांतरित किए गए हैं; पांच अन्य कार्यों में उनकी भूमिका सीमित है और छः कार्यों में वे केवल एक कार्यान्वयन एजेंसी मात्र हैं। शेष तेरह कार्यों में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका नगण्य है।

  (अनुच्छेद 1.1.2)

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2024 तक पंचायती राज संस्थाओं में कार्यबल की भारी कमी थी, जैसे कि जिला परिषदों में 41 प्रतिशत और पंचायत समितियों में 20 प्रतिशत रिक्तियां थी। ग्राम पंचायतों में कार्यबल की स्थिति संतोषजनक थी, वहां कोई महत्वपूर्ण रिक्ति नहीं थी।

  (अनुच्छेद 1.1.3)

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान विभिन्न स्रोतों से पंचायती राज संस्थाओं की प्राप्तियां ₹ 3,687.12 करोड़ से ₹ 5,528.40 करोड़ के मध्य रही, जबकि इसी अवधि के दौरान कुल व्यय ₹ 2,024.86 करोड़ से ₹ 4,532.82 करोड़ के मध्य रहा। यह रेखांकित करता है कि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया गया व्यय उनकी प्राप्तियों से कम था।

  (अनुच्छेद 1.1.4)

- पंचायती राज संस्थाओं के लेखों का रखरखाव मुख्य रूप से एकल-प्रविष्टि प्रणाली के तहत मैनुअल रूप से किया जाता है, जिसमें जिला परिषदों ने तो लेखे पूर्ण कर लिए हैं लेकिन ग्राम पंचायतों में बड़ी कमियां दिखाई दी। निदेशक, स्थानीय लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा का क्षेत्र नगण्य बना हुआ है, जिसमें जिला परिषदों और पंचायत

समितियों की कोई लेखापरीक्षा नहीं हुई है, और केवल 22 से 30 प्रतिशत ग्राम पंचायतों की लेखापरीक्षा की गई है, जो पारदर्शिता और शासन को कमजोर करता है।

(अनुच्छेद 1.1.6)

- बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यों में से, शहरी स्थानीय निकायों का केवल चार कार्यों पर पूर्ण क्षेत्राधिकार है। तीन कार्यों में अन्य विभागों/प्राधिकरणों के साथ उनकी भूमिका अतिव्यापी है, चार कार्यों में वे कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं, पांच कार्यों में सीमित भूमिका निभाते हैं और दो कार्यों में उनकी वास्तव में कोई भूमिका नहीं है।

(अनुच्छेद 1.2.2)

- शहरी स्थानीय निकायों में कार्यबल की भारी कमी है, जहां मार्च 2024 तक स्वीकृत 30,991 पदों की तुलना में केवल 7,398 (23.87 प्रतिशत) नियमित पद ही भरे गए थे। इसके अलावा, कार्यबल की आवश्यकता में इस कमी को पूरा करने के लिए, शहरी स्थानीय निकाय काफी हद तक संविदात्मक और आउटसोर्स किए गए कार्मिकों पर निर्भर थे।

(अनुच्छेद 1.2.3)

- वर्ष 2019-24 के दौरान, शहरी स्थानीय निकायों को कुल ₹ 5,576.26 करोड़ से ₹ 8,286.92 करोड़ तक की निधियां प्राप्त हुई, जबकि उनका व्यय ₹ 5,597.56 करोड़ से ₹ 7,856.51 करोड़ के मध्य रहा। शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों से प्राप्त हुआ था।

(अनुच्छेद 1.2.4)

अध्याय II: पंचायती राज संस्थाओं द्वारा पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदानों के उपयोग पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

यह अध्याय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV) के अनुदानों के उपयोग का विवरण प्रदान करता है।

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा सेवाओं की प्रदानगी के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग में निर्धारित संहिता प्रावधानों का अनुपालन किया गया है या नहीं। इस लेखापरीक्षा के अंतर्गत 77 पंचायती राज संस्थाओं के एक नमूने को शामिल किया गया था, जिसमें पांच जिला परिषदें, 12 पंचायत समितियां और 60 ग्राम पंचायतें शामिल थी। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

- 2021-24 के दौरान, हरियाणा सरकार को भारत सरकार से पंचायती राज संस्थाओं के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान के रूप में ₹ 2,468.71 करोड़ प्राप्त हुए, जिसमें से ₹ 2,278.95 करोड़ पंचायती राज संस्थाओं को अंतरित किए गए थे। हालांकि, इस अवधि के दौरान पंचायती राज संस्थाओं ने ₹ 2,278.95 करोड़ में से केवल ₹ 1,338.07 करोड़ (58.71 प्रतिशत) का ही उपयोग किया, जो निधियों के कम उपयोग को रेखांकित करता है।

(अनुच्छेद 2.5)

- 59 पंचायती राज संस्थाओं में बैंक शेष और रोकड़ बही शेष के मध्य का अंतर ₹ 13 से ₹ 2.49 करोड़ तक पाया गया, जबकि 75 पंचायती राज संस्थाओं में बैंक शेष और ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित शेष राशि के मध्य का अंतर ₹ 15,729 से ₹ 8.55 करोड़ तक रहा।

(*अनुच्छेद 2.6.1*)

- पंचायती राज संस्थाओं ने पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान के तहत 4,260 गतिविधियों की योजना बनाई थी, जिनमें से केवल 1,215 (28.52 प्रतिशत) पूर्ण हुई या चालू थी, 680 (15.96 प्रतिशत) को छोड़ दिया गया और 2,365 (55.52 प्रतिशत) गतिविधियां शुरू ही नहीं की गई।

(*अनुच्छेद 2.6.2*)

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारित विकास योजनाएं तैयार न किए जाने के बावजूद, चयनित छः पंचायती राज संस्थाओं को ₹ 5.27 करोड़ के टाइड अनुदान जारी किए गए थे।

(*अनुच्छेद 2.6.3*)

- चयनित 17 पंचायती राज संस्थाओं ने अनिवार्य ई-ग्रामस्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस के बिना विभिन्न विक्रेताओं को चेक या नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) के माध्यम से ₹ 7.76 करोड़ का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त, विक्रेताओं को मध्यवर्ती बैंक खातों के माध्यम से ₹ 3.95 करोड़ का भुगतान किया गया, जिससे पारदर्शिता कम हुई और वित्तीय अनियमितताओं का जोखिम बढ़ गया।

(*अनुच्छेद 2.6.4*)

- चयनित 10 पंचायत समितियों के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों (बीडीपीओ) ने निर्धारित दिशानिर्देशों के उल्लंघन में अप्रैल 2021 से मार्च 2024 के दौरान आकस्मिक प्रभारों के मद में पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान से ₹ 1.91 करोड़ की कटौती की।

(*अनुच्छेद 2.6.6*)

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि 29 पंचायती राज संस्थाओं द्वारा पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान में से ₹ 1.73 करोड़ का अस्वीकार्य व्यय किया गया था।

(*अनुच्छेद 2.6.9*)

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित पंचायती राज संस्थाओं द्वारा पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान के ₹ 144.66 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र मार्च 2024 तक प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

(*अनुच्छेद 2.6.10*)

- ₹ 6.90 करोड़ की अनियमित खरीद में अनिवार्य ई-निविदा और निर्धारित प्रक्रियाओं की अनदेखी की गई।

(*अनुच्छेद 2.6.11*)

- चयनित दो ग्राम पंचायतों में, पंचायतों के भंग होने के बावजूद पूर्व सरपंचों द्वारा पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान से ₹ 23.77 लाख आहरित किए गए थे।

(अनुच्छेद 2.6.12)

- लेखापरीक्षा में सरस्वती नगर (जिला परिषद, यमुनानगर) और जिला परिषद, पलवल में सार्वजनिक शौचालयों का रखरखाव न किए जाने पता चला। इसके अलावा, ठोस अपशिष्ट का संग्रह न करने और उसके अनुचित निपटान के मामले भी पाए गए थे, जिसके कारण सार्वजनिक स्थानों पर कचरा जमा हो गया, जिससे अस्वच्छ स्थितियां पैदा हुई और निवासियों के लिए संभावित स्वास्थ्य संबंधी खतरे उत्पन्न हुए, जिससे स्वच्छता सेवाओं की आपूर्ति प्रभावित हुई।

(अनुच्छेद 2.7.3 एवं 2.7.4)

सिफारिशें

राज्य सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:

- *संहिता प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और अनियमितताओं को रोकने के लिए वित्तीय नियंत्रण को सुदृढ़ करना चाहिए।*
- *जिला और ग्राम कार्य योजनाएं समयबद्ध तरीके से तैयार और कार्यान्वित की जानी चाहिए।*
- *पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए ई-ग्रामस्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस का पूर्ण रूप से उपयोग किया जाना चाहिए।*
- *सभी खरीद गतिविधियां निर्धारित खरीद प्रक्रियाओं के अनुसार ही संचालित की जानी चाहिए।*

अध्याय III: शहरी स्थानीय निकायों की कार्य आधारित लेखापरीक्षा

चयनित शहरी स्थानीय निकायों की कार्य आधारित लेखापरीक्षा तीन हस्तांतरित कार्यों पर केंद्रित थी, जो कि स्ट्रीट लाइटिंग, आवारा मवेशी गृह एवं पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण और बूचड़खानों तथा चर्मशोधन कारखानों का विनियमन हैं। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियां पाई गई:

स्ट्रीटलाइटिंग - पानीपत और फतेहाबाद जिले

- केंद्रीकृत नियंत्रण और निगरानी प्रणाली (सीसीएमएस) पैनल, लाइटिंग संचालन की रिमोट निगरानी की सुविधा प्रदान करती है जैसे कि लाइटों को चालू या बंद करना उनकी रोशनी को धीमा करना और ऊर्जा की खपत को ट्रैक करना। यह पैनल वास्तविक समय का डेटा भी प्रदान करते हैं और ओवर/अंडर वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट या अन्य गड़बड़ियों जैसी समस्याओं के लिए स्वचालित रूप से खराबी की रिपोर्ट कर सकते हैं या अलर्ट भेज सकते हैं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्देशों के बावजूद पांच शहरी स्थानीय निकायों में केंद्रीकृत नियंत्रण और निगरानी प्रणाली पैनल स्थापित नहीं किए गए थे, जिससे रिमोट निगरानी, खराबी का पता लगाने और समय पर सुधार की प्रक्रिया प्रभावित हुई।

(अनुच्छेद 3.5.1.1)

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित शहरी स्थानीय निकायों ने स्ट्रीटलाइटिंग सेवाओं पर नागरिकों की फीडबैक लेने के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं किया था, जिससे कि खराब लाइटों, अपर्याप्त कवरेज, मरम्मत में देरी आदि जैसी बार-बार होने वाली समस्याओं की पहचान/पता लगाया जा सके।

(अनुच्छेद 3.5.1.2)

- संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान खंभों का अनियमित रूप से लगाया जाना, अंधेरे क्षेत्र, निवारक रखरखाव का अभाव जैसी कमियां पाई गई, समालखा में केवल मैनुअल शिकायत रजिस्टर रखे गए थे। फतेहाबाद में, निरीक्षण किए गए आठ स्थलों में से छः पर लाइटें अकार्यशील थी। भूना में, शिकायत रजिस्टर में शिकायतों के निपटान के विवरण दर्ज नहीं थे।

(अनुच्छेद 3.5.1.3)

मवेशी बाड़े और पशु कल्याण (पानीपत और फतेहाबाद जिले)

- भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड ने उल्लेख किया (जुलाई 2018) कि सभी स्थानीय निकाय आवारा पशुओं के लिए आश्रय, पानी, पर्याप्त भोजन, चिकित्सा सुविधाएं आदि प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। इस उद्देश्य के लिए, नगरपालिकाओं को अपेक्षित अवसंरचना, विशेष रूप से शेल्टर, पानी, चारा, चिकित्सा सुविधाओं आदि के साथ मवेशी बाड़ों का पुनरुद्धार/निर्माण करना होगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित शहरी स्थानीय निकायों में से किसी ने भी अपेक्षित आश्रयों का निर्माण नहीं किया था।

(अनुच्छेद 3.5.2.1)

- पानीपत में, जून 2022 तक 6,187 कुत्तों की स्टरलाइजेशन की गई थी, हालांकि, स्टरलाइजेशन का कार्य सौंपने से पहले कुत्तों की जनसंख्या का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था। ₹ 96 लाख के बजट आवंटन के बावजूद 2023-24 में कुत्तों की कोई स्टरलाइजेशन नहीं की गई। डॉग बाइट के मामलों की संख्या वर्ष 2022-23 में 17,766 से तेजी से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 36,336 हो गई।

(अनुच्छेद 3.5.2.2)

बूचड़खाने और चर्मशोधन कारखाने (सिरसा और करनाल जिले)

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि सिरसा, मंडी डबवाली और ऐलनाबाद में वर्ष 2001 से 2003 के दौरान निर्मित तीन बूचड़खाने बंद पड़े थे। इसके अलावा, सिरसा में 38 बिना लाइसेंस वाली मांस की दुकानें संचालित हो रही थी। नगरपालिका, निसिंग द्वारा जून 2021 में ₹ 54.99 लाख की लागत से निर्मित 16 दुकानों वाली मीट मार्किट, मीट विक्रेताओं को आवंटित न किए जाने के कारण अप्रयुक्त पड़ी थी।

(अनुच्छेद 3.5.3.1)

सिफारिशें:

- *राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शहरी स्थानीय निकाय शिकायतों की उचित रिकॉर्डिंग और ट्रैकिंग के लिए एक उपयुक्त शिकायत प्रणाली शुरू करें। इसके अलावा, स्ट्रीटलाइट के रखरखाव में दक्षता लाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मोबाइल ऐप, हेल्पलाइन, सर्वेक्षण या सामुदायिक बैठकें आदि जैसे फीडबैक तंत्र स्थापित किए जा सकते हैं।*
- *राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शहरी नगरपालिकाएं पकड़े गए आवारा मवेशियों के लिए मवेशी बाड़ों का निर्माण करें, नियामक कार्यों और नगरपालिका राजस्व सृजन को समर्थन देने के लिए निर्धारित फीस के साथ कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य करें और कुत्तों की स्टरलाइजेशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक त्रि-स्तरीय समिति का गठन करें।*
- *राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वैज्ञानिक और स्वच्छ पशुवध के लिए नगर निकाय क्षेत्रों में अधिकृत बूचड़खानों का संचालन शुरू किया जाए, साथ ही अनधिकृत मांस की दुकानों के प्रसार को नियंत्रित किया जाए। इसके अलावा, नगर निकायों को लाइसेंस प्राप्त और बिना लाइसेंस वाली मांस की दुकानों का उचित रिकॉर्ड रखना चाहिए तथा अनधिकृत पशुवध गतिविधियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करनी चाहिए।*

अध्याय IV: नगरपालिकाओं की अनुपालन लेखापरीक्षा

मनोरंजक उद्देश्यों के स्थान पर बैंक्वेट हॉल के संचालन के लिए स्थल का उपयोग किए जाने के कारण कन्वर्शन चार्ज की कम वसूली

निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय ने (4 दिसंबर 2019) मनोरंजक गतिविधियों के लिए गांव टिकरी, गुरुग्राम की राजस्व संपदा में 7,655.43 वर्ग मीटर भूमि के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) की अनुमति दी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस स्थल का उपयोग जीएनएच कन्वेंशन के वाणिज्यिक नाम से बैंक्वेट हॉल के रूप में किया जा रहा था। इसके परिणामस्वरूप सीएलयू प्रभारों के मद में ₹ 3.44 करोड़ की कम वसूली हुई। नगर निगम, गुरुग्राम ने इस दुरुपयोग का स्वतंत्र रूप से सत्यापन नहीं किया, जो सीएलयू शर्तों के कमजोर क्रियान्वयन और बकाया राशि की वसूली में खराब उत्तरदायित्व को दर्शाता है।

(अनुच्छेद 4.1)

सिफारिशें:

राज्य सरकार को भूमि उपयोग परिवर्तन की शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए, जिसके लिए आवधिक निरीक्षण किए जाएं और अनधिकृत रूप से भूमि उपयोग परिवर्तन के मामलों में तुरंत दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाए तथा नगर निगमों को अनुमति प्राप्त भूमि उपयोग का उल्लंघन करने वाले सीएलयू धारकों से कम उद्ग्रहण किए गए कन्वर्शन चार्ज का तत्काल आकलन करना चाहिए और लागू जुर्माने एवं ब्याज सहित उसकी वसूली करनी चाहिए।

नगर निगम, पानीपत द्वारा समय पर कार्रवाई न करने के कारण झील के विकास के इच्छित उद्देश्य की प्राप्ति न होना

दिसंबर 2017 में ₹ 23.40 करोड़ की लागत से स्वीकृत पानीपत में हाली पार्क झील की पुनरुद्धार परियोजना में निर्धारित स्वीकृतियां प्राप्त करने में देरी और अपूर्ण कार्यों के कारण तीन वर्ष से अधिक का विलंब हुआ। ₹ 23.56 करोड़ खर्च करने के बावजूद, हाली पार्क झील अप्रयुक्त पड़ी है क्योंकि दिल्ली नहर से जलापूर्ति उपलब्ध नहीं है, जिससे लक्षित मनोरंजक केंद्र का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका और यह कमजोर समन्वय एवं योजना को दर्शाता है।

(अनुच्छेद 4.2)

सिफारिशें:

राज्य सरकार को यह अनिवार्य करके हरियाणा पीडब्ल्यूडी कोड का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए कि स्थानीय निकाय कार्य आवंटित करने से पहले अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त करें और स्वीकृतियों में देरी से बचने के लिए अंतर-विभागीय समन्वय को सुदृढ़ करें। इसके अलावा, सरकार को पूर्व स्वीकृतियों के बिना शुरू किए गए हाली पार्क झील के विकास कार्य के आवंटन की समीक्षा करनी चाहिए और चूक के लिए उत्तरदायित्व तय करने सहित उचित सुधारात्मक उपाय शुरू करने चाहिए।

अध्याय I

राज्य के स्थानीय निकायों का विहंगावलोकन

अध्याय I

राज्य के स्थानीय निकायों का विहंगावलोकन

1. प्रस्तावना

भारत सरकार ने पंचायतों (पंचायती राज संस्थाओं-पीआरआई के रूप में संदर्भित) और नगरपालिकाओं (शहरी स्थानीय निकाय-यूएलबी के रूप में संदर्भित) को संवैधानिक दर्जा देते हुए क्रमशः 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 (73वें और 74वें सीएए) को अधिनियमित किया। इन संशोधनों ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक समान संरचना, नियमित चुनाव, केंद्रीय और राज्य वित्त आयोगों के माध्यम से वित्तपोषण आदि की व्यवस्था स्थापित की। संविधान में ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूचियां भी जोड़ी गई, जिनमें पंचायती राज संस्थाओं के लिए 29 विषय और शहरी स्थानीय निकायों के लिए 18 विषय सूचीबद्ध किए गए हैं।

इसके बाद, राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 को अधिनियमित किया तथा हरियाणा पंचायती राज नियम, 1995 और हरियाणा पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखा, लेखापरीक्षा, कराधान और कार्य) नियम, 1996 तैयार किए। हरियाणा में, पंचायती राज संस्थाओं के तीन स्तरों में जिला स्तर पर जिला परिषद (जैडपी), ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति (पीएस) और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत (जीपी) शामिल हैं।

74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के परिणामस्वरूप, भारत के संविधान में अनुच्छेद 243 पी से 243 जेडजी तक जोड़े गए थे, जिसके तहत राज्य विधायिका नगरपालिकाओं को कुछ शक्तियां और कर्तव्य प्रदान कर सकती थी ताकि वे स्व-शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने और संविधान की बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध उत्तरदायित्वों सहित अन्य उत्तरदायित्वों को निभाने में सक्षम हो सकें। शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 और हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 द्वारा शासित होते हैं। शहरी स्थानीय निकायों के तीन स्तरों में नगर निगम, नगर परिषदें और नगरपालिकाएं शामिल हैं। हरियाणा के बारे में मूल विवरण और मार्च 2024 तक पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों की संख्या नीचे दर्शाई गई है:

तालिका 1.1: हरियाणा के बारे में आधारभूत जानकारी

विवरण	इकाई	वैल्यू
कुल जनसंख्या	लाख में	253.51
क्षेत्रफल	वर्ग किलोमीटर	44,212
जनसंख्या घनत्व	व्यक्ति/वर्ग किमी	573
ग्रामीण जनसंख्या	प्रतिशत	65.12
	लाख में	165.09
शहरी जनसंख्या	प्रतिशत	34.87
	लाख में	88.42
ग्रामीण साक्षरता दर	प्रतिशत	71.42
शहरी साक्षरता दर	प्रतिशत	83.14
प्रति व्यक्ति राज्य आय (2023-24)	₹ लाख में प्रति वर्ष	2.97
पंचायती राज संस्थाएं	जिला परिषदें	22
	पंचायत समितियां	143
	ग्राम पंचायतें	6,225
शहरी स्थानीय निकाय	नगर निगम	11
	नगर परिषदें	23
	नगरपालिकाएं	54

पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के विवरण क्रमशः ***परिशिष्ट 1.1*** और ***1.2*** में दिए गए हैं।

1.1 पंचायती राज संस्थाएं

हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं की संगठनात्मक संरचना, कार्यों, निधियों के स्रोत, व्यय आदि का विहंगावलोकन अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित है।

1.1.1 पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली और संगठनात्मक संरचना

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा सरकार सरकारी स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख हैं। निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग, विभागीय प्रमुख हैं और वे जिला स्तर पर जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों (डीडीपीओ) तथा ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारियों (बीडीपीओ) के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों की निगरानी के लिए उत्तरदायी हैं। जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की अध्यक्षता क्रमशः अध्यक्ष, चेयरमैन और सरपंच द्वारा की जाती है। वे स्थायी समितियों और आम सभा की बैठकें बुलाते हैं और उनकी अध्यक्षता करते हैं। विकास एवं पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभागों की संगठनात्मक संरचना नीचे दर्शाई गई है:

चार्ट-1.1

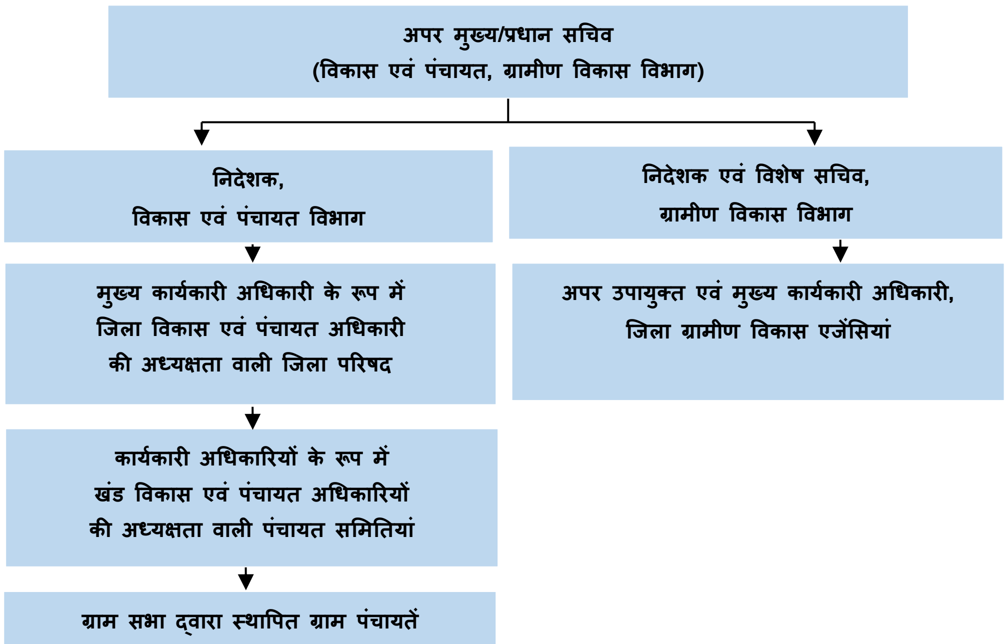

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जिला परिषद की नीतियों और निर्देशों को लागू करने, सभी वैधानिक कर्तव्यों का पालन करने और अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने के लिए उत्तरदायी हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के सभी अभिलेखों, कागजात और दस्तावेजों की अभिरक्षा करने तथा इसकी निधियों के आहरण एवं संवितरण के लिए अधिकृत हैं। ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी-सह-कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति (बीडीपीओ-सह-ईओपीएस), पंचायत समितियों के खातों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी हैं। ग्राम स्तर पर, ग्राम सचिव या सचिव को ग्राम पंचायतों के खातों और अभिलेखों के रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

1.1.2 हस्तांतरण का संक्षिप्त विवरण

73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 में पंचायती राज संस्थाओं को निधियों, कार्यों और कार्मिकों के हस्तांतरण की परिकल्पना की गई। संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के लिए 29 कार्यों के हस्तांतरण को अनिवार्य किया गया था। हरियाणा में, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लागू होने के 33 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद, केवल पांच कार्य ही पूरी तरह से हस्तांतरित किए गए हैं; अन्य पांच कार्यों में, पंचायती राज संस्थाओं की सीमित भूमिका है, जबकि छः कार्यों के संबंध में पंचायती राज संस्थाएं केवल कार्यान्वयन एजेंसी हैं और शेष 13 कार्यों में उनकी भूमिका नगण्य है ***(परिशिष्ट 1.3)***।

1.1.3 कार्यबल की स्थिति

मार्च 2024 तक पंचायती राज संस्थाओं में मानव संसाधन की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 1.2: स्वीकृत पदों की संख्या और कार्यरत कार्मिक

पंचायती राज संस्थाएं	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे गए पद	रिक्त पद	रिक्ति (प्रतिशत)
जिला परिषदें	उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	22	13	9	41
पंचायत समितियां	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ)	143	115	28	20
ग्राम पंचायतें	ग्राम सचिव	4,487	4,419	68	2

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि जिला परिषदों और पंचायत समितियों में रिक्त पदों की स्थिति क्रमशः 41 प्रतिशत और 20 प्रतिशत थी, जबकि ग्राम पंचायतों में कार्यबल की वास्तविक स्थिति अच्छी थी और वहां कोई महत्वपूर्ण रिक्ति नहीं थी।

1.1.4 निधियों के स्रोत

पंचायती राज संस्थाओं के स्रोतों में मुख्य रूप से स्वयं का राजस्व स्रोत और गैर-कर राजस्व, राज्य वित्त आयोगों और केंद्रीय वित्त आयोगों से अंतरण, राज्य सरकार से अन्य बजटीय अंतरण और सहायता अनुदान शामिल हैं। इन स्रोतों के अलावा, केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) और राज्य प्रायोजित योजनाओं (एसएसएस) के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्राप्त निधियां भी संसाधन कोष का हिस्सा हैं। 2019-20 से 2023-24 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं की प्राप्तियों और व्यय की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 1.3: 2019-20 से 2023-24 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं की प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
स्वयं का राजस्व	342.47	467.01	354.20	393.14	582.76
केन्द्रीय वित्त आयोग अंतरण	1,048.53	1,264.00	780.30	660.96	1,150.49
राज्य वित्त आयोग अंतरण	1,500.00	1,340.00	440.00	1,100.00	2,545.50
केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान (केंद्र तथा राज्य का हिस्सा)	529.62	871.50	613.42	416.25	251.93
राज्य की योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकार के अनुदान	1,563.77	1,585.89	1,499.20	1,294.13	471.50
कुल	**4,984.39**	**5,528.40**	**3,687.12**	**3,864.48**	**5,002.18**

नोट: वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक का डेटा विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा और ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा की ऑनलाइन बजट आवंटन निगरानी और विश्लेषण प्रणाली से लिया गया है। वर्ष 2023-24 के लिए जानकारी विभाग द्वारा प्रदान की गई है, और स्वयं के स्रोतों की जानकारी विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 से 2023-24 के लिए प्रदान की गई है।

तालिका 1.4: 2019-20 से 2023-24 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं का व्यय

(₹ करोड़ में)

व्यय	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
स्वयं का राजस्व	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
केन्द्रीय वित्त आयोग अंतरण	1,048.53	1,264.00	467.50	660.96	1,150.49
राज्य वित्त आयोग अंतरण	1,417.48	1,277.29	0	727.50	1,690.01
केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए भारत सरकार के अनुदान	410.75	706.86	467.47	413.90	251.93
राज्य की योजनाओं के लिए राज्य सरकार के अनुदान	1,050.89	1,284.67	1,089.89	946.56	444.80
कुल	**3,927.65**	**4,532.82**	**2,024.86**	**2,748.92**	**3,537.23**

स्रोत: ऑनलाइन बजट आवंटन निगरानी और विश्लेषण प्रणाली, हरियाणा।

पंचायती राज संस्थाओं के स्वयं के राजस्व में ₹ 342.47 करोड़ (2019-20) से ₹ 582.76 करोड़ (2023-24) तक की अनियमित प्रवृत्ति दर्ज की गई, हालांकि यह राजस्व के अन्य स्रोतों की तुलना में काफी कम थी। केंद्रीय वित्त आयोग का अंतरण सबसे अधिक ₹ 1,264 करोड़ (2020-21) था, जो फिर घटकर ₹ 660.96 करोड़ (2022-23) हो गया और इसके बाद बढ़कर ₹ 1,150.49 करोड़ (2023-24) हो गया। इसी तरह, राज्य वित्त आयोग के अनुदानों में भी भारी उतार-चढ़ाव रहा, जो कि न्यूनतम ₹ 440 करोड़ (2021-22) और अधिकतम ₹ 2,545.50 करोड़ (2023-24) था। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अनुदान में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई, जो ₹ 529.62 करोड़ (2019-20) से घटकर ₹ 251.93 करोड़ (2023-24) रह गई, जो केंद्र प्रायोजित योजना अनुदानों पर कम होती निर्भरता या उपलब्धता को दर्शाती है। राज्य की योजनाओं के लिए राज्य सरकार के अनुदान 2019-20 में ₹ 1,563.77 करोड़ थे, लेकिन 2023-24 में घटकर ₹ 471.50 करोड़ रह गए, जो राज्य योजना सहायता के कम होते समर्थन को दर्शाता है। कुल मिलाकर, पंचायती राज संस्थाएं अंतर-सरकारी अंतरणों पर अत्यधिक निर्भर रही, जो सीमित राजकोषीय स्वायत्तता और निधि की उपलब्धता में अनिश्चितता को दर्शाता है। इसके कारणों की जानकारी विभाग से मांगी गई है, जो अभी तक प्रतीक्षित है।

इसके अतिरिक्त, 2019-20 से 2023-24 के दौरान विभिन्न स्रोतों से पंचायती राज संस्थाओं की कुल प्राप्तियां ₹ 3,687.12 करोड़ से ₹ 5,528.40 करोड़ के मध्य रही, जबकि इसी अवधि के दौरान कुल व्यय ₹ 2,024.86 करोड़ से ₹ 4,532.82 करोड़ के मध्य रहा। यह इस बात को रेखांकित करता है कि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया गया कुल व्यय पंचायती राज संस्थाओं की प्राप्तियों से कम था। स्वयं के स्रोत राजस्व से किए गए व्यय के संबंध में जानकारी प्रतीक्षित है (मई 2026), इसलिए इसे उपलब्ध नहीं के रूप में दर्शाया गया है।

1.1.5 राज्य वित्त आयोग का गठन और अनुदान

संविधान के अनुच्छेद 243 (I) के तहत यह अपेक्षित है कि प्रत्येक पांचवें वर्ष में राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की नियुक्ति की जाए। हरियाणा में अब तक कुल छः राज्य वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। छठे राज्य वित्त आयोग का गठन सितंबर 2020 में किया गया था, जिसका उद्देश्य 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के साथ राज्य के राजस्व को साझा करने के लिए सिफारिशें करना और उनके आंतरिक संसाधनों को बढ़ाने के उपाय सुझाना था। राज्य वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट

दिसंबर 2021 में सौंपी थी। पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित राज्य वित्त आयोग की निधियों को नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.5: पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित राज्य वित्त आयोग की निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पंचायती राज संस्थाओं को अंतरित राशि
2019-20	1,500.00
2020-21	1,340.00
2021-22	440.00
2022-23	1,100.00
2023-24	2,545.50

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग की निधियों का आवंटन 2019-20 में ₹ 1,500 करोड़ से भारी गिरावट के साथ 2021-22 में ₹ 440 करोड़ रह गया, जो दो वर्ष की अवधि में 70.67 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है। यह कमी स्पष्ट रूप से कोविड-19 महामारी के प्रभाव और फरवरी 2021 में हरियाणा में ग्राम पंचायतों का पांच वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने के कारण हुई थी। हालांकि, इसके बाद वर्ष 2023-24 में यह आवंटन बढ़कर ₹ 2,545.50 करोड़ हो गया, जो 478.52 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अगले दो वर्षों में एक मजबूत बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है।

1.1.6 पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लेखों का रखरखाव और उनकी लेखापरीक्षा

मॉडल लेखांकन प्रणाली (एमएएस) के पैरा 2.3 के अनुसार, पंचायती राज संस्था के लेखों में वार्षिक प्राप्ति और भुगतान लेखा शामिल होगा, जो निर्धारित प्रपत्रों के एक सेट द्वारा विधिवत समर्थित होगा, जिसमें समेकित सारांश (प्रपत्र-II), समाधान विवरण (प्रपत्र-III), प्राप्य और देय राशि का विवरण (प्रपत्र-IV), अचल संपत्ति का रजिस्टर (प्रपत्र-V), चल संपत्ति का रजिस्टर (प्रपत्र-VI), इन्वेंट्री रजिस्टर (प्रपत्र-VII) तथा मांग, वसूली और शेष का रजिस्टर (प्रपत्र-VIII) शामिल हैं।

हरियाणा के छठे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट (दिसंबर-2021) के अनुसार, मॉडल लेखांकन प्रणाली का उचित उपयोग तभी किया जा सकता है जब अभिलेखों का रखरखाव कंप्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से किया जाए। हालांकि, ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के स्तर पर लेखे अभी भी मुख्य रूप से पारंपरिक एकल-प्रविष्टि प्रणाली के तहत, मैनुअल आधार पर रखे जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखापरीक्षा, कराधान और कार्य नियमावली, 1996 के नियम 23(1) तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय लेखापरीक्षा के दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में, पंचायत समितियां प्रपत्र-VIII में अपना वार्षिक लेखा तैयार करेगी, जिसमें प्रत्येक बजट शीर्ष के तहत अपनी वार्षिक आय और व्यय को दर्शाया जाएगा और इसे राज्य सरकार को भेजने के लिए आगामी 15 मई तक जिला परिषद को भेजेगी। इसी प्रकार, जिला परिषद भी अपना वार्षिक लेखा तैयार करेगी और आगामी 15 मई तक निदेशक स्थानीय लेखापरीक्षा और राज्य सरकार को भेजेगी। पंचायती राज संस्थाओं के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 1.6: पंचायती राज संस्थाओं के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

पंचायती राज संस्थाएं	कुल पंचायती राज संस्थाएं	लेखों के पूर्ण होने की स्थिति				लेखों के प्रमाणीकरण/लेखापरीक्षा की स्थिति			
		उन पंचायती राज संस्थाओं की संख्या जिनके लेखे पूर्ण हो चुके हैं		पूर्ण होने का प्रतिशत		उन पंचायती राज संस्थाओं की संख्या जिनकी लेखापरीक्षा पूर्ण हो चुकी है		पूर्ण होने का प्रतिशत	
		2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
जिला परिषदें	22	22	22	100	100	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पंचायत समितियां	143	142	138	99	97	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग्राम पंचायतें	6,225	603	1,723	10	28	131	512	22	30

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि 2022-23 और 2023-24 के दौरान सभी जिला परिषदों द्वारा लेखे पूर्ण कर लिए गए हैं, हालांकि पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के स्तर पर लेखे तैयार करने में कमी रही। 2022-23 और 2023-24 के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग द्वारा जिला परिषद और पंचायत समितियों की कोई लेखापरीक्षा नहीं की गई थी, जबकि इस अवधि के दौरान ग्राम पंचायतों की लेखापरीक्षा का कार्य 22 से 30 प्रतिशत के मध्य ही पूर्ण हो पाया। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लेखों को तैयार करना और उनका लेखापरीक्षा क्षेत्र में आना बेहतर पारदर्शिता और सुशासन में योगदान देता है।

1.2 शहरी स्थानीय निकाय

शहरी स्थानीय निकायों की संगठनात्मक संरचना, कार्यों, निधियों के स्रोत, व्यय आदि का विवरण अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिया गया है।

1.2.1 शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली और संगठनात्मक संरचना

राज्य सरकार के स्तर पर, अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या आयुक्त एवं सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा सरकार इसके प्रशासनिक प्रमुख हैं। शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय (डीयूएलबी) राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकायों के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। शहरी स्थानीय निकायों की संगठनात्मक संरचना को नीचे दर्शाया गया है:

चार्ट 1.2

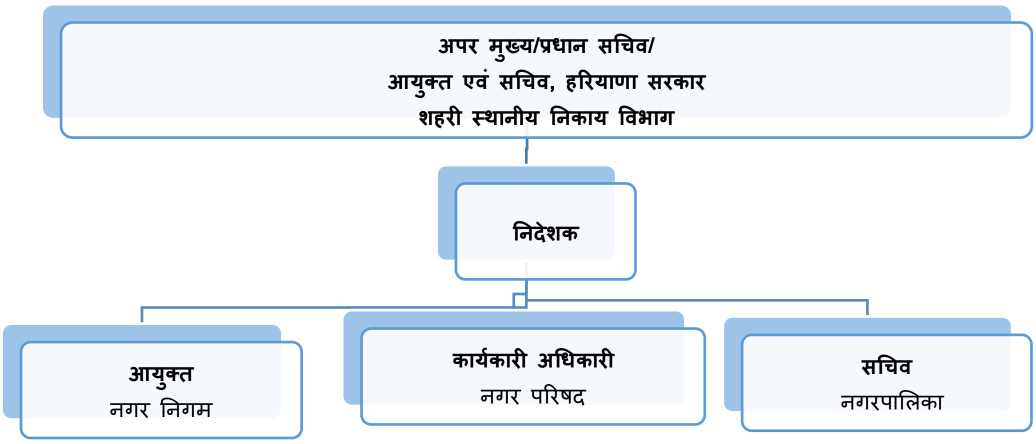

प्रत्येक निगम, परिषद और समिति के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिन्हें वार्ड के रूप में जाना जाता है, इन वार्डों का निर्धारण और अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा सदस्यों के चुनाव के उद्देश्य से की जाती है। प्रत्येक वार्ड से

सदस्यों का चुनाव करने के अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा सदस्यों को मनोनीत भी किया जाता है। शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित और कार्यकारी प्रमुखों का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 1.7: नगर निकायों के निर्वाचित और कार्यकारी प्रमुखों का विवरण

नगर निकाय	निर्वाचित प्रमुख	कार्यकारी प्रमुख
नगर निगम	मेयर	नगर आयुक्त
नगर परिषद	अध्यक्ष	कार्यकारी अधिकारी
नगरपालिका	अध्यक्ष	सचिव

1.2.2 शहरी स्थानीय निकायों को कार्यों का हस्तांतरण

संविधान की 12वीं अनुसूची में शहरी स्थानीय निकायों को सौंपे जाने वाले 18 कार्यों को सूचीबद्ध किया गया है। हालांकि, इन 18 कार्यों में से केवल चार कार्य ही पूरी तरह से हस्तांतरित किए गए हैं; तीन कार्यों में, शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका अन्य विभागों/प्राधिकरणों के साथ अतिव्यापी है, जबकि अन्य चार कार्यों में, शहरी स्थानीय निकाय केवल कार्यान्वयन एजेंसियां मात्र हैं और पांच कार्यों में, शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका सीमित है। शेष दो कार्यों में शहरी स्थानीय निकायों की वास्तव में कोई भूमिका नहीं है ***(परिशिष्ट 1.4)***।

1.2.3 शहरी स्थानीय निकायों में कार्यबल की स्थिति

मार्च 2024 तक शहरी स्थानीय निकायों में मानव संसाधन की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 1.8: शहरी स्थानीय निकायों में कार्यबल की स्थिति

शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी		नगर निगम	नगरपालिकाएं	कुल
स्वीकृत		21,165	9,826	30,991
कार्यरत	नियमित	4,895	2,503	7,398
	अनियमित	15,445	7,789	23,234

मार्च 2024 तक, शहरी स्थानीय निकायों में 30,991 स्वीकृत पद थे, जिनमें से नगर निगमों और नगरपालिकाओं में केवल 7,398 (23.87 प्रतिशत) नियमित पद ही भरे गए थे। कार्यबल की आवश्यकताओं की कमी को पूरा करने के लिए, शहरी स्थानीय निकाय संविदात्मक और आउटसोर्स कर्मचारियों को नियुक्त कर रहे थे।

1.2.4 निधियों के स्रोत

शहरी स्थानीय निकाय अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर शहरी अवसंरचना, सार्वजनिक और शहरी सुविधाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसके लिए बढ़ते शहरीकरण के कारण भारी वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। शहरी स्थानीय निकायों के अपने स्वयं के वित्तीय संसाधन जैसे कि कर, किराया, फीस, लाइसेंस फीस आदि उनके राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, जिससे वे भारत सरकार और राज्य सरकार से मिलने वाले अनुदानों/अंतरणों पर निर्भर हो गए, इनमें केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार मिलने वाले अनुदान और विभिन्न केंद्र तथा राज्य प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मिलने वाले अनुदान शामिल हैं। 2019-24 की अवधि के दौरान शहरी स्थानीय निकायों की प्राप्तियों और व्यय की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

तालिका 1.9: वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों की प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
स्वयं का स्रोत राजस्व	1,580.04	1,516.71	2,495.88	3,396.27	2,852.61
केन्द्रीय वित्त आयोग अंतरण	972.00	609.00	606.00	477.00	434.00
राज्य वित्त आयोग अंतरण	936.42	1,493.00	1,500.00	2,102.00	2,002.00
केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए भारत सरकार के अनुदान	1,047.93	1,107.00	1,421.03	843.66	744.56
राज्य की योजनाओं के लिए राज्य सरकार के अनुदान	1,039.87	1,405.53	1,211.64	1,467.99	904.30
कुल	**5,576.26**	**6,131.24**	**7,234.55**	**8,286.92**	**6,937.47**

शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने वाले सहायता अनुदान से आता है और उनका अपना राजस्व काफी कम है, जो शहरी स्थानीय निकायों की राजस्व सृजन क्षमताओं को बढ़ाने पर अधिक जोर देने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। शहरी स्थानीय निकायों के स्वयं के स्रोत राजस्व से प्राप्त होने वाली निधियों में कमी आई है, जो 2022-23 में ₹ 3,396.27 करोड़ से घटकर 2023-24 में ₹ 2,852.61 करोड़ हो गई। राज्य सरकार से इसके कारणों की प्रतीक्षा है (मई 2026)।

तालिका 1.10: वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों का व्यय

(₹ करोड़ में)

व्यय	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
स्वयं का स्रोत राजस्व	2,391.44	3,116.14	3,284.26	2,892.62	2,180.75
केन्द्रीय वित्त आयोग अंतरण	730.11	561.00	362.48	400.25	228.65
राज्य वित्त आयोग अंतरण	936.42	1,493.00	1,351.51	2,001.33	2,002.00
केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए भारत सरकार के अनुदान	839.16	910.05	1,020.63	721.77	640.59
राज्य की योजनाओं के लिए राज्य सरकार के अनुदान	700.43	752.16	1,837.63	1,184.16	765.81
कुल	**5,597.56**	**6,832.35**	**7,856.51**	**7,200.13**	**5,817.80**

यह देखा गया कि केंद्र और राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदानों का उपयोग मुख्यत: केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं के निष्पादन के लिए किया जाता है, जबकि शहरी स्थानीय निकायों के स्वयं के स्रोत राजस्व का उपयोग प्रशासनिक खर्चों और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा तैयार की गई योजनाओं या कार्यों के निष्पादन के लिए किया जाता है। उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि शहरी स्थानीय निकायों का कुल खर्च 2021-22 तक (₹ 7,856.51 करोड़) बढ़ा और फिर 2023-24 में घटकर ₹ 5,817.80 करोड़ हो गया। स्वयं के स्रोत राजस्व से होने वाले व्यय में बाद के वर्षों अर्थात 2022-23 और 2023-24 में गिरावट आई। केंद्र प्रायोजित योजनाओं और राज्य प्रायोजित योजनाओं पर होने वाले व्यय में भी कमी आई है। वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान, शहरी स्थानीय निकायों ने अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए पिछले वर्षों के अप्रयुक्त अनुदानों का उपयोग किया। कुल मिलाकर, शहरी स्थानीय निकाय केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई निधियों/सहायता अनुदान पर अधिक निर्भर हैं, इसलिए शहरी स्थानीय निकायों को स्वयं के स्रोत राजस्व को बढ़ाना आवश्यक है।

1.2.5 राज्य वित्त आयोग का गठन और अनुदान

उपर्युक्त पैरा 1.1.5 में इंगित किए गए अनुसार, अब तक कुल छ: राज्य वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। 2019-20 से 2023-24 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों को प्रदान की गई राज्य वित्त आयोग की निधियों की स्थिति को नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.11: शहरी स्थानीय निकायों को जारी की गई राज्य वित्त आयोग की निधियां का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य वित्त आयोग की जारी की गई निधियां
2019-20	936.42
2020-21	1,493.00
2021-22	1,351.51
2022-23	2,001.33
2023-24	2,002.00
कुल	**7,784.26**

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि शहरी स्थानीय निकायों को जारी किए गए राज्य वित्त आयोग के अनुदान की राशि 2019-20 में ₹ 936.42 करोड़ से धीरे-धीरे बढ़कर 2023-24 में ₹ 2,002 करोड़ हो गई, जिसका शहरी स्थानीय निकायों द्वारा संबंधित वर्ष में बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था।

1.2.6 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लेखों का रखरखाव और उनकी लेखापरीक्षा

एचएमसी अधिनियम, 1994 की धारा 168 में स्थानीय लेखापरीक्षक (अर्थात स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग) द्वारा लेखों के रखरखाव और उनकी जांच से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, म्यूनिसिपल अकाउंट कोड 1930 के पैरा 1.7 के साथ पठित एचएम अधिनियम, 1973 की धारा 203 एन, लेखों के रखरखाव से संबंधित है। राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के लेखों का रखरखाव म्यूनिसिपल अकाउंट कोड 1930 द्वारा शासित है।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा अपने राज्य विशिष्ट नगरपालिका लेखा मैनुअल का मसौदा तैयार करते समय उनके संदर्भ के लिए राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा मैनुअल (एनएमएएम) तैयार किया था (दिसंबर 2004)। राज्य सरकार ने मौजूदा म्यूनिसिपल अकाउंट कोड, 1930 को निरस्त कर दिया है और हरियाणा म्यूनिसिपल अकाउंट कोड, 2025 को अधिसूचित (मई 2025) किया है। शहरी स्थानीय निकायों के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 1.12: शहरी स्थानीय निकायों के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

शहरी स्थानीय निकायों के प्रकार	कुल शहरी स्थानीय निकाय	लेखों के पूर्ण होने की स्थिति		लेखापरीक्षा की स्थिति (एल.ए.डी. ऑडिट)	
		उन शहरी स्थानीय निकायों की संख्या जिनके लेखे पूर्ण हैं	पूर्णता (प्रतिशत में)	उन शहरी स्थानीय निकायों की संख्या जिनकी लेखापरीक्षा पूर्ण हैं	पूर्णता (प्रतिशत में)
नगर निगम	11	11 (2022-23 तक)	100	7 (2022-23 तक)	64
		00 (2023-24 तक)	0	00 (2023-24 तक)	0
नगर परिषद	23	22 (2022-23 तक)	96	14 (2022-23 तक)	61
		00 (2023-24 तक)	0	00 (2023-24 तक)	0
नगरपालिका	54	53 (2022-23 तक)	98	27 (2022-23 तक)	50
		01 (2023-24 तक)	2	01 (2023-24 तक)	2

2022-23 तक शहरी स्थानीय निकायों के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति की समीक्षा से पता चला कि नगर परिषद, गोहाना को छोड़कर सभी शहरी स्थानीय निकायों में लेखों को तैयार करने का कार्य पूर्ण कर लिया गया था, लेकिन लेखापरीक्षा व्याप्ति अपर्याप्त रही। स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग द्वारा लेखापरीक्षा का कार्य केवल 64 प्रतिशत निगमों, 61 प्रतिशत परिषदों और केवल 50 प्रतिशत समितियों के संबंध में ही पूर्ण किया गया था। इसके अलावा, नगरपालिका, सांपला को छोड़कर लगभग सभी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा 2023-24 के लिए लेखों को पूरा न करना, वित्तीय रिपोर्टिंग और जवाबदेही में प्रणालीगत कमजोरियों को रेखांकित करता है। लेखापरीक्षा के दायरे को सुदृढ़ करना और लेखों की समय पर तैयारी सुनिश्चित करना शहरी स्थानीय निकायों में बेहतर पारदर्शिता और सुशासन में योगदान देता है।

2 लेखापरीक्षा अधिदेश

राज्य सरकार ने अगस्त 2008, फरवरी 2010 और दिसंबर 2011 में जारी क्रमिक आदेशों के माध्यम से, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के तहत पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की नमूना लेखापरीक्षा के संचालन का कार्य नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपा।

3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

इस लेखापरीक्षा के अंतर्गत अनुपालन लेखापरीक्षा, विषय विशिष्ट लेखापरीक्षा और कार्य आधारित लेखापरीक्षा को शामिल किया गया, जिसमें निधियों के उपयोग, कानूनों के पालन, दक्षता और आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन किया गया, जिसका उद्देश्य स्थानीय शासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व लाना था, इसमें वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में उचित लेखांकन और हस्तांतरित कार्यों के निष्पादन की जांच भी शामिल थी।

4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को निम्नलिखित मुख्य मानदंडों के आधार पर बेंचमार्क किया गया था:

- हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 और हरियाणा पंचायती राज नियम, 1995
- हरियाणा पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, लेखापरीक्षा, कराधान और कार्य) नियमावली, 1996
- हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014
- हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 और उससे संबंधित नियम, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 और म्यूनिसिपल अकाउंट्स कोड, 1930
- पंचायती राज संस्था अनुदानों (2021-26) पर पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशानिर्देश और मैनुअल।
- पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960
- पशु जन्म नियंत्रण (डॉग्स) नियमावली, 2001 (2023 में यथा संशोधित)।
- हरियाणा नगरपालिका (बूचड़खानों का विनियमन) उप-नियम, 1977

5 प्रतिवेदन का विहंगावलोकन

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में चार अध्याय शामिल हैं, जिनमें राज्य के स्थानीय निकायों का विहंगावलोकन, विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा, शहरी स्थानीय निकायों की कार्य आधारित लेखापरीक्षा और नगरपालिकाओं की अनुपालन लेखापरीक्षा शामिल हैं।

6 आभार

हम, अपेक्षित जानकारी प्रदान करने और लेखापरीक्षा को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार; निदेशक, विकास एवं पंचायत; निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय; निदेशक, स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग तथा सभी चयनित पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा दिए गए सहयोग और समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

अध्याय II

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदानों के उपयोग पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय II

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदानों के उपयोग पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

2.1 प्रस्तावना

भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत पंद्रहवें वित्त आयोग (XV-एफसी) का गठन (नवंबर 2017) किया गया था। पंद्रहवें वित्त आयोग ने नवंबर 2020 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की। अपने अधिदेश के हिस्से के रूप में, पंद्रहवें वित्त आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के सभी तीनों स्तरों के लिए अनुदान की सिफारिश की। पंचायती राज संस्थाओं के लिए कुल निर्धारित अनुदानों में से 60 प्रतिशत हिस्सा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जैसे कि पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और स्वच्छता (टाइड अनुदान) के लिए निर्धारित किया गया था, जबकि 40 प्रतिशत हिस्सा अनटाइड अनुदान वाला था, जो आधारभूत सेवाओं में सुधार के लिए पंचायती राज संस्थाओं के विवेक पर उपयोग के लिए उपलब्ध था। जुलाई 2021 में, पंद्रहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान जारी करने और उनके उपयोग के संबंध में परिचालन दिशानिर्देश जारी किए।

2.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा के उद्देश्य निम्नानुसार थे:

- स्थानीय सरकार द्वारा अनुदान के उपयोग और सेवाओं के प्रावधान के संबंध में संहिताबद्ध प्रावधानों के अनुपालन का मूल्यांकन करना।
- यह आकलन करना कि क्या अनुदान का उपयोग सेवाओं की प्रदानगी के लिए किया गया था।

2.3 लेखापरीक्षा के मानदंड

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों की तुलना निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर की गई थी:

- पंचायती राज संस्थाओं के अनुदानों (2021-26) पर पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशानिर्देश और मैनुअल
- हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 और उससे संबंधित नियम
- हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखापरीक्षा, कराधान और कार्य नियमावली, 1996
- हरियाणा के विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा जारी अनुदेश या दिशानिर्देश।

2.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और कार्यप्रणाली

इस लेखापरीक्षा में वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक की अवधि को शामिल किया गया, जिसके तहत 77 पंचायती राज संस्थाओं का चयन किया गया ***(परिशिष्ट 2.1)***, जिसमें पांच जिला परिषदें, 12 पंचायत समितियां और 60 ग्राम पंचायतें शामिल थी, जिनका चयन प्रतिस्थापन रहित सरल रैंडम नमूनाकरण पद्धति का उपयोग करके किया गया था। लेखापरीक्षा निष्कर्षों

तक पहुंचने के लिए लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में चयनित पंचायती राज संस्थाओं में प्रासंगिक अभिलेखों की समीक्षा, संयुक्त भौतिक सत्यापन और दस्तावेजों का संग्रहण शामिल था।

लेखापरीक्षा जून 2024 और जनवरी 2025 के मध्य आयोजित की गई थी तथा 22 जुलाई 2024 को आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के साथ एंट्री कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा के साथ 16 फरवरी 2026 को एग्जिट कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी और विभाग द्वारा अप्रैल 2026 में उत्तर प्रस्तुत कर दिए गए थे।।

2.5 वित्तीय प्रबंधन

पंद्रहवें वित्त आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं को आधारभूत सेवाएं प्रदान करने और उनकी योजना बनाने में सक्षम बनाने के लिए, उन्हें सुनिश्चित निधियां अंतरित करने की सिफारिश की थी। परिचालन दिशानिर्देशों के पैरा 3 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों के मध्य एक निर्धारित सीमा के भीतर अनुदान वितरित किया जाना था। अनुदान का वितरण निम्नानुसार संरचित था:

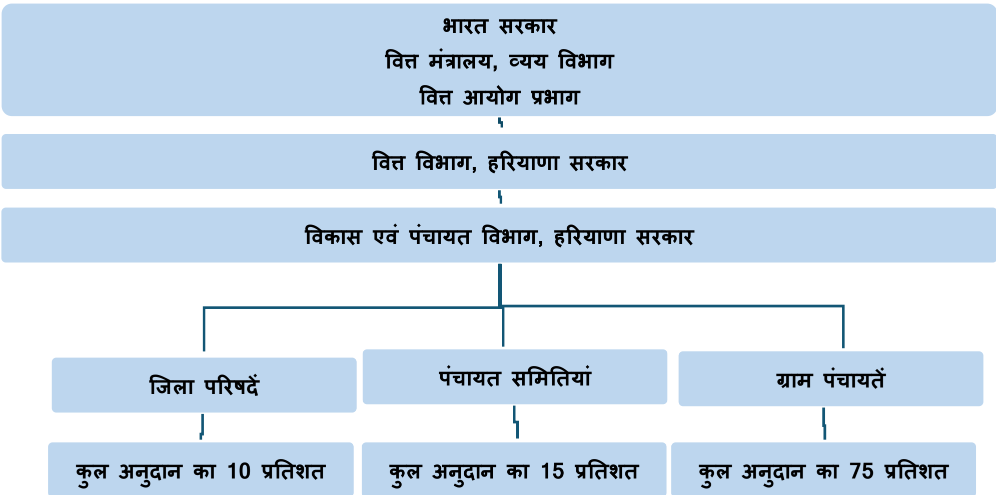

एक बार राज्य स्तर पर अनुदान निर्धारित हो जाने के बाद, संबंधित संस्थाओं के मध्य अंतर-स्तरीय वितरण जनसंख्या (2011 की जनगणना) और क्षेत्रफल के आधार पर 90:10 के अनुपात में या पांचवें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार किया जाना था।

पंचायती राज संस्थाओं को जारी किए गए अनुदान

वर्ष 2021-24 के दौरान, हरियाणा सरकार को पंचायती राज संस्थाओं के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान के रूप में भारत सरकार से ₹ 2,468.71 करोड़ प्राप्त हुए, जिसमें से ₹ 2,278.95 करोड़ की राशि पंचायती राज संस्थाओं को अंतरित की गई थी। ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं ने इस अवधि के दौरान जारी की गई निधियां में से ₹ 1,338.07 करोड़ (58.71 प्रतिशत) का व्यय किया। हरियाणा सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान, पंचायती राज संस्थाओं को जारी की गई निधियां और किए गए व्यय का वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है।

तालिका 2.1: पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदानों को जारी करना और उनका उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	हरियाणा सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान	पंचायती राज संस्थाओं को जारी की गई निधियां	पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया गया व्यय
2021-22	467.50	467.50	340.71
2022-23	660.96	660.96	233.29
2023-24	1,340.25	1,150.49	764.07
कुल	**2,468.71**	**2,278.95**	**1,338.07**

चयनित पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में वर्ष 2021-24 के दौरान पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदानों को जारी करना और उनके उपयोग का विवरण नीचे दिया गया है।

तालिका 2.2: चयनित पंचायती राज संस्थाओं द्वारा पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदानों को जारी करना और उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	चयनित पंचायती राज संस्थाओं में प्राप्त अनुदान		ब्याज/ वसूलियां	उपलब्ध निधियां	किया गया व्यय	बैंक पासबुक के अनुसार अंतिम शेष
		टाइड	अनटाइड				
2021-22	34.25	24.27	18.90	1.63	79.05	27.92	51.13
2022-23	51.13	17.70	18.10	1.35	88.28	11.17	77.11
2023-24	77.11	35.50	30.18	2.28	145.07	28.87	116.20

वर्ष 2021-24 के दौरान, तीनों वर्षों में निधियों के उपयोग का स्तर कम रहा, जिसके परिणामस्वरूप अंतिम शेष 2023-24 के अंत तक बढ़कर ₹ 116.20 करोड़ हो गया। यह पंचायती राज संस्था स्तर पर पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदानों के अत्यधिक कम उपयोग को दर्शाता है।

2.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.6.1 अंतिम शेष में विसंगतियां

परिचालन दिशानिर्देशों के पैरा 8 के अनुसार, सभी ग्रामीण स्थानीय निकायों (पंचायती राज संस्थाओं) के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदानों के अपने खातों को ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर ऑनलाइन बनाए रखना अनिवार्य है। हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखापरीक्षा, कराधान और कार्य नियमावली, 1996 का नियम 26 यह प्रावधान करता है कि पासबुक में दर्शाए गए शेष और अपनी रोकड़ बही में दर्शाए गए शेष का मिलान करने के लिए कार्यकारी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

चयनित पंचायती राज संस्थाओं के अभिलेखों की समीक्षा और मिलान डेटा के विश्लेषण से बैंक खातों और रोकड़ बही के अनुसार अंतिम शेष और ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित अंतिम शेष के मध्य महत्वपूर्ण विसंगतियां सामने आई। मार्च 2024 तक, नमूना-जांच की गई 77 पंचायती राज संस्थाओं[1] में से 59 पंचायती राज संस्थाओं में बैंक शेष और रोकड़ बही शेष के मध्य ₹ 13 से ₹ 2.49 करोड़ तक का अंतर पाया गया, जबकि 75 पंचायती राज संस्थाओं में बैंक शेष और ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित शेष के मध्य का अंतर ₹ 15,729 से ₹ 8.55 करोड़ तक था, जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

[1] एक पंचायती राज संस्था (ग्राम पंचायत कोट मिथाका) द्वारा संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

तालिका 2.3: पासबुक, रोकड़ बही और ई-ग्रामस्वराज के मध्य अंतर की सीमा

विवरण	पासबुक और रोकड़ बही में दर्शाए गए शेष के मध्य अंतर वाली पंचायती राज संस्थाओं की संख्या	पासबुक और ई-ग्रामस्वराज में दर्शाए गए शेष के मध्य अंतर वाले पंचायती राज संस्थाओं की संख्या
10 लाख से कम का अंतर	48	42
10 लाख से अधिक और एक करोड़ से कम का अंतर	9	25
एक करोड़ से अधिक का अंतर	2	8
कुल	**59**	**75**

विसंगतियां दर्शाती हैं कि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय डेटा को नियमित रूप से अद्यतित नहीं किया गया था और वास्तविक रोकड़ बही या बैंक स्थिति के साथ उसका मिलान नहीं किया गया था। डेटा में इन विसंगतियों के कारणों की प्रतीक्षा थी (मई 2026)।

विभाग ने बताया (अप्रैल 2026) कि अंतर का कारण लेनदेन को अद्यतित करने में विलंब, मिलान की कमी और परिवर्तनकालीन मामले थे।

2.6.2 लक्षित सेवाओं के लिए गतिविधियों का गैर-निष्पादन

पंद्रहवें वित्त आयोग के टाइड अनुदानों के उपयोग की नियमावली के अनुच्छेद 8.1 के अनुसार, ग्राम पंचायतों के लिए ग्रामीण आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय हेतु ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (जीपीडीपी) तैयार करना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 12.1 के अनुसार, जिला परिषद और पंचायत समिति जिला एवं ब्लॉक स्तर पर स्वच्छता से संबंधित विभिन्न गतिविधियों की पहचान करने, विभिन्न स्वच्छता संबंधी गतिविधियों के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग के टाइड अनुदानों के उपयोग के लिए जिला और ब्लॉक विकास योजनाएं तैयार करने, इन योजनाओं को ई-ग्रामस्वराज पोर्टल के उपयुक्त मॉड्यूल पर अपलोड करने और इन योजनाओं के अनुसार गतिविधियों का निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान के तहत कुछ अनुमेय गतिविधियों, जैसे कि सामुदायिक शौचालयों के निर्माण, विद्यमान शौचालयों के रखरखाव, वर्षा जल संचयन और डोर टू डोर कचरा संग्रह, गैर-पारंपरिक ऊर्जा के प्रोत्साहन, स्वास्थ्य सेवाओं, इंटरनेट कनेक्टिविटी और तकनीकी प्रशिक्षण पर व्यय किया गया था। हालांकि, सामुदायिक शौचालयों के निर्माण (जिला परिषद पलवल द्वारा जैव-शौचालयों और जिला परिषद यमुनानगर द्वारा एक सामुदायिक शौचालय के निर्माण को छोड़कर), विद्यमान शौचालयों के रखरखाव, वर्षा जल संचयन (67 पंचायती राज संस्थाओं द्वारा) और डोर टू डोर कचरा संग्रह (56 ग्राम पंचायतों द्वारा) पर कोई व्यय नहीं किया गया था।

इसके अलावा, टाइड अनुदानों का उपयोग ग्रे-वाटर प्रबंधन (जिला परिषद कुरुक्षेत्र को छोड़कर), प्लास्टिक कचरा प्रबंधन या नए जल संसाधनों के निर्माण के लिए नहीं किया गया था। अनटाइड अनुदानों का उपयोग भी गैर-पारंपरिक ऊर्जा के प्रोत्साहन, स्वास्थ्य सेवाओं, इंटरनेट कनेक्टिविटी इत्यादि जैसी गतिविधियों के लिए नहीं किया गया था।

पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान के तहत 4,260 अनुमोदित गतिविधियों के विश्लेषण ने दर्शाया कि केवल 1,215 (28.52 प्रतिशत) गतिविधियां पूर्ण हो गई थी या प्रगति पर थी, 680 (15.96 प्रतिशत) गतिविधियों को छोड़ दिया गया था और 2,365 (55.52 प्रतिशत)

गतिविधियां शुरू ही नहीं की गई थी ***(परिशिष्ट 2.2.1** से **2.2.3)***, जैसा कि नीचे तालिका 2.4 में संक्षेप में दिया गया है:

तालिका 2.4: पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदानों से अनुमोदित और निष्पादित गतिविधियों की स्थिति

वर्ष	अनुमोदित गतिविधियों की संख्या	प्रगति पर/ पूर्ण		छोड़ी गई	प्रारंभ नहीं की गई	पंचायती राज संस्थाओं की रोकड़ बही के अनुसार अनुदानों का अंतिम शेष (₹ करोड़ में)
		संख्या	कुल का प्रतिशत			
2021-22	954	418	43.8	117	419	49.55
2022-23	1,811	545	30.1	511	755	69.75
2023-24	1,495	252	16.9	52	1,191	103.60
कुल	**4,260**	**1,215**	**28.5**	**680**	**2,365**	

विभाग ने बताया (अप्रैल 2026) कि पंचायती राज संस्थाओं ने संबंधित योजनाओं को तैयार करने के दौरान निर्धारित की गई प्राथमिकताओं के अनुसार कार्यों की योजना बनाई और उन्हें निष्पादित किया। निधियों की कमी के कारण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर लिया गया था। इसके अतिरिक्त, निरीक्षण के दौरान जो कार्य अपूर्ण पाए गए थे, उन्हें संबंधित पंचायती राज संस्थाओं द्वारा पूर्ण किया जा रहा था।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं के पास निधियां उपलब्ध होने के बावजूद अनुमोदित गतिविधियों में से 71.48 प्रतिशत को बीच में ही छोड़ दिया गया था या शुरू ही नहीं की गई थी।

राज्य सरकार को पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अनुमोदित गतिविधियों के समयबद्ध कार्यान्वयन और निष्पादन को नियमित निगरानी सहित सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि गतिविधियों के छोड़ दिए जाने या उनके प्रारंभ न होने से बचा जा सके और अनुमोदित गतिविधियों के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

2.6.3 निर्धारित विकास योजनाएं तैयार न होने के बावजूद पंचायती राज संस्थाओं को ₹ 5.27 करोड़ के टाइड अनुदान जारी करना

जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए पंचायती राज संस्थाओं को पंद्रहवें वित्त आयोग के टाइड अनुदान के उपयोग की नियमावली के पैरा 10.1 में यह अधिदेश है कि ब्लॉक एवं जिला पंचायतें संबंधित रेखीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर जल आपूर्ति एवं स्वच्छता से संबंधित गतिविधियों को चिह्नित करेंगी तथा यह सुनिश्चित करेंगी कि ऐसी योजनाओं को ई-ग्रामस्वराज पोर्टल के उपयुक्त मॉड्यूल पर अपलोड किया जाए। परिचालन दिशानिर्देशों के पैरा 5 (बी) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान था कि ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) द्वारा स्वच्छता और पेयजल आपूर्ति के लिए ग्राम/ब्लॉक/जिला की वार्षिक कार्य योजना के विवरण वाली ग्राम पंचायत विकास योजना/ब्लॉक विकास योजना/जिला विकास योजना को ई-ग्रामस्वराज (डी.डी.डब्ल्यू.एस.-आई.एम.आई.एस. के माध्यम से) पर अपलोड किए जाने को, टाइड अनुदान जारी करने के लिए पात्र माना जाएगा।

इसके अलावा, नियमावली के पैरा 9.1 के अनुसार, प्रत्येक गांव को जल और स्वच्छता सेवाओं के लिए अन्य ग्राम स्तरीय योजनाओं की निधि को समाहित करते हुए पंद्रहवें वित्त आयोग की अवधि के सह-समान पांच वर्षीय ग्राम कार्य योजना तैयार करनी होगी।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि छः चयनित पंचायती राज संस्थाओं ने वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2023-24 के लिए जिला विकास योजना, ब्लॉक विकास योजना और ग्राम पंचायत विकास

योजना सहित अपनी संबंधित विकास योजनाएं तैयार नहीं की थी। इसके बावजूद, इन पंचायती राज संस्थाओं को निधियां जारी कर दी गई थी, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 2.5: विकास योजनाएं तैयार न करने वाली पंचायती राज संस्थाएं

क्र.सं.	पंचायती राज संस्था का नाम	वर्ष	प्राप्त टाइड अनुदान (₹ लाख में)
1	जिला परिषद पलवल	2021-22	147.60
2	पंचायत समिति हथीन	2021-22 एवं 2023-24	204.78 (68.55 + 136.23)
3	पंचायत समिति पलवल	2021-22	44.65
4	ग्राम पंचायत टोकस	2023-24	64.39
5	ग्राम पंचायत बालसमंद	2023-24	53.93
6	ग्राम पंचायत सरसाना	2023-24	11.65
कुल			**527.00**

निर्धारित योजनाओं को अपलोड करना टाइड अनुदान जारी करने के लिए एक अनिवार्य शर्त थी। हालांकि, इन पंचायती राज संस्थाओं ने इस आवश्यकता को पूरा किए बिना वर्ष के दौरान ऐसे अनुदान प्राप्त किए, जो दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि चयनित 77 पंचायती राज संस्थाओं ने निर्धारित पांच वर्षीय ग्राम कार्य योजना तैयार नहीं की थी।

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निर्धारित विकास योजनाओं और ग्राम कार्य योजना का तैयार न किया जाना, निर्धारित दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन को दर्शाता है।

विभाग ने बताया (अप्रैल 2026) कि वर्ष 2021-22 और 2023-24 के लिए विकास योजनाओं तथा ग्राम कार्य योजना को तैयार एवं अपलोड न कर पाना प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों की कमी और ई-ग्रामस्वराज पोर्टल के सीमित ज्ञान के कारण था। यह आश्वासन दिया गया कि सभी पंचायती राज संस्थाओं को ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर जिला विकास योजना, ब्लॉक विकास योजना और ग्राम पंचायत विकास योजना को समयबद्ध तरीके से तैयार करने और अपलोड करने को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए थे।

राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने पर विचार करे कि जिला और ग्राम कार्य योजनाएं समयबद्ध तरीके से तैयार और कार्यान्वित की जाएं।

2.6.4 ई-ग्रामस्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस दिशानिर्देशों का गैर-अनुपालन

परिचालन दिशानिर्देशों के पैरा 8 के अनुसार, सभी पंचायती राज संस्थाओं के लिए ई-ग्रामस्वराज पर ऑनलाइन खाते बनाए रखना और विक्रेताओं या सेवा प्रदाताओं को सभी भुगतान केवल ई-ग्रामस्वराज-पीएफएमएस[2] इंटरफेस के माध्यम से करना अनिवार्य था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अनिवार्य ई-ग्रामस्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस का उपयोग करने के बजाय, चयनित 10 पंचायती राज संस्थाओं ने वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान विभिन्न विक्रेताओं को चेक या नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) के माध्यम से ₹ 7.76 करोड़ ***(परिशिष्ट 2.3)*** का भुगतान किया। आगे, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि सीधे भुगतान करने के बजाय, 12 चयनित पंचायती राज संस्थाओं द्वारा विक्रेताओं या ठेकेदारों को ₹ 3.95 करोड़ का भुगतान मध्यवर्ती बैंक खातों के माध्यम से किया गया था, जिससे पारदर्शिता कम हुई और वित्तीय अनियमितताओं का जोखिम बढ़ गया, जो कि योजना के प्रावधानों के विपरीत है।

[2] सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली।

विभाग ने बताया (अप्रैल 2026) कि निर्धारित भुगतान प्रक्रिया से विचलन, ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर अनुमोदित वार्षिक कार्य योजनाओं की अनुपलब्धता और फील्ड में कार्यरत कर्मियों के मध्य जागरूकता की कमी के कारण हुआ। आगे, यह बताया गया कि सभी पंचायती राज संस्थाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि सभी भुगतान केवल ई-ग्रामस्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस के माध्यम से ही किए जाएं।

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए ई-ग्रामस्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस का पूर्ण रूप से उपयोग किया जाए।

2.6.5 जारी करने की स्वीकृति के बावजूद पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ₹ 1.48 करोड़ के पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदानों की गैर-प्राप्ति

परिचालन दिशानिर्देशों के पैरा 6 के अनुसार, भारत सरकार से पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान प्राप्त होने पर, राज्य सरकारों से यह अपेक्षित है कि वे इसे 10 कार्य दिवसों के भीतर पंचायती राज संस्थाओं को अंतरित करें। इस अवधि से अधिक के किसी भी विलंब की स्थिति में, पिछले वर्ष के बाजार उधार या राज्य विकास ऋणों पर ब्याज की औसत प्रभावी दर के आधार पर गणना करके, विलंब की अवधि के ब्याज सहित अनुदान जारी करना आवश्यक है।

जून 2020 से अगस्त 2023 के मध्य 15 ग्राम पंचायतों के लिए ₹ 1.48 करोड़ के पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान स्वीकृत किए गए थे ***(परिशिष्ट 2.4)***। तथापि, इन 15 ग्राम पंचायतों के बैंक खातों एवं रोकड़ बहियों की समीक्षा से पता चला कि स्वीकृत ₹ 1.48 करोड़ की राशि उनके बैंक खातों में प्राप्त नहीं हुई थी।

विभाग ने (अप्रैल 2026) बताया कि अनुदानों को राज्य खजाना से सीधे एक्स.एम.एल. फाइलों के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं के पंजीकृत बैंक खातों में अंतरित किया गया था तथा 15 ग्राम पंचायतों से संबंधित अस्वीकृत लेन-देनों की समीक्षा कर ली गई थी एवं तदनुसार निधियों को पुनः अंतरित कर दिया गया था।

विभाग द्वारा उपर्युक्त पंचायती राज संस्थाओं को स्वीकृत अनुदानों के पुनः अंतरण की पुष्टि हेतु पासबुक की प्रतियों, बैंक विवरणों इत्यादि समर्थित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए।

2.6.6 गैर-विकासात्मक गतिविधियों के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान से ₹ 1.91 करोड़ की कटौती

परिचालन दिशानिर्देशों के पैरा 3 (iii) में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों की प्रत्येक किस्त को बिना किसी कटौती के उनके शेयर के अनुसार सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली प्लेटफॉर्म या सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के साथ एकीकृत ई-गवर्नेंस प्रणाली पर नोडल विभाग को सूचित करते हुए सभी संबंधित पंचायती राज संस्थाओं को अंतरित करेगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारित दिशानिर्देशों के उल्लंघन में 10 चयनित पंचायत समितियों के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों द्वारा अप्रैल 2021 से मार्च 2024 के मध्य आकस्मिक व्यय प्रभारों के संबंध में पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदानों से ₹ 1.91 करोड़ की कटौती की गई ***(परिशिष्ट 2.5)***। आगे, पाया गया कि कटौती की गई राशि का उपयोग सात खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों द्वारा प्रशासनिक व्ययों के मद में किया गया, जबकि तीन खंड विकास

एवं पंचायत अधिकारियों (पलवल, नरवाना एवं शाहबाद) द्वारा कटौती की गई राशि के उपयोग से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए।

विभाग ने स्वीकार (अप्रैल 2026) किया कि प्रशासनिक व्ययों के मद में की गई कटौतियां अनियमित थी तथा आगे बताया कि ऐसी कटौतियों का आकलन करने हेतु विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं एवं बिना किसी कटौती के पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदानों का पूर्ण अंतरण सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। संबंधित ग्राम पंचायतों को ₹ 1.91 करोड़ की राशि वापस करने का निर्देश दिया गया था और उत्तरदायित्व निर्धारण की कार्रवाई की जा रही थी तथा अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने के मामलों की भी जांच की जा रही थी।

2.6.7 पब्लिक डोमेन पर अनंतिम और लेखापरीक्षित खातों की अनुपलब्धता

परिचालन दिशानिर्देशों के पैरा 5(ए)(i) में प्रावधान है कि वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 के लिए कम से कम 25 प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं के पिछले वर्ष के अनंतिम खाते एवं पिछले वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष के लेखापरीक्षित खाते दोनों ऑनलाइन पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध होना अनिवार्य है। वर्ष 2023-24 से यह अनिवार्यता समस्त पंचायती राज संस्थाओं पर लागू होती है। इन खातों तक पहुंच न केवल पब्लिक डोमेन पर अपितु ई-ग्रामस्वराज पर भी होना अनिवार्य है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित पंचायती राज संस्थाओं के लिए 2021-22 से 2023-24 के अनंतिम और लेखापरीक्षित खाते पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध नहीं थे। यह लागू दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन के साथ-साथ निगरानी और नियंत्रण प्रणाली की कमियों को भी दर्शाता है।

विभाग ने बताया (अप्रैल 2026) कि पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों के खातों के समयबद्ध लेखापरीक्षा और रखरखाव की सुविधा के लिए ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन विकसित किया है।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन की उपलब्धता से यह सुनिश्चित नहीं होता कि दिशानिर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित अनंतिम एवं लेखापरीक्षित खाते पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध थे।

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिए कि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा वित्त आयोग के अनुदान प्राप्त करने से पूर्व अपेक्षित अनंतिम एवं लेखापरीक्षित खातों को पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध कराया जाए।

2.6.8 परिसंपत्ति एवं कार्य रजिस्टरों और परियोजना डिस्प्ले बोर्ड का गैर-रखरखाव

हरियाणा पंचायती राज नियमावली, 1995 के नियम 12 के अनुसार, ग्राम पंचायतों के लिए परिसंपत्ति एवं कार्य रजिस्टरों का रखरखाव करना अपेक्षित है। आगे, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा (सितंबर 2021 में) एक निर्देश जारी कर परियोजना स्थलों पर डिस्प्ले बोर्ड को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया था, ताकि वित्तपोषक प्राधिकरण का संज्ञान लिया जा सके तथा परियोजना के मुख्य विवरण प्रदान कर पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित पंचायती राज संस्थाओं में से किसी ने भी 2021-22 से 2023-24 के दौरान निर्धारित परिसंपत्ति और कार्य रजिस्टरों का रखरखाव नहीं किया। इन रजिस्टरों के अभाव में, लेखापरीक्षा पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदानों से सृजित परिसंपत्तियों की उपलब्धता, स्थिति और उपयोग आदि के संबंध में कोई आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकी। इसके अतिरिक्त, पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा वित्तपोषित किसी भी परियोजना स्थल पर कोई प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड नहीं पाया गया, जिससे मंत्रालय के निर्देश का उल्लंघन हुआ।

विभाग ने बताया (अप्रैल 2026) कि सभी पंचायती राज संस्थाओं को निर्धारित प्रारूप में परिसंपत्ति और कार्य रजिस्टरों का रखरखाव करने, सृजित सभी परिसंपत्तियों के विवरण दर्ज करने और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सभी परियोजना स्थलों पर अनिवार्य रूप से डिस्प्ले बोर्ड लगाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

2.6.9 पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदानों में से ₹ 1.73 करोड़ का अस्वीकार्य व्यय

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार ने बताया (अगस्त 2021) कि पंद्रहवें वित्त आयोग के अनटाइड अनुदानों का उपयोग केवल आधारभूत सेवा प्रदायगी में सुधार तथा सामुदायिक परिसंपत्तियों के प्रचालन एवं रखरखाव हेतु ही किया जाएगा तथा अभिनंदन समारोहों, राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए आधार तैयार करने, सजावटों, स्वागत द्वारों, उद्घाटनों अथवा पंचायतों के कार्यक्षेत्र से बाहर की गतिविधियों पर किए जाने वाले व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया जाता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 29 चयनित पंचायती राज संस्थाओं ने 2021-22 से 2023-24 के दौरान विभिन्न अस्वीकार्य मदों पर ₹ 1.73 करोड़ ***(परिशिष्ट 2.6)*** के पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान का उपयोग किया, जिसमें कोऑपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड में आरओ यूनिट और बायो-टॉयलेट लगाना, निजी स्कूलों में वाटर कूलर लगाना, सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए टेंट और सजावट की सामग्री किराए पर लेना, गांवों में स्वागत द्वार/पंचायत समिति सदस्यों के आवासों के लिए बोर्ड लगाना, ईपीएफओ जुर्माने का भुगतान करना, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का आयोजन करना, कार्यालय भवन का नवीनीकरण करना आदि शामिल हैं।

विभाग ने बताया (अप्रैल 2026) कि ऐसे मामलों के सत्यापन, उत्तरदायित्व तय करने और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, अस्वीकार्य व्यय की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है और नियमों के अनुपालन व क्षमता निर्माण के उपाय किए गए हैं।

राज्य सरकार को संहिता प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और अनियमितताओं को रोकने के लिए वित्तीय नियंत्रण को सुदृढ़ करना चाहिए।

2.6.10 बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

विभाग द्वारा (जून 2020 से मार्च 2024 तक) पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान जारी करने के लिए जारी स्वीकृति आदेशों के अनुसार, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित समय सीमा के भीतर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2020-21 से 2023-24 की अवधि के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान के ₹ 144.66 करोड़ ***(परिशिष्ट 2.7)*** के उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित पंचायती राज संस्थाओं द्वारा मार्च 2024 तक प्रस्तुत नहीं किए गए थे। उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के अभाव में, लेखापरीक्षा इन अनुदानों के उपयोग के संबंध में कोई आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकी।

विभाग ने उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को विलंब से प्रस्तुत करने का कारण खातों के संकलन, मिलान और समेकन में हुए विलंब को बताया (अप्रैल 2026)। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि संबंधित पंचायती राज संस्थाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राथमिकता के आधार पर लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र तैयार करने और प्रस्तुत करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

2.6.11 निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन किए बिना खरीद - ₹ 6.90 करोड़

खरीद प्रक्रियाओं में एकरूपता लाने तथा खरीद प्रणालियों में दक्षता एवं पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से, हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया (जून 2015) कि सरकारी विभागों द्वारा वस्तुओं व स्टोर, कार्यों और सेवाओं की सभी खरीद एक ही वेब पोर्टल का उपयोग करके की जानी चाहिए तथा निर्देश दिया कि सभी विभाग जुलाई 2015 तक ई-टैंडरिंग प्रणाली अपनाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त, सरकार ने राज्य में स्टोर/वस्तुओं/कार्यों/सेवाओं की खरीद के प्रत्येक मामले में (आदेश के विभाजन के बिना), ई-टैंडरिंग के लिए न्यूनतम सीमा मूल्य ₹ एक लाख निर्धारित किया (जून 2016)।

विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा डस्टबिन, आरसीसी बेंच, आरओ, सीसीटीवी कैमरे और वाटर कूलर आदि की खरीद के लिए जारी दिशानिर्देशों (फरवरी 2020) के अनुसार, सभी वस्तुओं की दरें संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति द्वारा खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से तय की जाएंगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 24 पंचायती राज संस्थाओं ने ई-टेंडर आमंत्रित किए बिना, कोटेशन के माध्यम से की गई खरीद और कार्यों पर ₹ 4.55 करोड़ ***(परिशिष्ट 2.8)*** का व्यय किया, जबकि ₹ 2.35 करोड़ ***(परिशिष्ट 2.9)*** की राशि एचडी सीसीटीवी कैमरे, आरसीसी बेंच और वॉटर कूलर सहित आरओ सिस्टम जैसी वस्तुओं पर उचित प्रक्रियाओं, जैसे कि गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) के माध्यम से खरीद, जिला स्तरीय क्रय समितियों का गठन आदि, का अनुपालन किए बिना व्यय की गई।

विभाग ने (अप्रैल 2026) बताया कि खरीद मानदंडों में यह विचलन अद्यतित दिशानिर्देशों की जानकारी के अभाव और कार्यों को पूरा करने की तात्कालिकता के कारण हुआ तथा पंचायती राज संस्थाओं को ई-टेंडरिंग सीमा, जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद और जिला-स्तरीय क्रय समितियों के गठन सहित खरीद दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने के सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अद्यतित दिशानिर्देशों की जानकारी न होना और कथित इमरजेंसी का संदर्भ देना, निर्धारित खरीद मानदंडों के उल्लंघन को उचित सिद्ध नहीं कर सकता है।

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी खरीद गतिविधियां निर्धारित खरीद प्रक्रियाओं के अनुसार ही संचालित की जाएं।

2.6.12 पंचायतों के भंग होने के बावजूद पूर्व सरपंचों द्वारा पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान से ₹ 23.77 लाख का आहरण

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18(2) यह प्रावधान करती है कि खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी चुनाव कार्यक्रम के प्रकाशन से सात दिन पहले या निलंबन/हटाए जाने पर निवर्तमान सरपंच/पंच से ग्राम पंचायत के अभिलेख, रजिस्टर आदि अपने कब्जे में ले लेगा। इसके अतिरिक्त, धारा 18(3) की शर्त के अनुसार चार्ज सौंपने में विफल रहने की स्थिति में, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ऐसे अभिलेख सुरक्षित करने के लिए मामले की रिपोर्ट कार्यकारी मजिस्ट्रेट को करेगा। हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखापरीक्षा, कराधान और कार्य नियमावली, 1996 के नियम 11 के अनुसार, सरपंच द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक रोकड़ रखने पर 21 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा।

फरवरी 2021 में, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को अधिनियम की धारा 52(2) के तहत सभी ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया गया था और उन्हें 23 फरवरी 2021 से कम से कम सात दिन पहले कार्यभार संभालने का निर्देश दिया गया था।

ग्राम पंचायत रेहड़ाना और जोधपुर (पंचायत समिति पलवल) के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि ये पंचायती राज संस्थाएं 12 फरवरी 2021 से खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में थीं। हालांकि, इसके बावजूद, इन पंचायती राज संस्थाओं के पूर्व सरपंचों ने 26 सितंबर 2022 से 01 दिसंबर 2022 की अवधि के दौरान पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान खातों से ₹ 23.77 लाख की नकद राशि आहरित की, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.6: एटीएम/डेबिट कार्ड के माध्यम से बैंकों से नकद आहरण का विवरण

(राशि ₹ लाख में)

ग्राम पंचायत का नाम	एटीएम के माध्यम से आहरित राशि	वसूली गई राशि	शेष राशि
रेहड़ाना	16.62	14.30	2.32
जोधपुर	7.15	7.15	0.00
कुल	**23.77**	**21.45**	**2.32**

यह प्रशासकों के अधीन पंचायती राज संस्थाओं के आंतरिक नियंत्रण और निगरानी प्रणाली में कमियों को दर्शाता है। यह दर्शाना महत्वपूर्ण है कि कुल ₹ 23.77 लाख के आहरण में से ₹ 21.45 लाख की राशि वसूल कर ली गई है, अगस्त 2024 की स्थिति के अनुसार ग्राम पंचायत रेहड़ाना के संबंध में 2.32 लाख की शेष राशि वसूलनीय रह गई है।

विभाग ने बताया (अप्रैल 2026) कि अभिलेख अपनी कस्टडी में लेने में विफलता के कारण, उत्तरदायित्व तय करने के लिए एक विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं तथा वैधानिक प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन करने, चार्ज न सौंपने के मामलों की रिपोर्ट करने और कानूनी कार्रवाई शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। पूर्व सरपंचों से आंशिक रूप से वसूलियां प्राप्त कर ली गई थी और ब्याज सहित शेष राशि की वसूली के प्रयास जारी थे।

2.6.13 स्वीकृति प्राप्त किए बिना किए गए भुगतान

हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखापरीक्षा, कराधान और कार्य नियमावली, 1996 के नियम 57 के अनुसार, पंचायत द्वारा किए गए प्रत्येक भुगतान के लिए एक अलग स्वीकृति प्राप्त की जानी अपेक्षित है और ऐसी स्वीकृति को संबंधित वाउचर के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है। नियम 136 यह अनिवार्य करता है कि जब कार्य दैनिक मजदूरी के माध्यम से निष्पादित किए जाते हैं, तो एक मस्टर रोल का रखरखाव किया जाना अनिवार्य है, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत पारित हो तथा प्रत्येक श्रमिक को किए गए भुगतान की स्वीकृति मस्टर रोल पर हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान द्वारा ली जानी चाहिए। किसी भी अदत्त मद को बकाया रजिस्टर में दर्ज किया जाना अपेक्षित है और छः महीने के भीतर उसका निपटान किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जिला परिषद जींद ने अगस्त 2021 में निर्धारित स्वीकृति प्राप्त किए बिना पांच श्रमिकों को ₹ 31,300 का भुगतान किया, जबकि ग्राम पंचायत करसिंधु ने अक्तूबर 2023 में स्वीकृति प्राप्त किए बिना छः श्रमिकों (जिनमें चार अज्ञात श्रमिक शामिल थे) को ₹ 42,205 का भुगतान किया ***(परिशिष्ट 2.10)***। यह आंतरिक नियंत्रण और निगरानी प्रणाली के अभाव को दर्शाता है।

विभाग ने बताया (अप्रैल 2026) कि भुगतानों की वास्तविकता का पता लगाने के लिए मस्टर रोल और अभिलेखों के विस्तृत सत्यापन के आदेश दे दिए गए हैं, चूक के लिए उत्तरदायित्व तय किया जा रहा है और अनियमितताएं स्थापित होने पर वसूली तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाएगी।

2.6.14 समर्थित बिलों के बिना किए गए भुगतान

हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखापरीक्षा, कराधान और कार्य नियमावली, 1996 के नियम 54 और 58 यह अनिवार्य करते हैं कि प्रत्येक भुगतान के लिए समर्थित बिल/वाउचर होना अपेक्षित है जिसमें पूर्ण विवरण और उचित खाता वर्गीकरण शामिल हो। जहां कोई दावेदार बिल प्रस्तुत नहीं करता है, वहां पंचायत को निर्धारित प्रपत्र में बिल तैयार करना होगा और दावेदार के दस्तावेज को उप-वाउचर के रूप में संलग्न करना होगा। नियम 58 में अपेक्षित है कि मूल वाउचर का पता लगाने में सक्षम बनाने के लिए चेक के काउंटरफॉइल पर बिल का क्रॉस-रेफरेंस दर्ज किया जाए।

लेखापरीक्षा की जांच के बावजूद, पंचायती राज संस्थाओं ***(परिशिष्ट 2.11)*** ने विभिन्न विक्रेताओं को किए गए ₹ 42.37 लाख के भुगतान के संबंध में बिल या वाउचर उपलब्ध नहीं कराए। तदनुसार, लेखापरीक्षा उक्त भुगतान की वास्तविकता और सटीकता के संबंध में कोई आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकी।

विभाग ने बताया (अप्रैल 2026) कि प्रामाणिकता और स्वीकार्यता को सत्यापित करने के लिए ऐसे भुगतानों की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं तथा समर्थित दस्तावेजों के बिना किए गए भुगतानों के लिए उत्तरदायित्व तय किया जा रहा था। मिसिंग वाउचर प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे थे, ऐसा न होने पर इन व्ययों को अनियमित माना जाएगा और आवश्यकतानुसार वसूली की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

2.6.15 विभिन्न कार्यों पर समान व्यक्तियों का एक साथ नियोजन तथा मस्टर रोल के माध्यम से अनियमित भुगतान

हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखापरीक्षा, कराधान और कार्य नियम, 1996 के नियम 136(1) के अनुसार, जिन मामलों में कार्य दैनिक मजदूरी श्रमिकों के माध्यम से कराया जाता है, वहां कार्य के प्रभारी व्यक्ति को प्रपत्र LXII में मस्टर रोल का रखरखाव करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, श्रमिकों को सभी भुगतान केवल तभी किए जाने चाहिए जब मस्टर रोल सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित कर दिया गया हो।

जिला परिषद यमुनानगर और पंचायत समिति पेहोवा के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि समान अवधि के दौरान पांच श्रमिकों को एक ही समय में अलग-अलग कार्यों में लगा हुआ दर्शाया गया था। इन एक ही समय पर होने वाले नियोजनों के लिए भुगतान समान बैंक खातों में या मस्टर रोल के माध्यम से किए गए थे, जिसके कारण पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान से ₹ 23,524 ***(परिशिष्ट 2.12)*** की मजदूरी का भुगतान हुआ।

विभाग ने बताया (अप्रैल 2026) कि मस्टर रोल और भुगतानों की वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अनुचित सत्यापन के लिए उत्तरदायित्व तय किया जा रहा था और ₹ 23,524 के अतिरिक्त भुगतान की वसूली शुरू कर दी गई थी।

2.7 सेवाओं की प्रदानगी

2.7.1 वर्षा जल संचयन और सोख्ता गड्ढे के लिए अकार्यशील प्रणालियां

पंचायती राज संस्थाओं को जल एवं स्वच्छता के लिए दिए जाने वाले पंद्रहवें वित्त आयोग के टाइड अनुदानों के उपयोग की नियमावली के अनुबंध-V की मद 3 में सूचीबद्ध सेवा स्तर के मानदंडों के अनुसार, स्रोत स्थायित्व के अतिरिक्त संकेतकों में भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण शामिल है।

59 ग्राम पंचायतों में से केवल 20[3] ग्राम पंचायतों में भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया गया था। हालांकि, संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया कि चार चयनित ग्राम पंचायतों में निर्मित चार वर्षा जल संचयन प्रणालियां अकार्यशील थी। इसके अतिरिक्त, पंचायत समिति हथीन और छः ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मित 47 सोख्ता गड्ढों में से 45 सोख्ता गड्ढे अत्यधिक खरपतवार उगने और मिट्टी के जमाव के कारण अकार्यशील पाए गए ***(परिशिष्ट 2.13)***।

इस प्रकार, भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का अकार्यशील होना यह दर्शाता है कि स्रोत स्थायित्व के उपायों पर किया गया व्यय इच्छित परिणाम देने में विफल रहा। यह पंद्रहवें वित्त आयोग के दिशानिर्देशों के तहत परिकल्पित स्थायी जल संसाधन प्रबंधन के उद्देश्य को भी विफल करता है।

विभाग ने बताया (अप्रैल 2026) कि ग्राम पंचायतों को वर्षा ऋतु से पहले वर्षा जल संचयन संरचनाओं और सोख्ता गड्ढों का रखरखाव करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि वर्षा जल का अधिकतम संचयन और भूजल पुनर्भरण सुनिश्चित किया जा सके।

2.7.2 ग्रे-वाटर का अनुचित निपटान और अकार्यशील ग्रे-वाटर प्रबंधन परियोजना

पंद्रहवें वित्त आयोग के टाइड अनुदान के उपयोग की नियमावली के अनुच्छेद 5.2 के अनुसार, ग्राम पंचायतों के लिए ग्रे-वाटर के उपचार और उसके पुनः उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना तथा यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि बिना उपचारित किया गया ग्रे-वाटर जल निकायों या नदियों में न बहाया जाए।

चयनित ग्राम पंचायतों में संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि सभी चयनित ग्राम पंचायतों में बिना उपचारित किया गया ग्रे-वाटर सीधे जल निकायों और नहरों में बहाया जा रहा था, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है।

ग्राम पंचायत कंडेला (जींद ब्लॉक) द्वारा सीधे नहर में बहाए जा रहे ग्रे-वाटर को **दर्शाता चित्र**

गांव बबैन, कुरुक्षेत्र में भूजल के साथ ग्रे-वाटर के मिश्रण को रोकने के उद्देश्य से, पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान से ₹ 13.53 लाख की लागत से एक तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना (राइस हस्क सिस्टम) का निर्माण (नवंबर 2022) किया गया था। हालांकि, संयुक्त भौतिक निरीक्षण

[3] ग्राम पंचायत बधावड़, बालसमंद, छत्तर, चिरवाड़ी, दड़आ माजरी, दोहाना खेड़ा, जुड्डा जट्टान, खड़क पूनिया, करसिंधु, कुचराना कलां, मलूका, माखंड, मतलौडा, नलवी, रेहड़ाना, राजगढ़ ढाणी, सरसाना, सुधपुर, ताराका और तेओड़ा।

(जनवरी 2025) के दौरान यह पाया गया कि रखरखाव और स्वच्छता के अभाव के कारण यह परियोजना अकार्यशील थी।

विभाग ने बताया (अप्रैल 2026) कि इंजीनियरिंग विंग द्वारा उपचार और सिंचाई में पुनः उपयोग के लिए फाइटोरिड तकनीक का उपयोग करके ग्रे-वाटर प्रबंधन परियोजनाएं शुरू की गई थी तथा सभी ग्राम पंचायतों को चरणबद्ध तरीके से इसके अंतर्गत शामिल किया जाना था।

2.7.3 सार्वजनिक शौचालयों का गैर-रखरखाव

पंचायती राज संस्थाओं को दिए जाने वाले पंद्रहवें वित्त आयोग के टाइड अनुदानों के उपयोग की नियमावली के अनुबंध-III के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छता संबंधी कार्यों/गतिविधियों की संकेतात्मक सूची में सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण तथा संचालन एवं रखरखाव का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, परिचालन दिशानिर्देशों का पैरा 7(ii) यह प्रावधान करता है कि टाइड अनुदानों का 50 प्रतिशत हिस्सा स्वच्छता की आधारभूत सेवाओं और खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ)[4] स्थिति को बनाए रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है, तथा इसमें घरेलू कचरे का प्रबंधन व उपचार, मानव मल और मलमूत्र कीचड़ प्रबंधन शामिल होना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि विभिन्न योजनाओं के तहत 15[5] पंचायती राज संस्थाओं द्वारा 243 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया था। हालांकि, पानी के कनेक्शन न होने, टूटे हुए उपकरणों अथवा खराब रखरखाव के कारण निम्नलिखित सार्वजनिक शौचालय अकार्यशील थे:

- सरस्वती नगर (जिला परिषद यमुनानगर) में ₹ 1.78 लाख की लागत से निर्मित सामुदायिक शौचालयों का उपयोग पानी के कनेक्शन के अभाव के कारण नहीं किया जा रहा था, जबकि विभिन्न योजनाओं के तहत ग्राम पंचायत दुधला, अमादलपुर (यमुनानगर) और ईक्कास (जींद) में बनाए गए सामुदायिक शौचालयों का रखरखाव नहीं किया गया था।

ग्राम ईक्कास, ब्लॉक जींद, जिला जींद में सार्वजनिक शौचालयों की जर्जर स्थिति को **दर्शाता चित्र**

- जिला परिषद पलवल ने विभिन्न स्थानों पर 130 बायो-टॉयलेट की स्थापना पर ₹ 2.28 करोड़ का व्यय किया। हालांकि, संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान ₹ 21.03 लाख की लागत के 12 बायो-टॉयलेट (पलवल जिले की ग्राम पंचायत मंडकोला में नौ, छायंसा में दो और अहेरवां में एक) अकार्यशील पाए गए। लेखापरीक्षा में पाया कि 38 ग्राम पंचायतों में 143 चौपालें बिना शौचालय सुविधाओं के संचालित हो रही थी ***(परिशिष्ट 2.14)***।

विभाग ने बताया (अप्रैल 2026) कि सार्वजनिक शौचालयों के उचित संचालन और रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायतों को अपेक्षित निर्देश जारी कर दिए गए हैं तथा जिला

---

4 ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त): एक ऐसी स्थिति जहाँ कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता है, और सभी व्यक्ति सुरक्षित एवं स्वच्छ शौचालय सुविधाओं का उपयोग करते हैं, जिससे उचित स्वच्छता और पर्यावरणीय स्वच्छता सुनिश्चित होती है।

5 जिला परिषद जींद, कुरुक्षेत्र, पलवल, पंचायत समिति हिसार-II, शाहबाद, ग्राम पंचायत अमादलपुर, आर्य नगर, दुधला, इक्कस, कंडेला, लड़माकी, मय्यड़, रामगढ़ रोड़, तलवंडी राणा और तेवड़ा।

परिषदों को प्राथमिकता के आधार पर निगरानी करने और अकार्यशील शौचालयों को चालू करने के निर्देश दिए गए हैं।

2.7.4 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में कमियां

पंद्रहवें वित्त आयोग के टाइड अनुदानों के उपयोग की नियमावली के अनुबंध-III (अनुच्छेद बी) में गतिविधियों की संकेतात्मक सूची के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं को ग्राम स्तर पर ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण और प्रसंस्करण के लिए प्रणालियां स्थापित करनी थी।

ग्राम मुर्तजापुर, ब्लॉक पेहोवा, जिला कुरुक्षेत्र में अपृथक्कृत कचरे के डंपिंग जमाव को **दर्शाता चित्र**

लेखापरीक्षा ने पाया कि डोर-टू-डोर से ठोस अपशिष्ट संग्रहण की सुविधा केवल पांच[6] ग्राम पंचायतों में ही उपलब्ध थी। विभिन्न योजनाओं के तहत 15 ग्राम पंचायतों ***(परिशिष्ट 2.15)*** में पृथक्करण शेड का निर्माण किया गया था, हालांकि, इसका उपयोग केवल एक ग्राम पंचायत भिखेवाला (नरवाना ब्लॉक) में ही किया जा रहा था। अन्य सभी ग्राम पंचायतों में पृथक्करण शेड अकार्यशील पाए गए। इस प्रकार, ठोस अपशिष्ट के संग्रहण न होने और उसके अनुचित निपटान के कारण सार्वजनिक स्थानों पर कचरे का संचय हुआ, जिससे अस्वच्छ परिस्थितियां उत्पन्न हुई और निवासियों के लिए संभावित स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा हुए, जिससे अंततः स्वच्छता सेवाओं के प्रदानगी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

विभाग ने बताया (अप्रैल 2026) कि ग्राम पंचायतों को डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण शुरू करने, विद्यमान अवसंरचना का उपयोग करने, पृथक्करण प्रथाओं को सुदृढ़ करने और परिसंपत्तियों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए गए थे।

2.7.5 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का अभाव

पंद्रहवें वित्त आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं को दिए जाने वाले कुल अनुदान का 30 प्रतिशत हिस्सा स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखने के लिए निर्धारित करने की सिफारिश की थी, जिसमें घरेलू कचरे और मलमूत्र कीचड़ का प्रबंधन शामिल है। पंद्रहवें वित्त आयोग के टाइड अनुदान के उपयोग की नियमावली में प्लास्टिक अपशिष्ट पृथक्करण और स्टोरेज इकाइयां, गांवों/ब्लॉकों के एक समूह के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयां तथा प्लास्टिक अपशिष्ट के परिवहन के लिए वाहनों का संचालन एवं रखरखाव जैसी गतिविधियां शामिल हैं।

ग्राम मोहनपुर, ब्लॉक शाहबाद, जिला कुरुक्षेत्र के तालाब में तैरते हुए प्लास्टिक कचरे को **दर्शाता चित्र**

लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित ग्राम पंचायत में प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रहण और प्रबंधन प्रणाली विद्यमान नहीं थी। संयुक्त भौतिक निरीक्षण से ज्ञात हुआ कि 59 ग्राम पंचायतों में से 30 ग्राम पंचायतों के तालाबों में प्लास्टिक कचरा तैर रहा था। इसके अलावा, सड़कों के किनारों पर भी प्लास्टिक कचरा बिखरा हुआ पाया गया ***(परिशिष्ट 2.16)***।

---

6 ग्राम पंचायत आर्य नगर, भिखेवाला, दरुआ माजरी, नलवी और सुधपुर।

विभाग ने बताया (अप्रैल 2026) कि निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार प्लास्टिक कचरे के संग्रहण, पृथक्करण और सुरक्षित निपटान के लिए प्रणाली स्थापित करने हेतु ग्राम पंचायतों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए थे।

2.8 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर पंद्रहवें केंद्रीय वित्त आयोग की निधियों से होने वाले समग्र उपयोग, प्रबंधन और सेवाओं की प्रदानगी से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों को प्रकट किया। पर्याप्त निधियों की उपलब्धता के बावजूद इनका उपयोग कम रहा, जिसके परिणामस्वरूप अनुप्रयुक्त शेष का संचय हुआ, अनुमोदित गतिविधियों का गैर-निष्पादन हुआ और स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन जैसी आधारभूत सेवाओं के इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने में कमी रही। परिचालन दिशानिर्देशों और वैधानिक प्रावधानों के गैर-अनुपालन के मामले पाए गए, जिनमें विकास योजनाएं तैयार न करना, खातों एवं अभिलेखों का अनुचित रखरखाव, अनियमित रूप से राशि जारी करना तथा अस्वीकार्य व्यय और निर्धारित ई-ग्रामस्वराज-पीएफएमएस प्रक्रियाओं का अनुपालन न करना शामिल था। इसके अतिरिक्त, आंतरिक नियंत्रणों में कमियों के मामले भी सामने आए, जिसके परिणामस्वरूप भुगतान और अनधिकृत आहरण हुए।

यह केंद्रीय वित्त आयोगों सहित विभिन्न स्रोतों से स्थानीय निकायों को अंतरित निधियों के कुशल और पारदर्शी उपयोग के लिए आंतरिक नियंत्रणों और निगरानी प्रणालियों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

2.9 सिफारिशें

राज्य सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:

- *संहिता प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और अनियमितताओं को रोकने के लिए वित्तीय नियंत्रण को सुदृढ़ करना चाहिए।*
- *जिला और ग्राम कार्य योजनाएं समयबद्ध तरीके से तैयार और कार्यान्वित की जानी चाहिए।*
- *पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए ई-ग्रामस्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस का पूर्ण रूप से उपयोग किया जाना चाहिए।*
- *सभी खरीद गतिविधियां निर्धारित खरीद प्रक्रियाओं के अनुसार ही संचालित की जानी चाहिए।*

अध्याय III

शहरी स्थानीय निकायों की कार्य आधारित लेखापरीक्षा

अध्याय III

शहरी स्थानीय निकायों की कार्य आधारित लेखापरीक्षा

3.1 प्रस्तावना

कार्य-आधारित लेखापरीक्षा, भारत के संविधान की बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यों में से राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों के संबंध में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा सेवा प्रदानगी की प्रभावशीलता और गुणवत्ता के मूल्यांकन पर केंद्रित होती है। यह लेखापरीक्षा इस बात का आकलन करती है कि नागरिकों को सेवाएं कितनी बेहतर तरीके से प्रदान की जा रही हैं, साथ ही यह शहरी शासन में प्रणालीगत समस्याओं और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करती है।

शहरी स्थानीय निकायों की कार्य-आधारित लेखापरीक्षा के लिए वर्ष 2022-23[1] में दो कार्यों अर्थात मवेशी बाड़ों, मवेशियों के प्रति क्रूरता का निवारण और स्ट्रीटलाइटिंग तथा 2023-24 में एक कार्य अर्थात बूचड़खानों और चर्मशोधन कारखानों के विनियमन का चयन किया गया था। शहरी स्थानीय निकायों का मवेशी बाड़ों, मवेशियों के प्रति क्रूरता का निवारण और बूचड़खानों एवं चर्मशोधन कारखानों के विनियमन के कार्यों पर पूर्ण क्षेत्राधिकार है, जबकि स्ट्रीटलाइटिंग के कार्य में राज्य के विभागों के साथ क्षेत्राधिकार की अतिव्यापी विद्यमान थी।

3.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा के लिए चार जिलों अर्थात पानीपत व फतेहाबाद और करनाल व सिरसा का रैंडम रूप से चयन किया गया था, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 3.1: चयनित शहरी स्थानीय निकायों का विवरण

जिला	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	शहरी स्थानीय निकायों की संख्या	चयनित शहरी स्थानीय निकायों के नाम	चयनित कार्य
कार्य-आधारित लेखापरीक्षा: 2022-23				
फतेहाबाद	नगर परिषद	2	फतेहाबाद और टोहाना	मवेशी बाड़ों, मवेशियों के प्रति क्रूरता का निवारण और स्ट्रीटलाइटिंग
	नगरपालिका	1	भूना	
पानीपत	नगर निगम	1	पानीपत	
	नगरपालिका	1	समालखा	
कार्य-आधारित लेखापरीक्षा: 2023-24				
सिरसा	नगर परिषद	2	सिरसा और मंडी डबवाली	बूचड़खानों और चर्मशोधन कारखानों का विनियमन।
	नगरपालिका	1	ऐलनाबाद	
करनाल	नगर निगम	1	करनाल	
	नगरपालिका	2	इंद्री और निसिंग	

लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में चयनित शहरी स्थानीय निकायों में प्रासंगिक अभिलेखों की संवीक्षा और विश्लेषण, संयुक्त भौतिक सत्यापन करना तथा लेखापरीक्षा निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए दस्तावेजी और साक्ष्य प्रमाणों को एकत्र करना शामिल था।

3.3 लेखापरीक्षा के मानदंड

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर बेंचमार्क किया गया है:

- हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973

[1] लेखापरीक्षा अवधि 2023-24 को शामिल करने के लिए अद्यतित किया गया।

- हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994
- मवेशियों के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960
- मवेशी जन्म नियंत्रण (डॉग्स) नियम, 2001 (2023 में यथा संशोधित)
- हरियाणा नगरपालिका (बूचड़खानों का विनियमन) उप-विधियां, 1977
- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981

3.4 चयनित कार्यों का अवलोकन

चयनित कार्यों में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका और कार्य नीचे दर्शाए गए हैं:

स्ट्रीटलाइटिंग: हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 66ए के अनुसार, नगरपालिकाएं एक अनिवार्य नागरिक सेवा के रूप में स्ट्रीट लाइट प्रदान करने और उसका रखरखाव करने के लिए उत्तरदायी हैं। नगरपालिकाओं से यह अपेक्षित है कि वे सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर स्ट्रीट लाइट लगाएं, उनका संचालन और रखरखाव करें, सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करें, अवसंरचना की योजना बनाएं, ऊर्जा-कुशल प्रणालियों को अपनाएं और समय पर मरम्मत का कार्य करें तथा साथ ही विश्वसनीय लाइटिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

मवेशी बाड़े: हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 और मवेशी क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत नगरपालिकाएं मवेशी बाड़ों को विनियमित करती हैं और मवेशियों के प्रति क्रूरता को रोकती हैं, आवारा मवेशियों के लिए जब्ती सुविधाओं की स्थापना और रखरखाव करती हैं तथा मानवीय व्यवहार, चारा-पानी और शेल्टर सुनिश्चित करती हैं। वे मवेशी कल्याण और शहरी स्वच्छता के लिए भी अनुपालन सुनिश्चित करती हैं, निरीक्षण सुविधाओं का प्रबंधन करती हैं और उल्लंघन के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करती हैं।

बूचड़खाने और चर्मशोधन कारखाने: हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 66ए के अनुसार, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता और मवेशी कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बूचड़खानों की स्थापना और उनका विनियमन करना नगरपालिकाओं का उत्तरदायित्व है। नगरपालिकाएं केवल स्वीकृत परिसरों में ही पशुवध की अनुमति देती हैं, लाइसेंस जारी करती हैं, मवेशी चिकित्सकीय निरीक्षण सुनिश्चित करती हैं, स्वच्छता एवं अपशिष्ट निपटान का रखरखाव करती हैं और मानवीय व्यवहार को लागू करती हैं; इसके साथ ही वे सुरक्षित मांस की आपूर्ति और पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित करती हैं।

3.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.5.1 स्ट्रीटलाइटिंग संबंधी लेखापरीक्षा निष्कर्ष

पानीपत और फतेहाबाद के शहरी स्थानीय निकायों में स्ट्रीटलाइटिंग के कार्य की लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई कमियां नीचे दी गई हैं।

3.5.1.1 केंद्रीकृत नियंत्रण और निगरानी प्रणाली के गैर-कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप स्ट्रीटलाइटिंग सेवाओं की बहाली में विलंब

केंद्रीकृत नियंत्रण और निगरानी प्रणाली (सीसीएमएस) पैनल, लाइटिंग संचालन की रिमोट निगरानी की सुविधा प्रदान करती है जैसे कि लाइटों को चालू या बंद करना, उनकी रोशनी को धीमा करना और ऊर्जा की खपत को ट्रैक करना। यह पैनल वास्तविक समय का डेटा भी प्रदान करते हैं और ओवर/अंडर वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट या अन्य गड़बड़ियों जैसी समस्याओं के लिए स्वचालित रूप से खराबी की रिपोर्ट कर सकते हैं या अलर्ट भेज सकते हैं।

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने सभी शहरी स्थानीय निकायों को स्मार्ट लाइटिंग प्रणाली की निगरानी के लिए केंद्रीकृत नियंत्रण और निगरानी प्रणाली पैनल स्थापित करने और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाने के संबंध में एक विस्तृत योजना और अनुमान तैयार करने के निर्देश जारी (मई 2023) किए थे। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि दो वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद अक्तूबर 2025 तक चयनित पांच शहरी स्थानीय निकायों अर्थात नगर निगम, पानीपत, नगरपालिका समालखा, नगर परिषद फतेहाबाद, नगर परिषद टोहाना और नगरपालिका भूना में केंद्रीकृत नियंत्रण और निगरानी प्रणाली पैनल को लागू नहीं किया गया है।

नगर निगम, पानीपत और नगरपालिका, समालखा ने बताया (अक्तूबर 2025) कि केंद्रीकृत नियंत्रण और निगरानी प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अंतिम रूप दिया जा रहा है जबकि फतेहाबाद के तीनों चयनित शहरी स्थानीय निकायों ने इसकी स्थापना न होने का कारण निधियों की कमी को बताया।

यह देखते हुए कि केंद्रीकृत नियंत्रण और निगरानी प्रणाली बेहतर दक्षता, विश्वसनीयता और निगरानी को सक्षम बनाती है, इसके कार्यान्वयन न होने से रिमोट निगरानी, समय पर खराबी का पता लगाने, ऊर्जा की खपत को ट्रैक करने और स्ट्रीटलाइटों के स्वचालित संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; जिससे स्ट्रीटलाइटिंग के संबंध में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा दी जाने वाली सेवा की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

3.5.1.2 स्ट्रीटलाइटिंग सेवाओं के लिए नागरिक फीडबैक तंत्र का अभाव

स्ट्रीटलाइटिंग अवसंरचना के संबंध में जनता की संतुष्टि का मूल्यांकन करने और सुधार वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक सुदृढ़ फीडबैक तंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। संचालन और रखरखाव प्रक्रिया में नागरिकों को शामिल करना यह सुनिश्चित करता है कि नगर निकाय सेवाएं उत्तरदायी, समावेशी और सामुदायिक आवश्यकताओं के अनुरूप हों।

लेखापरीक्षा में संवीक्षा की गई कि क्या चयनित शहरी स्थानीय निकायों ने स्ट्रीटलाइटों के निष्पादन के संबंध में नागरिकों या नागरिक समूहों से फीडबैक एकत्र करने के लिए कोई प्रणाली स्थापित की थी। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि किसी भी चयनित शहरी स्थानीय निकाय में ऐसी कोई फीडबैक प्रणाली विद्यमान नहीं थी। यह स्पष्ट करता है कि स्ट्रीटलाइटिंग अवसंरचना की निगरानी या रखरखाव में लाभार्थियों (शिकायतकर्ताओं) की कोई भागीदारी नहीं थी। नगर परिषद टोहाना में, स्ट्रीटलाइटों के संचालन और रखरखाव के लिए ठेकेदार के साथ किए गए सेवा करार में फीडबैक तंत्र की क्लॉज को शामिल नहीं किया गया था।

नागरिक फीडबैक प्रणाली के अभाव से खराब लाइटों, अपर्याप्त कवरेज या मरम्मत में विलंब जैसी बार-बार होने वाली समस्याओं की पहचान/स्थान निर्धारण के साथ-साथ सेवा प्रदानगी में उत्तरदायित्व और पारदर्शिता प्रभावित होती है।

इन मामलों को जनवरी 2026 में संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के पास भेजा गया था, लेकिन उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2026)।

3.5.1.3 संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई कमियां

नगरपालिका, समालखा

नगरपालिका, समालखा में कुल 17 वार्ड हैं। संयुक्त भौतिक सत्यापन के लिए सबसे अधिक शिकायतों वाले वार्ड नंबर 5 का चयन किया गया था, जिसे 29 अक्तूबर 2025 को नगरपालिका, समालखा के अधिकारियों की उपस्थिति में संचालित किया गया था। इस दौरान निम्नलिखित मुख्य कमियां पाई गई थी:

- **स्ट्रीटलाइट की स्थापना, कवरेज और कार्यक्षमता में कमियां**

भौतिक सत्यापन में तीन स्थानों अर्थात मालपुर, हथवाला रोड से सटी गली और सीताराम कॉलोनी में खंभों का अनियमित रूप से लगाया जाना पाया गया, जिसके कारण वहां अंधेरे क्षेत्र बने हुए थे। हथवाला रोड पर कोई भी स्ट्रीटलाइट नहीं पाई गई, और खंभों के अभाव या हाई टेंशन लाइनों जैसी बाधाओं के कारण कई आंतरिक गलियां प्रकाश व्यवस्था से वंचित रही, जबकि कुछ नए स्थापित किए गए खंभों में स्विच ही नहीं थे और लाइटें घरों की दीवारों पर लगाई गई थी। इसके अलावा, लाइटों की गलत दिशा और उनके अकार्यशील होने के मामले भी पाए गए थे।

फोटोग्राफ 1: हथवाला मुख्य मार्ग पर स्ट्रीट लाइट न होने को दर्शाता हुआ

फोटोग्राफ 2: गहलयान डेयरी के पास लगी लाइट, जो सड़क के बजाय खंभे की तरफ मुड़ी हुई थी और अकार्यशील थी, को दर्शाता हुआ

- **रखरखाव और शिकायत निवारण तंत्र में कमियां**

कोई निवारक रखरखाव प्रणाली लागू नहीं थी और मरम्मत का कार्य केवल शिकायतें प्राप्त होने पर ही किया जा रहा था। शिकायतों की ट्रैकिंग केवल मैनुअल रजिस्टरों तक ही सीमित थी, जिससे निगरानी और समय पर निवारण प्रभावित हुआ। इसके अलावा, नागरिकों के लिए शिकायत दर्ज कराने हेतु टोल-फ्री नंबर या डिजिटल प्लेटफॉर्म सुनिश्चित नहीं किए गए थे।

फतेहाबाद जिला

फतेहाबाद के चयनित शहरी स्थानीय निकायों में 14 से 16 अक्तूबर 2025 के दौरान संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया था, जिसमें निम्नलिखित बातें सामने आईं:

शहरी स्थानीय निकाय	संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाए गए निष्कर्ष
नगर परिषद, फतेहाबाद	आठ स्थानों में से छः स्थानों पर स्ट्रीटलाइटें अकार्यशील पाई गई, जिसके परिणामस्वरूप रास्ते अंधेरे में डूबे हुए थे।
नगर परिषद, टोहाना	टाउन पार्क (मदन लाल ढींगरा पार्क) में स्थापित सभी 36 खंभे बिना लाइट के पाए गए, जबकि निरीक्षण किए गए अन्य तीन स्थानों पर स्ट्रीट लाइटें चालू पाई गई। यह रखरखाव और निगरानी में एकरूपता की कमी को दर्शाता है।
नगरपालिका, भूना	शिकायत रजिस्टर में केवल तिथि और स्थान दर्ज किया गया था, जबकि मरम्मत या शिकायत बंद होने की तिथियों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया था।

इन मामलों को जनवरी 2026 में संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को भेजा गया था, लेकिन उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2026)।

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शहरी स्थानीय निकाय शिकायतों की उचित रिकॉर्डिंग और ट्रैकिंग के लिए एक उपयुक्त शिकायत प्रणाली शुरू करें। इसके अलावा, स्ट्रीटलाइट के रखरखाव में दक्षता लाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मोबाइल ऐप, हेल्पलाइन, सर्वेक्षण या सामुदायिक बैठकें आदि जैसे फीडबैक तंत्र स्थापित किए जा सकते हैं।

3.5.2 मवेशी बाड़ों और मवेशी क्रूरता निवारण से संबंधित निष्कर्ष

मवेशी क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 35 मवेशियों की देखभाल, उपचार और उनकी कस्टडी से संबंधित है। इसके अलावा, इस अधिनियम की धारा 38 केंद्र सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। तदनुसार, केंद्र सरकार ने पशु जन्म नियंत्रण (डॉग्स) नियमावली, 2001 (2023 में यथा संशोधित) तैयार किए, विशेष रूप से स्थानीय अधिकारियों द्वारा आवारा कुत्तों के लिए आश्रय स्थल बनाने, उनके भोजन, टीकाकरण और चिकित्सा देखभाल से संबंधित नियम।

3.5.2.1 आवारा मवेशियों के शेल्टर और उनकी सुरक्षा के लिए बाड़ों की स्थापना न किया जाना

भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड ने बताया (जुलाई 2018) कि आवारा मवेशियों के लिए शेल्टर, पानी, पर्याप्त भोजन, चिकित्सा सुविधाएं आदि प्रदान करना सभी स्थानीय निकायों का उत्तरदायित्व है। इस उद्देश्य के लिए, नगरपालिकाओं को अपेक्षित अवसंरचना, विशेष रूप से शेल्टर, पानी, चारा, चिकित्सा सुविधाएं, आवारा पशुओं का बचाव और पुनर्वास तथा जनता की शिकायतों/समस्याओं के निवारण का प्रावधान आदि के साथ मवेशी बाड़ों का पुनरुद्धार/निर्माण करना होगा। इस संबंध में, लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियां पाई गई:

मवेशियों के लिए शेल्टर और पाउंड्स: चयनित शहरी स्थानीय निकायों अर्थात नगर निगम, पानीपत, नगरपालिका समालखा, नगर परिषद फतेहाबाद, नगर परिषद टोहाना और नगरपालिका भूना में से किसी ने भी मवेशियों के लिए कोई मवेशी बाड़ा या शेल्टर स्थापित नहीं किया। नगर निगम, पानीपत में आवारा मवेशियों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली कठिनाईयों के संबंध में प्राप्त और निवारण की गई शिकायतों का कोई शिकायत रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया गया था।

नगर निगम, पानीपत ने आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए एक एजेंसी को कार्य पर रखा था, जिन्हें रखने के लिए नैन में स्थित श्री गोपाल गौशाला में भेजा जाता है। नगर निगम, पानीपत द्वारा प्रति माह ₹ दो लाख (अक्तूबर 2020 से) का भुगतान किया जा रहा था, जिसे जून 2023 से बढ़ाकर ₹ पांच लाख प्रति माह कर दिया गया और बाद में दिसंबर 2024 से बढ़ाकर ₹ 7.50 लाख कर दिया गया।

संयुक्त भौतिक सत्यापन (अक्तूबर 2025) के दौरान पाया गया कि आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए उत्तरदायी एजेंसी से प्राप्त मवेशियों का रजिस्टर, प्राप्त हुए, मृत, बेचे गए या नवजात मवेशियों के मासिक विवरण के साथ अद्यतित नहीं किया गया था। इसके अलावा, टीकाकृत और बिना टीकाकृत मवेशियों को बिना किसी पहचान या टैगिंग प्रणाली के एक साथ रखा गया था, जिससे उन्हें अलग करना संभव नहीं था, यह स्थिति मवेशियों को संक्रामक रोगों के खतरे में डाल सकती है।

पानीपत[2] और फतेहाबाद[3] जिलों के अन्य चयनित शहरी स्थानीय निकायों ने बताया कि आवारा मवेशियों को पास की गौशालाओं में भेजा गया था, लेकिन इन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया/प्रस्तुत नहीं किया गया।

इन मामलों को जनवरी 2026 में संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को भेजा गया था, लेकिन उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2026)।

आवारा मवेशियों के उचित रिकॉर्ड का रखरखाव न करने से शहरी स्थानीय निकायों द्वारा आवारा मवेशियों के नियोजन और प्रबंधन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

3.5.2.2 कुत्तों के स्टरलाइजेशन में कमियां, जिसके परिणामस्वरूप कुत्तों की संख्या और बाइट की घटनाओं में वृद्धि हुई

मवेशी जन्म नियंत्रण (डॉग्स) नियम, 2001 के अनुसार, पालतू कुत्तों के मालिक नियंत्रित प्रजनन, इम्यूनाइजेशन, स्टरलाइजेशन और लाइसेंसिंग के लिए उत्तरदायी होंगे, जबकि आवारा कुत्तों की स्टरलाइजेशन और इम्यूनाइजेशन मवेशी कल्याण संगठनों, निजी व्यक्तियों और स्थानीय प्राधिकरण की भागीदारी से किया जाएगा। इस संबंध में लेखापरीक्षा में निम्नलिखित बातें पाई गई:

- **आवारा कुत्तों की स्टरलाइजेशन:** नगर निगम, पानीपत (एमसीपी) ने कुत्तों की स्टरलाइजेशन के लिए जून 2021 तक की अवधि के लिए एक एजेंसी को कार्य पर रखा था (जनवरी 2021), जिसे बाद में जून 2022 तक बढ़ा दिया गया था। हालांकि, नगर निगम, पानीपत द्वारा एबीसी नियमावली, 2001 के नियम 5(ई) के तहत अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए, स्टरलाइजेशन का कार्य सौंपने से पहले कुत्तों की जनसंख्या का कोई सर्वेक्षण या मूल्यांकन नहीं किया गया था, जबकि यह नियम प्रावधान करता है कि कुत्ता नियंत्रण कार्यक्रम की योजना और प्रबंधन के लिए स्वतंत्र एजेंसी द्वारा आवारा कुत्तों की संख्या का सर्वेक्षण किया जाएगा। एजेंसी ने जून 2022 तक आवारा कुत्तों की कुल 6,187 स्टरलाइजेशन की, जिसमें जून 2021 तक की गई 2,176 स्टरलाइजेशन शामिल है।

---

2 नगरपालिका समालखा।

3 नगर परिषद फतेहाबाद, नगरपालिका भूना और नगर परिषद टोहाना।

- **डॉग बाइट के मामले:** डॉग बाइट के मामलों की संख्या 2022-23 में 17,766 से बढ़कर 2023-24 में 21,576 हो गई और 2024-25 में बढ़कर 36,336 हो गई, जो डॉग बाइट के मामलों में लगातार बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाती है। इसके बावजूद, ₹ 96 लाख का बजट उपलब्ध होने के बाद भी वर्ष 2023-24 में कुत्तों की कोई स्टरलाइजेशन नहीं की गई। यह उल्लेखनीय है कि कुत्तों की स्टरलाइजेशन का कार्य आदेश 4 फरवरी 2025 को जारी किया गया था, जिसे 25 मार्च 2025 से प्रभावी होना था।
- नगरपालिका समालखा, नगर परिषद फतेहाबाद, नगर परिषद टोहाना और नगरपालिका भूना में आवारा व पालतू कुत्तों की संख्या से संबंधित रिकॉर्ड और डॉग बाइट के मामलों के संबंध में प्राप्त पब्लिक शिकायतों के डेटा का रखरखाव नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा, इन शहरी स्थानीय निकायों में कुत्तों की कोई स्टरलाइजेशन नहीं की गई, जबकि फतेहाबाद जिले में डॉग बाइट के मामले 2022-23 में 4,647 से बढ़कर 2024-25 में 6,859 हो गए। आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए किसी भी दीर्घकालिक रणनीति को तैयार करने का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं था।
- **कुत्तों का पंजीकरण:** हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 311 के तहत नगर निगम क्षेत्रों के भीतर रखे जाने वाले कुत्तों के पंजीकरण का प्रावधान है। हालांकि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि नगर निगम, पानीपत में 2020-21 से 2023-24 तक कुत्तों के पंजीकरण का केवल एक मामला सामने आया, जबकि समालखा, टोहाना, फतेहाबाद और भूना के नगर निकायों में मार्च 2024 तक कुत्तों का कोई पंजीकरण नहीं किया गया था। यह स्पष्ट करता है कि शहरी स्थानीय निकायों ने पालतू कुत्तों के विनियमन के लिए वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया।

इन मामलों को जनवरी 2026 में संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को भेजा गया था, लेकिन उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2026)।

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शहरी नगरपालिकाएं पकड़े गए आवारा मवेशियों के लिए मवेशी बाड़ों का निर्माण करें, विनियामक कार्यों और नगरपालिका राजस्व सृजन को समर्थन देने के लिए निर्धारित फीस के साथ कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य करें और कुत्तों की स्टरलाइजेशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक त्रि-स्तरीय समिति का गठन करें।

3.5.3 बूचड़खानों और चर्मशोधन कारखानों का विनियमन

हरियाणा में बूचड़खानों का विनियमन हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973, हरियाणा नगरपालिका (बूचड़खानों का विनियमन) उप-नियम, 1977, मवेशी क्रूरता निवारण (बूचड़खाना) नियम, 2001 और जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 द्वारा शासित होता है। सिरसा और करनाल जिलों के चयनित शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा में महत्वपूर्ण कमियां पाई गई, जिनका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

3.5.3.1 बूचड़खानों के अकार्यशील होने के परिणामस्वरूप अस्वच्छ परिस्थितियों का उत्पन्न होना

हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 170 (1) नगरपालिकाओं को बिक्री के लिए लक्षित मवेशियों के वध हेतु नगरपालिका सीमाओं के भीतर या बाहर परिसरों को निर्दिष्ट करने के लिए अधिकृत करती है। समितियां इन परिसरों के लिए लाइसेंस प्रदान कर सकती हैं या

वापस ले सकती हैं और यदि परिसर नगरपालिका के स्वामित्व में हैं, तो वे किराया या फीस उदग्रहित कर सकती हैं। इसके अलावा, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (धारा 25 और 26) और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (धारा 21) के प्रावधानों के अंतर्गत, उच्च प्रदूषण क्षमता के कारण बूचड़खानों को रेड कैटेगरी के तहत वर्गीकृत किया गया है; जिसके कारण उनके लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना हेतु पूर्व सहमति (सीटीई) और संचालन हेतु सहमति (सीटीओ) प्राप्त करना अनिवार्य है।

चयनित शहरी स्थानीय निकायों में वर्ष 2001-03 के दौरान चार बूचड़खानों का निर्माण किया गया था। हालांकि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि इनमें से तीन बूचड़खाने अकार्यशील थे (दिसंबर 2024), जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 3.2: अकार्यशील बूचड़खानों का विवरण

नगरपालिका	बूचड़खाने	निर्माण वर्ष	किया गया व्यय (₹ लाख में)
नगर परिषद, सिरसा	1	2001	7.13*
नगर परिषद, मंडी डबवाली	1	2002-03	7.13
नगरपालिका, ऐलनाबाद	1	2002	2.53

** सिरसा में बूचड़खाने का वास्तविक व्यय उपलब्ध नहीं था, यह नगर परिषद को प्रदान किया गया अनुदान है।*

शहरी स्थानीय निकायों ने बूचड़खानों के अकार्यशील होने के लिए निम्नलिखित कारणों को उत्तरदायी ठहराया:

नगर परिषद, सिरसा: वर्ष 2001 में निर्मित बूचड़खाने को अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ईटीपी) की स्थापना न होने के कारण वर्ष 2013 में बंद कर दिया गया था। इसके बाद, अक्तूबर 2019 में अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित किया गया था, हालांकि, बूचड़खाने को चालू करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे थे (सितंबर 2024)।

नगर परिषद, मंडी डबवाली: राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति न मिलने के कारण वर्ष 2013 में बूचड़खाने का संचालन बंद कर दिया गया था। इसके अलावा, एक नए, आधुनिक बूचड़खाने के निर्माण के लिए नवंबर 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया गया था।

नगरपालिका, ऐलनाबाद: वर्ष 2002 में निर्माण के बाद से ही बूचड़खाने का कभी उपयोग या संचालन नहीं किया गया है। इसके अलावा, विद्यमान बूचड़खाने के पुनरुद्धार के लिए जुलाई 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया गया था।

उपर्युक्त बूचड़खानों के संचालन की अद्यतित स्थिति की प्रतीक्षा है (मई 2026)।

अनधिकृत पशुवध संचालन: सिरसा, मंडी डबवाली, ऐलनाबाद और करनाल के चयनित शहरी स्थानीय निकायों में अनधिकृत पशुवध और मांस की दुकानें पाई गई। सिरसा में बिना लाइसेंस के 38 अनधिकृत मांस की दुकानें संचालित (सितंबर 2024) हो रही थी, जबकि मंडी डबवाली, ऐलनाबाद और करनाल में इस प्रकार के किसी अभिलेख का रखरखाव नहीं किया गया था। हालांकि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ऐसी पशुवध गतिविधियों को बंद करने का निर्देश देने वाले नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन कोई जुर्माना अधिरोपित नहीं किया गया था।

इसके अलावा, नगरपालिका निसिंग द्वारा जून 2021 में ₹ 54.99 लाख की लागत से 16 दुकानों के साथ मीट मार्केट का निर्माण पूरा किया गया था। हालांकि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि मांस विक्रेताओं को आवंटन न किए जाने के कारण, चार वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद मीट मार्केट अभी भी अनुपयोगी पड़ी हुई थी (मार्च 2025)।

कार्यात्मक बूचड़खानों के अभाव के परिणामस्वरूप मवेशियों के वैज्ञानिक और स्वच्छ वध के लिए विनियमित सुविधाओं की अनुपलब्धता रही, जिससे अनधिकृत पशुवध प्रथाओं को बढ़ावा मिला।

इन मामलों को जनवरी 2026 में संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को भेजा गया था, लेकिन उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2026)।

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वैज्ञानिक और स्वच्छ पशुवध के लिए नगर निकाय क्षेत्रों में अधिकृत बूचड़खानों का संचालन शुरू किया जाए, साथ ही अनधिकृत मांस की दुकानों के प्रसार को नियंत्रित किया जाए। इसके अलावा, नगर निकायों को लाइसेंस प्राप्त और बिना लाइसेंस वाली मांस की दुकानों का उचित रिकॉर्ड रखना चाहिए तथा अनधिकृत पशुवध गतिविधियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करनी चाहिए।

3.6 निष्कर्ष

शहरी स्थानीय निकायों के चयनित कार्यों की कार्य-आधारित लेखापरीक्षा में कई प्रमुख निष्कर्ष सामने आए हैं; जैसे कि केंद्रीकृत नियंत्रण और निगरानी प्रणाली का कार्यान्वयन न होना, जिससे स्ट्रीटलाइटों की रिमोट निगरानी, खराबी का पता लगाने और उनके स्वचालित संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, नागरिक फीडबैक प्रणाली के अभाव से सेवा प्रदानगी में जवाबदेही और पारदर्शिता प्रभावित हुई, आवारा मवेशियों के शेल्टर और उनकी सुरक्षा के लिए बाड़ों की स्थापना नहीं की गई, और कुत्तों की स्टरलाइजेशन में कमियां पाई गई, जिसके परिणामस्वरूप चयनित जिलों में कुत्तों की संख्या और उनके बाईट की घटनाओं में वृद्धि हुई।

इसके अलावा, लगातार होते आ रहे अनधिकृत पशुवध के मामले भी पाए गए, जिससे अस्वच्छ परिस्थितियों में पशुवध और पशु अपशिष्ट के अनुचित निपटान के कारण जन-स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न हो गया, इसने स्वच्छता, पर्यावरणीय स्थिरता और जन-स्वास्थ्य सेवाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

यह रिपोर्ट जनवरी 2026 में राज्य सरकार को जारी की गई थी, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

3.7 सिफारिशें

- *राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शहरी स्थानीय निकाय शिकायतों की उचित रिकॉर्डिंग और ट्रैकिंग के लिए एक उपयुक्त शिकायत प्रणाली शुरू करें। इसके अलावा, स्ट्रीटलाइट के रखरखाव में दक्षता लाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मोबाइल ऐप, हेल्पलाइन, सर्वेक्षण या सामुदायिक बैठकें आदि जैसे फीडबैक तंत्र स्थापित किए जा सकते हैं।*

- *राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शहरी नगरपालिकाएं पकड़े गए आवारा मवेशियों के लिए मवेशी बाड़ों का निर्माण करें, विनियामक कार्यों और नगरपालिका राजस्व सृजन को समर्थन देने के लिए निर्धारित फीस के साथ कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य करें और कुत्तों की स्टरलाइजेशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक त्रि-स्तरीय समिति का गठन करें।*

- *राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वैज्ञानिक और स्वच्छ पशुवध के लिए नगर निकाय क्षेत्रों में अधिकृत बूचड़खानों का संचालन शुरू किया जाए, साथ ही अनधिकृत मांस की दुकानों के प्रसार को नियंत्रित किया जाए। इसके अलावा, नगर निकायों को लाइसेंस प्राप्त और बिना लाइसेंस वाली मांस की दुकानों का उचित रिकॉर्ड रखना चाहिए तथा अनधिकृत पशुवध गतिविधियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करनी चाहिए।*

अध्याय IV

नगरपालिकाओं की अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय IV

नगरपालिकाओं की अनुपालन लेखापरीक्षा

4.1 मनोरंजक उद्देश्यों के स्थान पर बैंक्वेट हॉल के संचालन के लिए स्थल का उपयोग किए जाने के कारण ₹ 3.44 करोड़ के कन्वर्शन चार्ज की कम वसूली

हरियाणा अनुसूचित सड़कें और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम, 1963 का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित सड़कों के किनारे और नियंत्रित क्षेत्रों[1] में अव्यवस्थित और निम्न-स्तरीय विकास को रोकना है। अधिनियम की धारा 7 (1) यह प्रावधान करती है कि नियंत्रित क्षेत्र के भीतर किसी भी भूमि का उपयोग, निदेशक[2] की अनुमति के बिना और सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कन्वर्शन चार्ज के भुगतान के बिना, उन उद्देश्यों के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा, जिसके लिए अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि पर इसका उपयोग किया जा रहा था। कोई भी व्यक्ति स्वीकृत उपयोग के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए परिसर का उपयोग नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम की धारा 9 निदेशक को यह अधिकार देती है कि वह किसी भी व्यक्ति को पूछताछ, निरीक्षण, माप, सर्वेक्षण करने या स्तर लेने के प्रयोजन हेतु सहायकों के साथ या उनके बिना, भूमि या भवनों में प्रवेश करने के लिए अधिकृत कर सके।

निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय (डीयूएलबी) ने मनोरंजक गतिविधियों के लिए ग्राम टीकरी, गुरुग्राम की राजस्व संपदा में आने वाली 7,655.43 वर्ग मीटर भूमि के लिए भूमि उपयोग में परिवर्तन (सीएलयू) की अनुमति प्रदान की (4 दिसंबर 2019), इन गतिविधियों में स्वीमिंग पूल, खेल गतिविधियां, कैंटीन/रेस्तरां (200 वर्ग मीटर क्षेत्र से अधिक नहीं) सहित क्लब/सामुदायिक केंद्र जैसी गतिविधियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सीएलयू धारकों[3] को अधिभोग प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया गया था (जुलाई 2021)।

हरियाणा के डिजिटल भूमि अभिलेखों की जांच और संयुक्त भौतिक सत्यापन के माध्यम से लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि साइट का उपयोग जीएनएच कन्वेंशन के वाणिज्यिक नाम से बैंक्वेट हॉल के रूप में किया जा रहा था। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लिए गए फोटोग्राफ को नीचे दर्शाया गया है:

---

1 "नियंत्रित क्षेत्र" से तात्पर्य 'पंजाब अनुसूचित सड़कें और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम, 1963' की धारा 4 के तहत नियंत्रित क्षेत्र घोषित किए गए क्षेत्र से है। अधिनियम की धारा 4(1) नियंत्रित क्षेत्र की घोषणा से संबंधित है, जो यह प्रावधान करती है कि सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नगरपालिका शहर की सीमाओं के बाहर के किसी भी क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र को, जो उसकी राय में भवन निर्माण गतिविधियों, औद्योगिक, वाणिज्यिक, संस्थागत, मनोरंजक संपदाओं/गतिविधियों और उपर्युक्त के अधीन आने वाले उपयोगों की क्षमता रखता है, इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए एक नियंत्रित क्षेत्र घोषित कर सकती है।

2 अधिनियम की धारा 7 के तहत निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना को सौंपी गई निदेशक की शक्तियां, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 348(1) के तहत आयुक्त को भी सौंपी गई हैं।

3 श्री महेंद्र सिंह, श्री धर्मेंद्र और श्री करमबीर यादव।

चित्र 1 विभिन्न हॉलों और बारात एकत्रित होने के स्थान के निर्देशों को दर्शाता हुआ

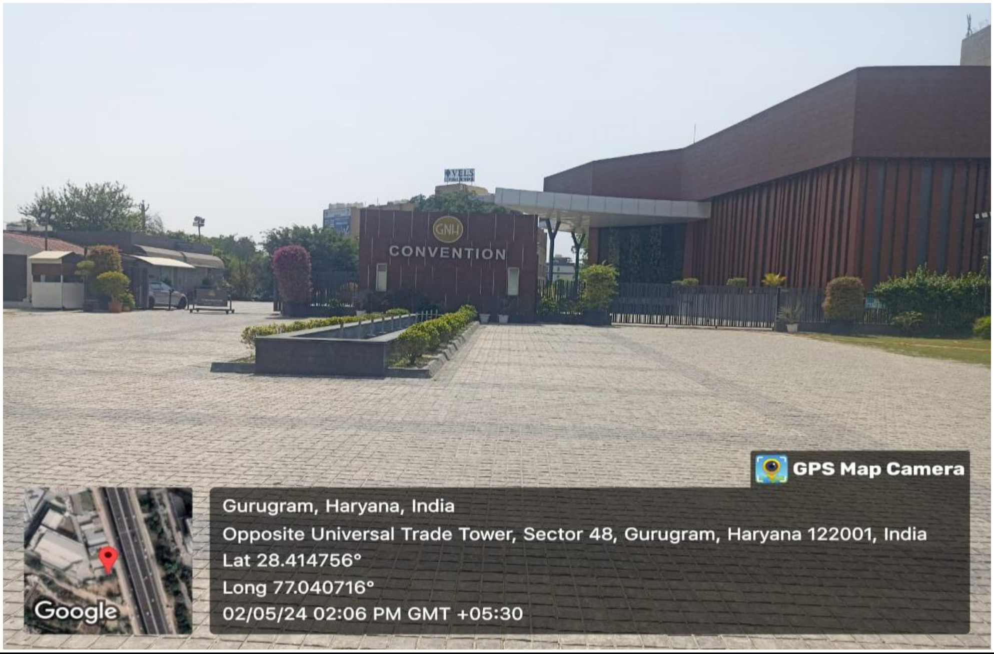

चित्र 2 जीएनएच कन्वेंशन को दर्शाता हुआ

विशेष रूप से, बैंक्वेट हॉल के लिए सीएलयू प्रभार ₹ 4,700 प्रति वर्ग मीटर की दर से लागू थे, जबकि मनोरंजक उद्‌देश्यों के लिए लागू सीएलयू प्रभार केवल ₹ 200 प्रति वर्ग मीटर थे। इस प्रकार, सीएलयू धारक द्‌वारा अनुमत उपयोग से भूमि के उपयोग को बदलने के उल्लंघन के परिणामस्वरूप सीएलयू धारक से ₹ 3.44 करोड़[4] के सीएलयू प्रभारों की अंतरीय राशि की कम वसूली हुई।

नगर निगम, गुरुग्राम ने बताया (दिसंबर 2025) कि आवेदक ने सूचित किया है कि इस स्थल का उपयोग मनोरंजक इनडोर/आउटडोर खेल गतिविधियों आदि के लिए किया जा रहा है। आवेदक

[4] 7,655.43 वर्ग मीटर × ₹ 4,500 प्रति वर्ग मीटर की दर से (₹ 4,700 - ₹ 200) क्योंकि यह स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग 248ए, अर्थात अति संभावित क्षेत्र, पर स्थित था।

ने यह भी उल्लेख किया है कि सामुदायिक भवन का उपयोग सामाजिक समारोहों, सामुदायिक सेवाओं आदि जैसे कार्यों के लिए किया जा रहा है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नगर निगम, गुरुग्राम ने कथित तौर पर मनोरंजक और सामुदायिक उद्देश्यों के लिए स्थल के उपयोग के संबंध में सीएलयू धारक के एकतरफा बयानों को केवल दोहराया और उसका समर्थन किया है। नगर निगम, गुरुग्राम के प्राधिकारियों द्वारा कोई स्वतंत्र निरीक्षण, सत्यापन या तथ्यात्मक जांच नहीं की गई है। सत्यापन के बिना इस तरह की निर्भरता अधिनियम के तहत निगम पर अधिरोपित वैधानिक कर्तव्य के विपरीत है।

संयोगवश लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (फरवरी 2024), नगर निगम, गुरुग्राम ने सीएलयू शर्तों के उल्लंघन के लिए ₹ 14.03 लाख का जुर्माना लगाने के लिए एक अन्य सीएलयू धारक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था (अगस्त 2024), जो कृषि आधारित गोदाम का उपयोग गैर-कृषि उत्पादों अर्थात बैटरी (अमरा राजा बैटरीज) के लिए कर रहा था, इसके बाद निगम ने उस गोदाम को सील कर दिया और ₹ 14.03 लाख का जुर्माना वसूल किया था। हालांकि, इस मामले में, संयुक्त भौतिक सत्यापन से स्पष्ट साक्ष्य मिलने के बावजूद, नगर निगम, गुरुग्राम ने अपने वैधानिक कर्तव्य के विपरीत, बिना किसी स्वतंत्र निरीक्षण या सत्यापन के केवल सीएलयू धारक के दावों का समर्थन किया। इस मामले में सत्यापन न होने के कारण ₹ 3.44 करोड़ की बकाया राशि की वसूली नहीं हुई, जो सीएलयू शर्तों के कमजोर क्रियान्वयन को दर्शाता है।

इन अनियमितताओं को जून 2024 में राज्य सरकार के पास भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2026)।

राज्य सरकार को भूमि उपयोग परिवर्तन की शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए, जिसके लिए आवधिक निरीक्षण किए जाएं और अनधिकृत रूप से भूमि उपयोग परिवर्तन के मामलों में तुरंत दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाए तथा नगर निगमों को अनुमति प्राप्त भूमि उपयोग का उल्लंघन करने वाले सीएलयू धारकों से कम उद्ग्रहण किए गए कन्वर्शन चार्ज का तत्काल आकलन करना चाहिए और लागू जुर्माने एवं ब्याज सहित उसकी वसूली करनी चाहिए।

4.2 नगर निगम, पानीपत द्वारा समय पर कार्रवाई न करने के कारण झील के विकास के इच्छित उद्देश्य की प्राप्ति न होना

राज्य सरकार ने दिसंबर 2016 में पानीपत में हाली पार्क झील के पुनरुद्धार के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया था और नगर निगम, करनाल द्वारा ₹ 23.40 करोड़ के विस्तृत अनुमान के लिए तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया गया था (नवंबर 2017)।

तत्पश्चात, खुली निविदा और बोलियों के मूल्यांकन के आधार पर, झील और नौका विहार स्थल के विकास, ओपन एयर थिएटर के साथ पार्क के विकास, गार्डन कैफे, कियोस्क, पार्किंग स्थल, मार्केट, पब्लिक प्लाजा आदि सहित कार्य मेसर्स जय श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी (ठेकेदार) को ₹ 23.40 करोड़ में आवंटित किया गया था (दिसंबर 2017), जिसे 20 महीने के भीतर अर्थात अगस्त 2019 तक पूरा किया जाना निर्धारित था। झील को पानी से भरने के लिए समानांतर दिल्ली नहर से हाली पार्क झील तक एक नई 2.5 किलोमीटर लंबी भूमिगत पानी की पाइपलाइन भी बिछाई जानी थी। ठेकेदार ने 17 जनवरी 2018 से कार्य शुरू कर दिया था।

दिनांक 8 और 10 अगस्त 2022 के बीच किए गए तीसरे पक्ष के निरीक्षण से पता चला कि कार्य के कई हिस्से पूरे हो चुके थे, हालांकि, कुछ कार्य अभी भी अपूर्ण थे जैसे लिफ्ट लगाना, सीढ़ियों पर रेलिंग का प्रावधान और बिजली की वायरिंग का आंशिक रूप से पूरा होना आदि। यह दर्शाता है कि कार्य पूरा होने में लगभग तीन वर्ष का विलंब हुआ और अगस्त 2019 की निर्धारित अवधि के भीतर इसे पूरा नहीं किया गया। ठेकेदार को मार्च 2023 तक ₹ 23.56 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित अवलोकित किया:

- हरियाणा लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) कोड के पैरा 24.3.3 के अनुसार, प्रभारी अभियंता साइट की उपलब्धता, पेड़ों की कटाई, जनोपयोगी सेवाओं को स्थानांतरित करने, अतिक्रमण हटाने और डिजाइन की उपलब्धता आदि सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त, आवश्यक स्वीकृतियां समय पर प्राप्त की जानी चाहिए, अधिमानतः कार्य आवंटन से पहले। हालांकि, नगर निगम, पानीपत ने जून 2018 से दिसंबर 2020 के दौरान विभिन्न विभागों जैसे वन विभाग, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से संस्वीकृति के लिए आवेदन किया। दिसंबर 2017 में कार्य आवंटन के बहुत बाद जून 2018 से दिसंबर 2022 के दौरान अनुमोदन प्राप्त हुए थे। विलंब से स्वीकृति प्रदान किए जाने के कारण कार्य के निष्पादन और पूर्ण होने में विलंब हुआ। परिणामस्वरूप, नगर निगम, पानीपत ने ठेकेदार को अगस्त 2022 तक की समय-वृद्धि प्रदान की।
- अनुमोदन प्राप्त करने में उपर्युक्त विलंब के कारण समानांतर दिल्ली नहर से हाली पार्क झील तक पानी की पाइपलाइन बिछाने में भी देरी हुई, जो झील को भरने के लिए पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित थी। जनवरी 2023 से समानांतर दिल्ली नहर के संवर्द्धन और चौड़ीकरण का कार्य शुरू किया गया था, जो अभी भी प्रगति पर है (मई 2026) और इसलिए, वर्तमान में हाली पार्क झील को भरने के लिए नहर से पानी की आपूर्ति का अभाव है। परिणामस्वरूप, तीन वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद ₹ 23.56 करोड़ की लागत से हाली पार्क झील के विकास के हिस्से के रूप में तैयार की गई अवसंरचना बिना किसी उपयोग के व्यर्थ पड़ी हुई है।

इस प्रकार, नगर निगम, पानीपत की ओर से समय पर कार्रवाई न किए जाने के कारण, झील को मनोरंजक केंद्र के रूप में विकसित करने का इच्छित उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाया। संबंधित विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करके, हरियाणा पीडब्ल्यूडी कोड के पैरा 24.3.3 के अनुसार कार्य आवंटन से पहले ही आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर इस स्थिति से बचा जा सकता था।

इन अभ्युक्तियों को दिसंबर 2024 में आयुक्त एवं सचिव, शहरी स्थानीय निकाय के पास भेजा गया था और उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

सिफारिशें

1. *राज्य सरकार को हरियाणा पीडब्ल्यूडी कोड के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए, ताकि स्थानीय निकायों द्वारा कार्य आवंटन से पहले अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त की जा सकें और निर्धारित अनुमति प्राप्त करने में होने वाले विलंब से बचने के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जा सके।*

2. *राज्य सरकार को संबंधित विभागों से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना हाली पार्क झील के विकास कार्य के आवंटन के पहलू की समीक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और चूक के लिए उत्तरदायित्व तय करने सहित उचित कार्रवाई करनी चाहिए।*

चंडीगढ़ **(आशुतोष शर्मा)**
दिनांक: 18 अगस्त 2026 **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(के. संजय मूर्ति)**
दिनांक: 20 अगस्त 2026 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 1; पृष्ठ 2)

हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं का विवरण

क्र. सं.	जिला का नाम	पंचायती राज संस्थाएं			
		जिला परिषदें	पंचायत समितियां	ग्राम पंचायतें	कुल पंचायती राज संस्थाएं
1	अंबाला	1	6	400	407
2	भिवानी	1	7	312	320
3	चरखी दादरी	1	4	167	172
4	फरीदाबाद	1	3	100	104
5	फतेहाबाद	1	7	259	267
6	गुरुग्राम	1	4	157	162
7	हिसार	1	9	307	317
8	झज्जर	1	7	250	258
9	जींद	1	8	300	309
10	कैथल	1	7	277	285
11	करनाल	1	9	395	405
12	कुरुक्षेत्र	1	7	403	411
13	महेंद्रगढ़	1	8	343	352
14	नूंह	1	7	325	333
15	पलवल	1	6	263	270
16	पंचकुला	1	4	135	140
17	पानीपत	1	6	178	185
18	रेवाड़ी	1	7	365	373
19	रोहतक	1	5	142	148
20	सिरसा	1	7	339	347
21	सोनीपत	1	8	318	327
22	यमुना नगर	1	7	490	498
	कुल	**22**	**143**	**6,225**	**6,390**

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 1; पृष्ठ 2)

हरियाणा में शहरी स्थानीय निकायों का विवरण

क्र. सं.	जिला का नाम	शहरी स्थानीय निकाय			
		नगर निगम	नगर परिषद	नगरपालिका	कुल शहरी स्थानीय निकाय
1	अंबाला	1	1	2	4
2	भिवानी	0	1	3	4
3	चरखी दादरी	0	1	0	1
4	फरीदाबाद	1	0	0	1
5	फतेहाबाद	0	2	3	5
6	गुरुग्राम	2	2	1	5
7	हिसार	1	1	4	6
8	झज्जर	0	2	1	3
9	जींद	0	2	3	5
10	कैथल	0	1	5	6
11	करनाल	1	0	6	7
12	कुरुक्षेत्र	0	1	4	5
13	महेंद्रगढ़	0	1	4	5
14	नूंह	0	1	3	4
15	पलवल	0	2	1	3
16	पंचकुला	1	1	0	2
17	पानीपत	1	0	1	2
18	रेवाड़ी	0	1	2	3
19	रोहतक	1	0	3	4
20	सिरसा	0	2	3	5
21	सोनीपत	1	1	3	5
22	यमुना नगर	1	0	2	3
	कुल	**11**	**23**	**54**	**88**

परिशिष्ट 1.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1.2; पृष्ठ 3)

पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित कार्यों का विवरण

क्र.सं.	पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित कार्य
	वे कार्य जिन पर पंचायती राज संस्थाओं का पूर्ण अधिकार क्षेत्र है
1	ग्रामीण आवास
2	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
3	पुस्तकालय
4	बाजार और मेले
5	सामुदायिक संपत्तियों का रखरखाव
	वे कार्य जिनमें राज्य विभाग के अतिव्यापी अधिकार क्षेत्र के साथ पंचायती राज संस्थाओं की सीमित भूमिका है
6	पेयजल
7	कमजोर वर्गों का कल्याण, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
8	बस क्यू शेल्टर
9	सामाजिक वानिकी तथा फार्म वानिकी
10	ग्रामीण विद्युतीकरण सहित बिजली का वितरण
	वे कार्य जिनमें पंचायती राज संस्थाएं केवल कार्यान्वयन एजेंसियां हैं
11	लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और वाटरशेड विकास
12	महिला एवं बाल विकास
13	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
14	शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं
15	स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय भी हैं
16	गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत
	वे कार्य जिनमें पंचायती राज संस्थाओं की नगण्य भूमिका है
17	कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार भी है
18	ईंधन और चारा
19	भूमि सुधार, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, भूमि चकबंदी और मृदा संरक्षण
20	पशुपालन, डेयरी उद्योग और मुर्गी पालन
21	लघु वन उपज
22	परिवार कल्याण
23	सामाजिक कल्याण, जिसके अंतर्गत दिव्यांगों और मानसिक रूप से कमजोरों का कल्याण भी है
24	मत्स्य पालन
25	सांस्कृतिक शिक्षा
26	खादी, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग
27	तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा
28	खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों सहित लघु उद्योग
29	प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा

परिशिष्ट 1.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.2.2; पृष्ठ 7)

शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कार्यों का विवरण

क्र.सं.	**शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कार्य**
	वे कार्य जिन पर शहरी स्थानीय निकायों का पूर्ण अधिकार क्षेत्र है
1	जन्म और मृत्यु के पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण सांख्यिकी
2	दफनाना तथा कब्रिस्तान, दाह-संस्कार, श्मशानघाट तथा विद्युत शवदाह गृह
3	मवेशी तालाब, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण
4	बूचड़खानों और चर्मशोधन कारखानों का विनियमन
	वे कार्य जिनमें राज्य सरकार के विभागों और अर्ध-सरकारी संस्थाओं के अतिव्यापी अधिकार क्षेत्र के साथ शहरी स्थानीय निकायों की प्रमुख भूमिका है
5	सड़कें तथा पुल
6	स्ट्रीट लाईटिंग, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप तथा जन सुविधाओं सहित सार्वजनिक सुख-सुविधाएं
7	शहरी सुख-सुविधाओं और सहूलियतों का प्रावधान - पार्क, उद्यान और खेल के मैदान
	वे कार्य जिनमें शहरी स्थानीय निकाय केवल कार्यान्वयन एजेंसियां हैं
8	आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना बनाना
9	दिव्यांग तथा मानसिक रूप से कमजोर सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा करना
10	शहरी गरीबी उन्मूलन
11	मलिन बस्तियों का सुधार और उन्नयन
	वे कार्य जिनमें राज्य सरकार के विभागों और अर्ध-सरकारी संस्थाओं के अतिव्यापी अधिकार क्षेत्र के साथ शहरी स्थानीय निकायों की सीमित भूमिका है
12	शहरी आयोजना जिसमें नगर आयोजना भी शामिल है
13	भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण
14	जलापूर्ति - घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक
15	जन-स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
16	अग्निशमन सेवाएं
	वे कार्य जिनमें शहरी स्थानीय निकायों की वस्तुत: कोई भूमिका नहीं है
17	शहरी वानिकी, पर्यावरण संरक्षण तथा पारिस्थितिकी पहलुओं को बढ़ावा देना
18	सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा सौंदर्य विषयक पहलुओं को बढ़ावा देना

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4; पृष्ठ 13)

चयनित पंचायती राज संस्थाओं के विवरण

जिला पंचायतों (जैडपी) की कुल संख्या = 22	पंचायत समितियों (पीएस) की कुल संख्या = 143	ग्राम पंचायतों (जीपी) की कुल संख्या = 6,225
चयनित जिला परिषदों के नाम और संख्या = 5	**चयनित जिला परिषदों से चयनित पंचायत समितियों के नाम और संख्या = 12**	**चयनित पंचायत समितियों से चयनित ग्राम पंचायतों के नाम और संख्या = 60**
यमुना नगर	बिलासपुर	जुड्डा जट्टान, मुसिम्बल (एच), सुल्तानपुर, नागली-32 और राम खेड़ी
	जगाधरी	माली माजरा, अमादलपुर, दयाल गढ़, दुधला और दड़वा माजरी
पलवल	हथीन	कोट मिथका, छायंसा, लाडमकी, रूपराका और मलूका
	पलवल	चिरवाड़ी, सिहोल, रहराना, तारका और जोधपुर
हिसार	हिसार-1	तलवंडी राणा, दाया, ढाणी जाटन, मंगली सुरतिया और मयार
	बरवाला	खारक पूनिया, बधावड़, संदलाना, मतलोडा और खानपुर
	हिसार-2	बालसमंद, पाटन, आर्य नगर, टोकस और सरसाना
जींद	जींद	ईक्कास, कंडेला, राढाना, इंतल कलां और इगराह
	नरवाना	दनौदा कलां, राजगढ़ धोबी, डबलैन, भीखेवाला और ढाकल
	उचाना	कुचराना कलां, दोहाना खेड़ा, माखंड, करसिंधु और छत्तर
कुरुक्षेत्र	पेहोवा	दीवाना, जखवाला, भेरियां, मुर्तजापुर और रामगढ़ रोड
	शाहबाद	सुधपुर, बीजरपुर, मोहनपुर, टिओरा और नलवी

परिशिष्ट 2.2.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.2; पृष्ठ 17)

अनुमोदित गतिविधियों - 2021-22 के गैर-निष्पादन के विवरण

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	अनुमोदित गतिविधियां	प्रगति पर/ पूर्ण	छोड़ी गई	शुरू नहीं हुई	अंतिम शेष अनुदान
			गतिविधियों की संख्या				₹ लाख में
	हिसार जिला						
1	हिसार	जैडपी हिसार	26	1	0	25	992.00
2	बरवाला	पीएस बरवाला	23	23	0	0	87.02
3	बरवाला	जीपी बधावड़	5	4	0	1	0.70
4	बरवाला	जीपी खानपुर	6	0	0	6	9.88
5	बरवाला	जीपी खारक पूनिया	4	3	0	1	2.32
6	बरवाला	जीपी मतलोडा	8	0	3	5	6.11
7	बरवाला	जीपी संदलाना	11	5	1	5	14.06
8	हिसार-I	पीएस हिसार-I	14	10	0	4	119.51
9	हिसार-I	जीपी दाया	10	1	0	9	13.67
10	हिसार-I	जीपी ढाणी जाटन	5	1	0	4	8.76
11	हिसार-I	जीपी मंगली सुरतिया	7	0	0	7	15.03
12	हिसार-I	जीपी मयार	7	0	0	7	25.77
13	हिसार-I	जीपी तलवंडी राणा	5	0	0	5	31.86
14	हिसार-II	पीएस हिसार-II	18	18	0	0	129.34
15	हिसार-II	जीपी आर्य नगर	6	0	5	1	0.08
16	हिसार-II	जीपी बालसमंद	5	1	0	4	3.72
17	हिसार-II	जीपी पाटन	4	0	0	4	0.54
18	हिसार-II	जीपी सरसाना	11	0	8	3	5.65
19	हिसार-II	जीपी टोकस	6	1	0	5	0.11
	जींद जिला						
20	जींद	जैडपी जींद	150	85	40	25	472.81
21	जींद	पीएस जींद	90	26	0	64	181.84
22	जींद	जीपी इगराह	12	8	0	4	8.55
23	जींद	जीपी ईक्कास	3	3	0	0	11.58
24	जींद	जीपी इंतल कलां	3	0	0	3	0.57
25	जींद	जीपी कंडेला	13	13	0	0	25.88
26	जींद	जीपी राढाना	10	6	0	4	32.95
27	नरवाना	पीएस नरवाना	22	15	0	7	75.01
28	नरवाना	जीपी भीखेवाला	6	4	0	2	0.06
29	नरवाना	जीपी डबलैन	5	1	0	4	0.74
30	नरवाना	जीपी दनौदा कलां	10	3	0	7	0.42
31	नरवाना	जीपी ढाकल	2	0	0	2	0.04
32	नरवाना	जीपी राजगढ़ ढाबी	9	2	0	7	5.82
33	उचाना	पीएस उचाना	51	32	2	17	146.23
34	उचाना	जीपी छत्तर	7	4	0	3	14.20
35	उचाना	जीपी दोहाना खेड़ा	10	7	0	3	1.09
36	उचाना	जीपी करसिंधु	4	2	0	2	17.80
37	उचाना	जीपी कुचराना कलां	11	3	0	8	9.00
38	उचाना	जीपी माखंड	3	3	0	0	12.69

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	अनुमोदित गतिविधियां	प्रगति पर/ पूर्ण	छोड़ी गई	शुरू नहीं हुई	अंतिम शेष अनुदान
	कुरुक्षेत्र जिला						
39	कुरुक्षेत्र	जैडपी कुरुक्षेत्र	72	46	0	26	393.45
40	पेहोवा	पीएस पेहोवा	3	1	0	2	93.77
41	पेहोवा	जीपी भेरियां	3	2	0	1	6.70
42	पेहोवा	जीपी दीवाना	3	3	0	0	12.75
43	पेहोवा	जीपी जखवाला,	3	3	0	0	4.73
44	पेहोवा	जीपी मुर्तजापुर	3	2	0	1	10.33
45	पेहोवा	जीपी रामगढ़ रोड	3	2	0	1	0.13
46	शाहबाद	पीएस शाहबाद	3	2	0	1	37.59
47	शाहबाद	जीपी बीजरपुर	3	1	0	2	8.21
48	शाहबाद	जीपी मोहनपुर	3	1	0	2	0.02
49	शाहबाद	जीपी नलवी	3	1	0	2	16.63
50	शाहबाद	जीपी सुधपुर	3	1	0	2	5.79
51	शाहबाद	जीपी टिओरा	3	1	0	2	5.55
	पलवल जिला						
52	पलवल	जैडपी पलवल	0	0	0	0	403.55
53	हथीन	पीएस हथीन	0	0	0	0	174.11
54	हथीन	जीपी छायंसा	5	1	0	4	14.43
55	हथीन	जीपी कोट मिथका	9	3	0	6	उपलब्ध नहीं*
56	हथीन	जीपी लाडमकी	4	0	0	4	5.94
57	हथीन	जीपी मलूका	3	2	0	1	11.43
58	हथीन	जीपी रूपराका	3	3	0	0	32.83
59	पलवल	पीएस पलवल	0	0	0	0	183.37
60	पलवल	जीपी चिरवाड़ी	3	0	0	3	7.32
61	पलवल	जीपी जोधपुर	3	0	0	3	10.36
62	पलवल	जीपी रहराना	3	1	0	2	17.27
63	पलवल	जीपी सिहोल	3	1	0	2	18.34
64	पलवल	जीपी तारका	3	0	0	3	4.58
	यमुना नगर जिला						
65	यमुना नगर	जैडपी यमुना नगर	101	23	23	55	549.16
66	बिलासपुर	पीएस बिलासपुर	5	1	0	4	258.26
67	बिलासपुर	जीपी जुड्डा जट्टान	6	0	0	6	7.37
68	बिलासपुर	जीपी मुसिम्बल (एच)	3	3	0	0	12.38
69	बिलासपुर	जीपी नागली-32	18	8	9	1	13.58
70	बिलासपुर	जीपी राम खेड़ी	5	2	0	3	4.95
71	बिलासपुर	जीपी सुल्तानपुर	11	3	2	6	0.72
72	जगाधरी	पीएस जगाधरी	25	1	21	3	128.80
73	जगाधरी	जीपी अमादलपुर	10	5	2	3	14.54
74	जगाधरी	जीपी दड़वा माजरी	7	3	0	4	6.00
75	जगाधरी	जीपी दयाल गढ़	4	3	0	1	10.53
76	जगाधरी	जीपी दुधला	6	4	1	1	5.18
77	जगाधरी	जीपी माली माजरा	4	0	0	4	1.33
		कुल	**954**	**418**	**117**	**419**	**4,955.02**

परिशिष्ट 2.2.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.2; पृष्ठ 17)

अनुमोदित गतिविधियों - 2022-23 के गैर-निष्पादन के विवरण

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	अनुमोदित गतिविधियां	प्रगति पर/ पूर्ण	छोड़ी गई	शुरू नहीं हुई	अंतिम शेष अनुदान
			गतिविधियों की संख्या				₹ लाख में
	हिसार जिला						
1	हिसार	जैडपी हिसार	236	148	0	88	1,540.13
2	बरवाला	पीएस बरवाला	40	38	0	2	170.30
3	बरवाला	जीपी बधावड़	5	0	0	5	28.00
4	बरवाला	जीपी खानपुर	4	2	0	2	9.33
5	बरवाला	जीपी खारक पूनिया	5	0	0	5	24.58
6	बरवाला	जीपी मतलोडा	6	0	0	6	25.89
7	बरवाला	जीपी संदलाना	7	6	0	1	16.64
8	हिसार-I	पीएस हिसार-I	12	0	0	12	190.39
9	हिसार-I	जीपी दाया	13	2	0	11	21.95
10	हिसार-I	जीपी ढाणी जाटन	5	3	0	2	9.81
11	हिसार-I	जीपी मंगली सुरतिया	9	2	0	7	13.82
12	हिसार-I	जीपी मयार	9	2	0	7	26.64
13	हिसार-I	जीपी तलवंडी राणा	5	0	0	5	21.61
14	हिसार-II	पीएस हिसार-II	7	1	0	6	178.81
15	हिसार-II	जीपी आर्य नगर	5	0	0	5	0.08
16	हिसार-II	जीपी बालसमंद	3	0	0	3	15.55
17	हिसार-II	जीपी पाटन	3	3	0	0	9.54
18	हिसार-II	जीपी सरसाना	4	3	0	1	10.09
19	हिसार-II	जीपी टोकस	3	0	0	3	5.37
	जींद जिला						
20	जींद	जैडपी जींद	399	39	285	75	782.07
21	जींद	पीएस जींद	131	86	0	45	100.01
22	जींद	जीपी इगराह	5	5	0	0	15.39
23	जींद	जीपी ईक्कास	4	2	0	2	7.27
24	जींद	जीपी इंतल कलां	4	3	0	1	7.27
25	जींद	जीपी कंडेला	5	4	0	1	14.84
26	जींद	जीपी राढाना	4	3	0	1	10.04
27	नरवाना	पीएस नरवाना	43	38	0	5	112.43
28	नरवाना	जीपी भीखेवाला	17	1	0	16	6.51
29	नरवाना	जीपी डबलैन	4	0	0	4	11.61
30	नरवाना	जीपी दनौदा कलां	10	2	0	8	25.40
31	नरवाना	जीपी ढाकल	14	3	0	11	17.71
32	नरवाना	जीपी राजगढ़ ढाबी	9	0	0	9	7.14
33	उचाना	पीएस उचाना	69	14	0	55	232.82
34	उचाना	जीपी छत्तर	13	11	0	2	30.40
35	उचाना	जीपी दोहाना खेड़ा	3	0	0	3	7.28
36	उचाना	जीपी करसिंधु	16	3	3	10	32.49
37	उचाना	जीपी कुचराना कलां	4	4	0	0	5.53
38	उचाना	जीपी माखंड	3	1	0	2	8.89

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	अनुमोदित गतिविधियां	प्रगति पर/ पूर्ण	छोड़ी गई	शुरू नहीं हुई	अंतिम शेष अनुदान
			गतिविधियों की संख्या				₹ लाख में
	कुरुक्षेत्र जिला						
39	कुरुक्षेत्र	जैडपी कुरुक्षेत्र	120	1	107	12	584.57
40	पेहोवा	पीएस पेहोवा	3	3	0	0	110.46
41	पेहोवा	जीपी भेरियां	3	1	0	2	8.43
42	पेहोवा	जीपी दीवाना	3	1	0	2	8.62
43	पेहोवा	जीपी जखवाला,	3	3	0	0	6.01
44	पेहोवा	जीपी मुर्तजापुर	3	1	0	2	21.82
45	पेहोवा	जीपी रामगढ़ रोड	3	1	0	2	0.09
46	शाहबाद	पीएस शाहबाद	3	3	0	0	108.25
47	शाहबाद	जीपी बीजरपुर	3	0	0	3	12.49
48	शाहबाद	जीपी मोहनपुर	3	1	0	2	2.75
49	शाहबाद	जीपी नलवी	3	1	0	2	25.68
50	शाहबाद	जीपी सुधपुर	3	1	0	2	11.68
51	शाहबाद	जीपी टिओरा	3	1	0	2	6.79
	पलवल जिला						
52	पलवल	जैडपी पलवल	129	30	5	94	453.87
53	हथीन	पीएस हथीन	3	0	0	3	272.07
54	हथीन	जीपी छायंसा	3	3	0	0	13.33
55	हथीन	जीपी कोट मिथका	3	3	0	0	उपलब्ध नहीं*
56	हथीन	जीपी लाडमकी	3	3	0	0	11.55
57	हथीन	जीपी मलूका	3	0	0	3	24.11
58	हथीन	जीपी रूपराका	3	1	0	2	37.08
59	पलवल	पीएस पलवल	6	3	1	2	203.05
60	पलवल	जीपी चिरवाड़ी	5	2	1	2	14.16
61	पलवल	जीपी जोधपुर	11	7	1	3	6.31
62	पलवल	जीपी रहराना	3	2	0	1	13.33
63	पलवल	जीपी सिहोल	4	0	0	4	21.72
64	पलवल	जीपी तारका	4	4	0	0	4.56
	यमुना नगर जिला						
65	यमुना नगर	जैडपी यमुना नगर	137	3	21	113	784.41
66	बिलासपुर	पीएस बिलासपुर	73	3	22	48	258.26
67	बिलासपुर	जीपी जुड्डा जट्टान	7	1	0	6	8.71
68	बिलासपुर	जीपी मुसिम्बल (एच)	7	4	3	0	18.23
69	बिलासपुर	जीपी नागली-32	9	3	3	3	9.57
70	बिलासपुर	जीपी राम खेड़ी	7	3	2	2	7.89
71	बिलासपुर	जीपी सुल्तानपुर	10	4	6	0	2.87
72	जगाधरी	पीएस जगाधरी	59	5	48	6	128.80
73	जगाधरी	जीपी अमादलपुर	7	3	0	4	17.57
74	जगाधरी	जीपी दड़वा माजरी	6	4	1	1	7.91
75	जगाधरी	जीपी दयाल गढ़	7	3	1	3	13.10
76	जगाधरी	जीपी दुधला	5	3	1	1	7.38
77	जगाधरी	जीपी माली माजरा	3	1	0	2	2.42
		कुल	**1,811**	**545**	**511**	**755**	**6,974.90**

परिशिष्ट 2.2.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.2; पृष्ठ 17)

अनुमोदित गतिविधियों - 2023-24 के गैर-निष्पादन के विवरण

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	अनुमोदित गतिविधियां	प्रगति पर/ पूर्ण	छोड़ी गई	शुरू नहीं हुई	अंतिम शेष अनुदान
			गतिविधियों की संख्या				₹ लाख में
	हिसार जिला						
1	हिसार	जैडपी हिसार	156	26	0	130	2,020.87
2	बरवाला	पीएस बरवाला	24	0	0	24	314.44
3	बरवाला	जीपी बधावड़	13	3	0	10	51.27
4	बरवाला	जीपी खानपुर	9	2	0	7	12.33
5	बरवाला	जीपी खारक पूनिया	10	3	0	7	66.77
6	बरवाला	जीपी मतलोडा	6	1	0	5	43.97
7	बरवाला	जीपी संदलाना	4	2	0	2	14.99
8	हिसार-I	पीएस हिसार-I	27	11	0	16	330.78
9	हिसार-I	जीपी दाया	4	0	0	4	8.74
10	हिसार-I	जीपी ढाणी जाटन	4	0	0	4	10.43
11	हिसार-I	जीपी मंगली सुरतिया	4	1	0	3	20.47
12	हिसार-I	जीपी मयार	4	1	0	3	18.91
13	हिसार-I	जीपी तलवंडी राणा	13	0	0	13	30.01
14	हिसार-II	पीएस हिसार-II	5	3	0	2	86.66
15	हिसार-II	जीपी आर्य नगर	8	0	0	8	28.70
16	हिसार-II	जीपी बालसमंद	0	0	0	0	82.90
17	हिसार-II	जीपी पाटन	4	1	0	3	25.20
18	हिसार-II	जीपी सरसाना	0	0	0	0	14.13
19	हिसार-II	जीपी टोकस	0	0	0	0	18.43
	जींद जिला						
20	जींद	जैडपी जींद	101	2	0	99	1,496.30
21	जींद	पीएस जींद	72	33	25	14	196.18
22	जींद	जीपी इगराह	5	4	0	1	27.94
23	जींद	जीपी ईक्कास	5	2	0	3	10.48
24	जींद	जीपी इंतल कलां	5	1	0	4	22.51
25	जींद	जीपी कंडेला	13	7	0	6	28.37
26	जींद	जीपी राढाना	5	4	0	1	20.59
27	नरवाना	पीएस नरवाना	52	16	0	36	138.07
28	नरवाना	जीपी भीखेवाला	9	1	0	8	11.10
29	नरवाना	जीपी डबलैन	17	2	0	15	4.37
30	नरवाना	जीपी दनौदा कलां	10	6	0	4	29.16
31	नरवाना	जीपी ढाकल	9	2	0	7	23.81
32	नरवाना	जीपी राजगढ़ ढाबी	24	2	0	22	5.38
33	उचाना	पीएस उचाना	72	6	14	52	409.00
34	उचाना	जीपी छत्तर	16	9	0	7	71.70
35	उचाना	जीपी दोहाना खेड़ा	8	1	0	7	11.83
36	उचाना	जीपी करसिंधु	11	1	0	10	72.28
37	उचाना	जीपी कुचराना कलां	4	1	0	3	13.10
38	उचाना	जीपी माखंड	7	3	0	4	24.65

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	अनुमोदित गतिविधियां	प्रगति पर/ पूर्ण	छोड़ी गई	शुरू नहीं हुई	अंतिम शेष अनुदान
	कुरुक्षेत्र जिला						
39	कुरुक्षेत्र	जैडपी कुरुक्षेत्र	19	8	0	11	589.91
40	पेहोवा	पीएस पेहोवा	23	1	0	22	233.90
41	पेहोवा	जीपी भेरियां	23	1	0	22	6.43
42	पेहोवा	जीपी दीवाना	23	0	0	23	4.30
43	पेहोवा	जीपी जखवाला,	23	0	0	23	3.31
44	पेहोवा	जीपी मुर्तजापुर	23	1	0	22	33.38
45	पेहोवा	जीपी रामगढ़ रोड	23	0	0	23	8.94
46	शाहबाद	पीएस शाहबाद	23	2	0	21	128.73
47	शाहबाद	जीपी बीजरपुर	23	0	0	23	9.95
48	शाहबाद	जीपी मोहनपुर	23	2	0	21	2.43
49	शाहबाद	जीपी नलवी	23	1	0	22	11.64
50	शाहबाद	जीपी सुधपुर	23	2	0	21	8.09
51	शाहबाद	जीपी टिओरा	23	0	0	23	0.78
	पलवल जिला						
52	पलवल	जैडपी पलवल	133	59	0	74	840.64
53	हथीन	पीएस हथीन	0	0	0	0	435.88
54	हथीन	जीपी छायंसा	4	0	0	4	18.83
55	हथीन	जीपी कोट मिथका	4	2	0	2	उपलब्ध नहीं
56	हथीन	जीपी लाडमकी	4	0	0	4	6.26
57	हथीन	जीपी मलूका	4	0	0	4	31.70
58	हथीन	जीपी रूपराका	9	0	0	9	19.46
59	पलवल	पीएस पलवल	8	1	0	7	273.65
60	पलवल	जीपी चिरवाड़ी	14	2	2	10	33.34
61	पलवल	जीपी जोधपुर	12	1	0	11	9.42
62	पलवल	जीपी रहराना	12	2	0	10	12.56
63	पलवल	जीपी सिहोल	14	1	0	13	37.62
64	पलवल	जीपी तारका	12	3	0	9	8.29
	यमुना नगर जिला						
65	यमुना नगर	जैडपी यमुना नगर	128	0	7	121	1,175.07
66	बिलासपुर	पीएस बिलासपुर	41	0	0	41	259.47
67	बिलासपुर	जीपी जुड्डा जट्टान	4	0	0	4	5.26
68	बिलासपुर	जीपी मुसिम्बल (एच)	4	0	0	4	11.17
69	बिलासपुर	जीपी नागली-32	4	0	0	4	9.49
70	बिलासपुर	जीपी राम खेड़ी	5	0	0	5	4.68
71	बिलासपुर	जीपी सुल्तानपुर	4	1	0	3	3.89
72	जगाधरी	पीएस जगाधरी	11	2	4	5	285.79
73	जगाधरी	जीपी अमादलपुर	8	1	0	7	16.04
74	जगाधरी	जीपी दड़वा माजरी	4	1	0	3	3.76
75	जगाधरी	जीपी दयाल गढ़	6	1	0	5	10.10
76	जगाधरी	जीपी दुधला	6	0	0	6	5.80
77	जगाधरी	जीपी माली माजरा	5	0	0	5	7.460
		कुल	**1,495**	**252**	**52**	**1,191**	**10,360.34**

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.4; पृष्ठ 18)

चेक या एनईएफटी के माध्यम से किए गए भुगतान और बीडीपीओ, कनिष्ठ अभियंता (जेई), लिपिकों एवं सरपंच के खातों में जमा किए गए भुगतान के विवरण

क्र. सं.	जिला का नाम	इकाई का नाम	वर्ष	भुगतान किया गया (₹ लाख में)	भुगतान का माध्यम
पंचायतों के अधिकारियों/कर्मचारियों को किए गए भुगतान का विवरण					
1	हिसार	बधावड़ जीपी	अगस्त 2021 से जनवरी 2024	3.98	पीएफएमएस से बीडीपीओ और सरपंच
2	हिसार	बरवाला पीएस	जनवरी 2022 से दिसंबर 2023	16.44	बीडीपीओ, जेई और क्लर्क
3	हिसार	हिसार II पीएस	मई 2022 से नवंबर 2023	2.39	पीएफएमएस के माध्यम से बीडीपीओ, जेई
4	जींद	उचाना पीएस	अप्रैल 2021 से फरवरी 2024	27.48	पीएफएमएस बीडीपीओ और जेई
5	कुरुक्षेत्र	भेरियां जीपी	2021-22	2.42	ग्राम सचिव
6	कुरुक्षेत्र	शाहबाद पीएस	जनवरी 2022 से अक्तूबर 2022	2.09	पीएफएमएस जेई
7	कुरुक्षेत्र	जैडपी कुरुक्षेत्र	जुलाई 2021 से जनवरी 2023	58.67	जेई
8	हिसार	जैडपी हिसार	जुलाई 2020 से मई 2024	240.33	पीएफएमएस बीडीपीओ, सरपंच और जेई
9	कुरुक्षेत्र	दीवाना जीपी	मई 2021 से नवंबर 2022	4.31	ग्राम सचिव
10	पलवल	पलवल पीएस	नवंबर 2023	4.38	पीएफएमएस से बीडीपीओ
11	कुरुक्षेत्र	पेहोवा पीएस	जून 2021 से नवंबर 2022	31.17	जेई
12	पलवल	लाडमकी जीपी	अगस्त 2023	0.89	जेई
कुल				**394.55**	
विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं को एनईएफटी/चेक के माध्यम से किए गए भुगतान का विवरण					
1	कुरुक्षेत्र	शाहबाद पीएस	मई 2021 से जुलाई 2023	96.79	चेक से भुगतान
2	जींद	उचाना पीएस	2021-22	31.56	चेक से भुगतान
3	कुरुक्षेत्र	सुधपुर जीपी	जुलाई 2021 से नवंबर 2021	2.37	चेक से भुगतान
4	हिसार	हिसार II पीएस	नवंबर 2023	5.97	एनईएफटी/चेक से भुगतान
5	कुरुक्षेत्र	मोहनपुर जीपी	जुलाई 2021 से नवंबर 2021	2.64	चेक से भुगतान
6	पलवल	लाडमकी जीपी	अगस्त 2023	13.10	चेक से भुगतान
7	पलवल	पलवल पीएस	जनवरी 2022 से अगस्त 2023	32.88	चेक से भुगतान
8	पलवल	हथीन पीएस	2021-22 से 2023-24	171.34	चेक से भुगतान
9	पलवल	जैडपी पलवल	2021-22	417.45	चेक से भुगतान
10	यमुना नगर	अमादलपुर जीपी	2021-22 से 2023-24	1.88	चेक से भुगतान
कुल				**775.98**	

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.5; पृष्ठ 19)

निदेशालय कार्यालय द्वारा अंतरित किंतु ग्राम पंचायतों के खाते में प्राप्त न हुए अनुदान के विवरण

क्र. सं.	जिला का नाम	ब्लॉक का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	संस्वीकृति की संख्या और तिथि	अनुदान का प्रकार	अनुदान की कुल राशि (₹ करोड़ में)	ग्राम पंचायत को आवंटित राशि (₹ में)
1	हिसार	हिसार-2	पाटन	डीएफए-3-2023/10332 दिनांक 17 जनवरी 2023	अनटाइड 22-23	₹ 187 करोड़ दिनांक 17 जनवरी 2023	3,54,568
2	हिसार	हिसार-2	सरसाना	डीएफए-3-2023/10332 दिनांक 17 जनवरी 2023	अनटाइड 22-23	₹ 187 करोड़ दिनांक 17 जनवरी 2023	3,75,378
3	हिसार	हिसार-2	टोकस	डीएफए-3-2023/10332 दिनांक 17 जनवरी 2023	अनटाइड 22-23	₹ 187 करोड़ दिनांक 17 जनवरी 2023	2,07,476
4	जींद	नरवाना	डबलैन	डीएफए-3-2023/10332 दिनांक 17 जनवरी 2023	अनटाइड 22-23	₹ 187 करोड़ दिनांक 17 जनवरी 2023	4,31,414
5	जींद	नरवाना	दनौदा कलां	डीएफए-3-2023/10332 दिनांक 17 जनवरी 2023	अनटाइड 22-23	₹ 187 करोड़ दिनांक 17 जनवरी 2023	9,94,121
	जींद	नरवाना	दनौदा कलां	डीएफए-3-2020/57371 दिनांक 25 जून 2020	अनटाइड	₹ 316 दिनांक 25 जून 2020	15,78,842
6	जींद	नरवाना	नरवाना	डीएफए-3-2021/95637 दिनांक 09 सितंबर 2021	अनटाइड 21-22	₹ 280.50 दिनांक 09 सितंबर 2021	30,29,541
7	जींद	नरवाना	राजगढ़ ढाबी	डीएफए-3-2023/10332 दिनांक 17 जनवरी 2023	अनटाइड 22-23	₹ 187 करोड़ दिनांक 17 जनवरी 2023	2,31,361
8	पलवल	हथीन	छायंसा	डीएफए-3-2021/11211 दिनांक 05 फरवरी 2021	अनटाइड	₹ 316 करोड़ दिनांक 05 फरवरी 2021	5,87,378
	पलवल	हथीन	छायंसा	डीएफए-3-2020/57371 दिनांक 25 जून 2020	अनटाइड	₹ 316 करोड़ दिनांक 25 जून 2020	5,79,313
9	पलवल	हथीन	लाडमकी	डीएफए-3-2021/11211 दिनांक 05 फरवरी 2021	अनटाइड	₹ 316 करोड़ दिनांक 05 फरवरी 2021	2,39,348
	पलवल	हथीन	लाडमकी	डीएफए-3-2020/57371 दिनांक 25 जून 2020	अनटाइड	₹ 316 करोड़ दिनांक 25 जून 2020	2,36,061
10	पलवल	हथीन	मलूका	डीएफए-3-2023/39984 दिनांक 28 मार्च 2023	टाइड XV-एफसी	₹ 280.50 करोड़ दिनांक 28 मार्च 2023	1,84,452
	पलवल	हथीन	मलूका	डीएफए-3-2021/95637 दिनांक 09 सितंबर 2021	अनटाइड 21-22	₹ 280.50 करोड़ दिनांक 09 सितंबर 2021	5,30,855
	पलवल	हथीन	मलूका	डीएफए-3-2021/11211 दिनांक 05 फरवरी 2021	अनटाइड 20-21	₹ 316 करोड़ दिनांक 05 फरवरी 2021	5,89,805
	पलवल	हथीन	मलूका	डीएफए-3-2020/57371 दिनांक 25 जून 2020	अनटाइड 20-21	₹ 316 करोड़ दिनांक 25 जून 2020	5,81,707
	पलवल	हथीन	मलूका	डीएफए-3-2023/34411-12 दिनांक 27 मार्च 2023	अनटाइड 22-23	₹ 193.46 करोड़ दिनांक 27 मार्च 2023	1,27,275
	पलवल	हथीन	मलूका	डीएफए-3-2023/10332 दिनांक 17 जनवरी 2023	अनटाइड 22-23	₹ 187 करोड़ दिनांक 17 जनवरी 2023	1,22,968
	पलवल	हथीन	मलूका	डीएफए-3-2023/92220-21 दिनांक 24 अगस्त 2023	अनटाइड 22-23	₹ 193.46 करोड़ दिनांक 24 अगस्त 2023	4,49,743
11	पलवल	हथीन	रूपराका	डीएफए-3-2021/11211 दिनांक 05 फरवरी 2021	अनटाइड	₹ 316 करोड़ दिनांक 05 फरवरी 2021	13,47,760
	पलवल	हथीन	रूपराका	डीएफए-3-2020/57371 दिनांक 25 जून 2020	अनटाइड	₹ 316 करोड़ दिनांक 25 जून 2020	13,29,256
12	यमुना नगर	बिलासपुर	जुड्डा जट्टान	डीएफए-3-2023/10332 दिनांक 17 जनवरी 2023	अनटाइड	₹ 187 करोड़ दिनांक 17 जनवरी 2023	84,773
13	यमुना नगर	बिलासपुर	मुसिम्बल (एच)	डीएफए-3-2023/10332 दिनांक 17 जनवरी 2023	अनटाइड	₹ 187 करोड़ दिनांक 17 जनवरी 2023	2,24,092
14	यमुना नगर	बिलासपुर	नांगली-32	डीएफए-3-2023/10332 दिनांक 17 जनवरी 2023	अनटाइड	₹ 187 करोड़ दिनांक 17 जनवरी 2023	2,55,819
15	यमुना नगर	जगाधरी	माली माजरा	डीएफए-3-2021/11211 दिनांक 05 फरवरी 2021	अनटाइड	₹ 316 करोड़ दिनांक 05 फरवरी 2021	86,399
	यमुना नगर	जगाधरी	माली माजरा	डीएफए-3-2023/10332 दिनांक 17 जनवरी 2023	अनटाइड	₹ 187 करोड़ दिनांक 17 जनवरी 2023	57,543
				कुल			**1,48,17,248**

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.6; पृष्ठ 19)

ग्राम पंचायतों को आवंटित 15वें वित्त आयोग के अनुदान से बीडीपीओ द्वारा कटौती की गई राशि के विवरण

क्र.सं.	जिला का नाम	पंचायत समिति का नाम	अवधि	कटौती की गई कुल राशि (₹ लाख में)
1	हिसार	पंचायत समिति बरवाला	अप्रैल 2021 से मई 2023	8.44
2	जींद	पंचायत समिति जींद	जनवरी 2022 से मार्च 2024	19.44
3	जींद	पंचायत समिति नरवाना	जून 2021 से फरवरी 2024	4.63
4	जींद	पंचायत समिति उचाना	जून 2021 से फरवरी 2024	27.94
5	कुरुक्षेत्र	पंचायत समिति पेहोवा	अप्रैल 2021 से अप्रैल 2023	18.00
6	कुरुक्षेत्र	पंचायत समिति शाहबाद	मई 2021 से सितंबर 2023	4.19
7	पलवल	पंचायत समिति हथीन	अक्तूबर 2021 से अप्रैल 2023	55.30
8	पलवल	पंचायत समिति पलवल	मार्च 2023	18.20
9	यमुना नगर	पंचायत समिति बिलासपुर	जुलाई 2021 से अक्तूबर 2023	23.04
10	यमुना नगर	पंचायत समिति जगाधरी	मई 2023 से मार्च 2024	12.18
	कुल			**191.36**

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.9; पृष्ठ 21)

अस्वीकार्य कार्यों पर व्यय किए गए 15वें वित्त आयोग के अनुदान को दर्शाने वाला विवरण

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	जिला	पीआरआई का नाम	कार्य/योजना का नाम	व्यय
1	हिसार	जीपी दाया	स्वागत द्वार	4,72,000
2	हिसार	पीएस हिसार-1	ईपीएफओ ब्याज और जुर्माना	14,13,327
3	हिसार	पीएस बरवाला	ईपीएफओ ब्याज और जुर्माना	8,33,764
			ग्राम ज्ञानपुरा में गोस्वामी समाध पर चारदीवारी और शेड (धार्मिक स्थल)	1,99,250
4	हिसार	जीपी सरसाना (हिसार-II)	ताऊ देवीलाल प्रवेश द्वार पर धौलपुर पत्थर की आपूर्ति और लगाना	8,13,668
5	जींद	जीपी कुचराना कलां (उचाना)	नाम पट्टिका	25,004
			स्वागत द्वार की मरम्मत	2,70,220
6	जींद	पीएस जींद	बीडीपीओ भवन का नवीनीकरण	7,65,306
7	कुरुक्षेत्र	जीपी दीवाना (पेहोवा)	निवास बोर्ड	14,160
8	कुरुक्षेत्र	जीपी नलवी (शाहबाद)	75वां आजादी का अमृत महोत्सव (तीज उत्सव)	50,000
			माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा कार्यक्रम 01 मई 2023	5,80,728
			स्वागत द्वार की मरम्मत, पेंटिंग और पूरी फिटिंग	64,900
9	कुरुक्षेत्र	जीपी सुधपुर (शाहबाद)	स्वागत द्वार	1,99,774
10	कुरुक्षेत्र	जीपी मोहनपुर (शाहबाद)	स्वागत द्वार उपलब्ध कराना और लगाना	77,101
11	कुरुक्षेत्र	पीएस पेहोवा	ईओपीएस भवन में शेड का निर्माण	1,95,290
12	कुरुक्षेत्र	पीएस शाहबाद	श्रम और परिवहन के साथ पंचायत समिति सदस्य के नाम का निवास साइन बोर्ड	8,04,999
13	कुरुक्षेत्र	जीपी टिओरा (शाहबाद)	अधिवक्ता फीस	21,000
	कुरुक्षेत्र		ग्राम सजावट कार्यक्रम	1,43,073
14	पलवल	जीपी छायंसा (हथीन)	आकार 3x4 का निवास बोर्ड	88,500
	पलवल		स्वागत द्वार की मरम्मत	4,01,200
15	पलवल	जीपी चिरवाड़ी (पलवल)	दो योजनाओं से भुगतान	2,00,000
16	पलवल	जीपी लाडमकी (हथीन)	आकार 3x4 का निवास बोर्ड	90,270
17	पलवल	पीएस हथीन	बीडीपीओ कार्यालय परिसर में वर्षा जल संचयन प्रणाली	1,68,443
18	पलवल	पीएस पलवल	बीडीपीओ कार्यालय के बिजली बिल के बकाया के लिए डीएचबीवीएनएल	1,72,408
			बीडीपीओ कार्यालय में कमरे की मरम्मत, मुख्यमंत्री परिवार उत्थान मेला	2,47,738
			निजी स्कूल में वाटर कूलर की स्थापना	1,45,000
19	पलवल	जीपी रूपराका (हथीन)	आकार 3x4 का निवास बोर्ड	6,61,980
20	पलवल	जीपी सिहोल (पलवल)	कृषि फार्म में सिंचाई के लिए केबल के साथ सबमर्सिबल पंप सेट	96,524
21	पलवल	जैडपी पलवल	जिला परिषद भवन में एक आरओ	4,24,092
			जिला परिषद भवन में एक बायो-टॉयलेट	1,75,224
			जिला परिषद भवन में सीसीटीवी कैमरा	6,08,276
			सहकारी चीनी मिल लिमिटेड पलवल में आरओ और बायो-टॉयलेट	51,92,712

क्र.सं.	जिला	पीआरआई का नाम	कार्य/योजना का नाम	व्यय
22	यमुना नगर	जीपी अमादलपुर (जगाधरी)	मिठाइयां और टेंट	40,550
			फ्लेक्स बैनर	8,040
			ग्राम सजावट कार्यक्रम	1,83,490
23	यमुना नगर	जीपी दड़वा माजरी (जगाधरी)	शिला पलकम	13,165
			मिठाई	9,300
			स्वागत द्वार	60,652
24	यमुना नगर	जीपी दयालगढ़ (जगाधरी)	एसएफसी खाते में जमा किया गया	6,99,051
			मनरेगा के लिए अनुमानित लागत बजट	20,000
			अधिवक्ता फीस	24,000
			स्वागत द्वार	77,290
25	यमुना नगर	जीपी जुड्डा जट्टान (बिलासपुर)	बीडीपीओ कार्यालय में कार्यरत स्वीपर का वेतन	36,000
26	यमुना नगर	जीपी नागली-32 (बिलासपुर)	अधिवक्ता फीस	22,000
27	यमुना नगर	पीएस बिलासपुर	शहीद रॉकी ग्राम रामगढ़ माजरा के लिए स्मारक द्वार प्रदान करना और लगाना	4,93,095
28	यमुना नगर	जीपी राम खेड़ी (बिलासपुर)	फ्लेक्स बैनर	11,760
			समाचार-पत्र में दिवाली की शुभकामनाओं का विज्ञापन	2,000
29	यमुना नगर	जीपी सुल्तानपुर	समाचार-पत्र में दिवाली की शुभकामनाओं का विज्ञापन	2,000
कुल				**1,73,18,324**

परिशिष्ट 2.7

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.10; पृष्ठ 21)

2021-24 की अवधि के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा जारी राशि और चयनित पंचायती राज संस्थावार लंबित उपयोग प्रमाण-पत्रों के विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	जिला का नाम	पीआरआई यूनिट का नाम	2021-22		2022-23		2023-24	
			टाइड	अनटाइड	टाइड	अनटाइड	टाइड	अनटाइड
1	हिसार	जीपी बधावड़	11,43,115	17,02,273	10,61,303	14,39,793	21,96,117	21,58,492
2	हिसार	जीपी खानपुर	4,30,708	6,41,390	3,93,520	5,33,860	8,14,477	8,00,346
3	हिसार	जीपी खरक पुनिया	11,11,238	16,54,805	9,90,202	13,43,336	20,48,992	20,13,888
4	हिसार	जीपी मतलोडा	11,15,967	16,61,846	9,90,069	13,43,155	20,48,716	20,15,636
5	हिसार	जीपी संदलाना	5,60,805	8,35,125	4,85,564	6,58,729	10,04,760	10,57,538
6	हिसार	पीएस बरवाला	48,18,835	75,26,550	47,48,089	64,42,506	94,55,222	92,82,666
7	हिसार	जैडपी हिसार	6,10,86,592	0	5,16,53,259	0	8,66,62,426	0
8	हिसार	जीपी दया	4,34,979	6,47,749	4,07,527	5,52,861	8,43,280	8,28,833
9	हिसार	जीपी ढाणी जाटान	0	5,92,235	0	5,55,799	0	1,59,787
10	हिसार	जीपी मंगल सुरतिया	0	10,32,995	0	10,21,061	0	17,77,748
11	हिसार	जीपी मायर	0	23,18,853	0	18,63,876	0	32,45,159
12	हिसार	जीपी तलवंडी राणा	10,12,407	15,07,631	8,81,218	11,95,484	18,23,473	17,92,233
13	हिसार	पीएस हिसार-1	57,31,801	85,36,600	47,15,674	63,98,523	93,90,672	92,19,293
14	हिसार	जीपी आर्य नगर	12,47,741	18,57,978	0	0	35,49,753	39,21,208
15	हिसार	जीपी बालसमंद	19,57,555	29,15,100	0	11,71,399	53,93,005	47,85,942
16	हिसार	जीपी पाटन	11,23,959	3,50,556	0	8,98,809	11,00,543	10,81,688
17	हिसार	जीपी सरसाना	6,22,269	9,26,654	5,63,067	3,88,494	11,65,134	11,45,173
18	हिसार	जीपी टोकस	2,26,793	3,37,729	3,11,214	2,14,726	6,43,984	6,32,971
19	हिसार	पीएस हिसार-II	50,06,248	74,71,495	43,70,924	59,30,745	43,52,073	1,28,97,369
20	जींद	जीपी इगरा	8,42,254	12,54,630	6,44,561	4,45,316	17,79,351	12,95,500
21	जींद	जीपी इक्कस	4,05,206	6,03,599	3,68,413	5,00,137	7,62,895	7,48,990
22	जींद	जीपी इंतल कलां	4,43,154	6,60,126	3,95,797	5,37,314	8,19,602	8,04,663
23	जींद	जीपी कंडेला	0	15,98,553	17,08,876	17,18,124	8,68,100	11,27,281
24	जींद	जीपी राधना	6,44,667	9,60,301	5,59,721	3,86,701	11,59,049	15,11,070
25	जींद	पीएस जींद	55,56,231	82,74,058	47,67,198	64,68,433	98,96,190	97,15,583
26	जींद	जैडपी जींद	3,76,77,525	1,17,03,202	1,73,20,120	2,35,01,025	3,59,54,700	3,52,98,530
27	जींद	जीपी भिखेवाला	4,27,597	6,36,952	3,84,792	2,65,846	7,96,814	10,38,818
28	जींद	जीपी डबलैन	6,98,898	10,41,084	6,47,121	4,47,084	13,40,035	13,15,610
29	जींद	जीपी दखल	11,53,973	29,51,082	10,50,212	7,25,573	21,74,742	28,35,243
30	जींद	जीपी दनौदा कलां	16,02,798	23,87,542	14,91,181	10,30,230	30,87,885	30,31,601
31	जींद	जीपी राजगढ़ धोबी	3,90,668	9,71,745	3,47,042	2,39,765	7,18,643	7,01,036
32	जींद	पीएस नरवाना	65,17,240	35,73,908	31,54,654	42,80,433	65,48,722	64,29,210
33	जींद	जीपी छतर	17,58,513	43,74,117	14,86,702	20,18,271	30,78,610	30,22,494
34	जींद	जीपी दोहाना खेड़ा	4,61,473	6,87,415	4,26,893	5,79,527	8,83,994	8,67,881
35	जींद	जीपी करसिंदु	25,08,413	7,85,501	11,24,048	7,76,584	23,27,639	30,34,529
36	जींद	जीपी कुचराना कलां	3,55,628	5,29,747	3,25,800	2,25,089	6,74,655	8,79,558
37	जींद	जीपी मखंड	11,27,683	9,46,611	5,18,388	3,58,145	10,73,459	13,99,485
38	जींद	पीएस उचाना	52,02,754	79,37,515	47,54,965	64,51,834	98,70,794	96,90,652
39	कुरूक्षेत्र	जीपी भेरियां	0	6,67,371	0	8,26,347	0	9,98,178
40	कुरूक्षेत्र	जीपी दीवाना	0	19,57,048	0	8,75,036	0	24,24,613

क्र. सं.	जिला का नाम	पीआरआई यूनिट का नाम	2021-22		2022-23		2023-24	
			टाइड	अनटाइड	टाइड	अनटाइड	टाइड	अनटाइड
41	कुरूक्षेत्र	जीपी जखवाला	0	7,16,620	0	8,62,247	0	10,42,866
42	कुरूक्षेत्र	जीपी मुर्तजापुर	0	16,51,243	0	14,54,411	0	25,19,291
43	कुरूक्षेत्र	जीपी रामगढ़ रोड	0	8,46,319	0	0	0	17,79,736
44	कुरूक्षेत्र	पीएस पेहोवा	0	95,15,409	0	82,08,602	0	1,49,79,550
45	कुरूक्षेत्र	जीपी बिजरपुर	1,12,810	3,69,876	1,87,273	2,54,066	3,87,528	3,80,689
46	कुरूक्षेत्र	जीपी मोहनपुर	1,34,429	1,99,607	1,41,495	2,12,415	2,92,799	2,87,631
47	कुरूक्षेत्र	जीपी नानवी	5,85,728	8,20,029	5,12,000	6,94,614	10,59,496	10,40,798
48	कुरूक्षेत्र	जीपी सुधपुर	3,65,586	5,42,839	3,63,529	4,93,188	7,52,259	7,38,983
49	कुरूक्षेत्र	जीपी तेओड़ा	5,57,062	7,09,620	2,95,352	4,00,694	6,11,179	6,00,393
50	कुरूक्षेत्र	थाना शाहबाद	33,71,720	49,55,880	31,02,970	42,10,303	67,34,300	66,11,401
51	कुरूक्षेत्र	जैडपी कुरूक्षेत्र	1,29,58,651	1,92,30,082	1,20,22,204	1,63,12,481	2,60,91,504	2,56,15,336
52	पलवल	जीपी छांयसा	5,88,780	8,76,838	5,54,544	7,52,339	11,47,543	11,27,285
53	पलवल	जीपी लाडमाकी	2,39,919	3,57,298	2,36,678	3,21,096	4,89,770	4,81,123
54	पलवल	जीपी मलूका	7,73,018	3,49,607	5,34,483	7,25,125	13,43,065	7,59,383
55	पलवल	जीपी रूपड़का	13,50,976	20,11,937	12,02,618	16,31,570	24,88,637	24,44,703
56	पलवल	पीएस हथीन	68,55,010	1,02,08,734	60,87,253	82,59,567	1,36,23,418	1,33,74,792
57	पलवल	जीपी चिरवाड़ी	3,17,908	7,86,242	4,69,676	6,37,201	9,71,924	9,54,765
58	पलवल	जीपी जोधपुर	2,13,967	5,29,176	1,97,033	2,67,312	4,07,731	4,00,534
59	पलवल	जीपी रेहराना	3,65,081	5,43,697	3,15,966	4,28,665	6,53,845	6,42,302
60	पलवल	जीपी सिहोल	6,50,821	16,09,589	5,59,172	7,58,619	11,57,123	11,36,695
61	पलवल	जीपी तारक	1,78,689	2,66,111	1,66,648	2,26,088	3,44,852	3,38,765
62	पलवल	पीएस पलवल	44,65,202	39,09,421	25,54,720	32,80,015	64,18,104	42,20,771
63	पलवल	जैडपी पलवल	1,47,59,837	1,27,34,548	1,27,44,290	1,72,92,252	2,85,22,026	2,80,01,502
64	यमुना नगर	जीपी जुड्डा जट्टां	2,08,714	2,22,594	1,27,160	1,72,512	2,63,134	2,58,492
65	यमुना नगर	जीपी मुसिम्बल(एच)	3,34,289	4,97,413	3,36,138	4,56,024	6,95,574	6,83,300
66	यमुना नगर	जीपी नंगली-32	3,65,502	5,43,858	3,83,729	5,20,588	7,94,055	7,80,043
67	यमुना नगर	जीपी राम खीरी	2,04,831	3,04,783	3,76,206	2,50,804	1,91,215	3,75,803
68	यमुना नगर	जीपी सुल्तानपुर	1,54,630	2,30,085	1,56,265	1,07,821	1,61,732	5,83,459
69	यमुना नगर	पीएस बिलासपुर	37,44,923	53,20,142	33,99,999	46,13,332	72,30,574	70,98,616
70	यमुना नगर	जीपी अमादलपुर	8,10,970	2,53,708	4,02,091	5,45,500	8,32,051	8,17,371
71	यमुना नगर	जीपी दड़वा माजरी	3,50,284	1,09,585	2,25,716	3,06,219	4,67,075	4,58,835
72	यमुना नगर	जीपी दयालगढ़	0	3,92,825	4,75,914	3,28,376	9,84,814	12,84,713
73	यमुना नगर	जीपी दुधला	2,83,224	4,21,431	2,74,307	3,72,140	5,67,625	5,57,610
74	यमुना नगर	जीपी माली माजरा	1,64,102	51,339	86,314	59,556	1,78,611	1,75,449
75	यमुना नगर	पीएस जगाधरी	60,07,388	18,79,386	28,74,120	38,99,787	61,12,220	60,00,672
76	यमुना नगर	जैडपी यमुना नगर	2,58,60,818	80,62,346	1,25,79,034	1,70,68,024	2,67,51,076	2,62,62,871
	कुल		24,27,40,556	18,90,49,888	17,69,93,011	18,09,93,523	35,50,35,365	30,18,03,023
कुल योग								**1,44,66,15,366**

परिशिष्ट 2.8

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.11; पृष्ठ 22)

ई-टेंडरिंग के बजाय कोटेशन पर की गई खरीद/विभागीय रूप से निष्पादित कार्यों के विवरण

क्र.सं.	जिला का नाम	पीआरआई का नाम	राशि (₹ लाख में)
1	हिसार	आर्य नगर, जीपी, हिसार-2	34.76
2	हिसार	बालसमंद, जीपी, हिसार-2	2.83
3	हिसार	बरवाला, पीएस	9.35
4	हिसार	हिसार-1, पीएस	55.86
5	हिसार	पाटन, जीपी, हिसार-2	5.00
6	हिसार	सरसाना, जीपी, हिसार-2	2.53
7	हिसार	टोकस, जीपी, हिसार-2	7.11
8	जींद	जींद, जैडपी	16.21
9	जींद	उचाना, पीएस	7.13
10	कुरुक्षेत्र	बीजरपुर, जीपी, शाहबाद	7.10
11	कुरुक्षेत्र	मोहनपुर, जीपी, शाहबाद	3.14
12	कुरुक्षेत्र	नलवी, जीपी, शाहबाद	24.78
13	कुरुक्षेत्र	पेहोवा, पीएस	7.20
14	कुरुक्षेत्र	शाहबाद, पीएस	21.15
15	कुरुक्षेत्र	सुधपुर, जीपी, शाहबाद	5.19
16	कुरुक्षेत्र	टिओरा, जीपी, शाहबाद	5.90
17	पलवल	पलवल, जैडपी	227.79
18	यमुना नगर	यमुना नगर, जैडपी	12.00
	कुल		**455.03**

परिशिष्ट 2.9

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.11; पृष्ठ 22)

उचित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना वस्तुओं की खरीद पर हुए अनियमित व्यय के विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला का नाम	पीएस का नाम	कार्यपालक एजेंसी (जैडपी/पीएस/जीपी/अन्य)	विवरण	राशि
1	हिसार	हिसार-2	पाटन, जीपी	आरसीसी बेंच	4.13
2	जींद	जींद	जींद, पीएस	आरसीसी बेंच	24.17
3	जींद	--	जींद, जैडपी	आरसीसी बेंच	0.49
4	कुरुक्षेत्र	शाहबाद	शाहबाद, पीएस	सीसीटीवी कैमरे	1.98
5	पलवल	हथीन	छायंसा, जीपी	आरसीसी बेंच और डस्टबिन	9.91
6	पलवल	हथीन	हथीन, पीएस	आरसीसी बेंच	13.73
7	पलवल	हथीन	लाडमकी, जीपी	आरसीसी बेंच	2.97
8	पलवल	हथीन	रूपराका, जीपी	आरसीसी बेंच	0.40
9	पलवल	पलवल	जोधपुर, जीपी	आरसीसी बेंच	1.93
10	पलवल	--	पलवल, जैडपी	सीसीटीवी कैमरे, वॉटर कूलर सहित आरओ	175.72
				कुल	**235.43**

परिशिष्ट 2.10

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.13; पृष्ठ 23)

मस्टर रोल पर बिना नाम और बिना हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान के किए गए भुगतान के विवरण

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	अवधि	भुगतान की तिथि	श्रमिकों की संख्या	भुगतान की गई राशि (₹ में)
1	उचाना	करसिंधु	अंबेडकर चौक सड़क और पीपल के पेड़ के चारों ओर चबूतरा	10 अक्तूबर 2023 से 21 अक्तूबर 2023	22 अक्तूबर 2023	6	42,205
2	जिला परिषद जींद	जिला परिषद जींद	पूनम पत्नी अनिल के घर से पीडब्ल्यूडी रोड तक सड़क का निर्माण	09 मार्च 2021 से 19 मार्च 2021	10 अगस्त 2021	5	31,300
	कुल						**73,505**

परिशिष्ट 2.11

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.14; पृष्ठ 24)

समर्थित बिलों/वाउचरों के बिना किए गए भुगतान

क्र. सं.	जिला का नाम	पंचायत समिति का नाम		कार्यपालक एजेंसी (जैडपी/ पीएस/ जीपी/ अन्य)	फर्म का नाम	वाउचर नंबर/ दिनांक	राशि (₹ में)	कुल (₹ में)
1	हिसार	बरवाला	1	संदलाना, जीपी	माँ शीतला ट्रेडिंग	57/ 08 जून 2021	1,11,300	3,91,075
					श्री श्याम एंटरप्राइजेज	59/ 08 जून 2021	2,79,775	
2	कुरुक्षेत्र	पेहोवा	2	भेरियां, जीपी	मजदूरी भुगतान	131, 132, 134 और 136/ दिनांक का उल्लेख नहीं है।	2,15,751	2,15,751
	कुरुक्षेत्र	पेहोवा	3	दीवाना, जीपी	मस्टर रोल भुगतान	34/20 मई 2021	78,486	6,41,090
	कुरुक्षेत्र	पेहोवा		दीवाना, जीपी	मस्टर रोल भुगतान	35/20 मई 2021	62,133	
	कुरुक्षेत्र	पेहोवा		दीवाना, जीपी	मस्टर रोल भुगतान	46 एवं 47/15 जून 2021	35,397	
	कुरुक्षेत्र	पेहोवा		दीवाना, जीपी	मेसर्स कुलदीप बिल्डिंग मैटेरियल्स पेहोवा	25/20 अप्रैल 2021	34,526	
	कुरुक्षेत्र	पेहोवा		दीवाना, जीपी	मेसर्स कुलदीप बिल्डिंग मैटेरियल्स पेहोवा	26/20 अप्रैल 2021	48,250	
	कुरुक्षेत्र	पेहोवा		दीवाना, जीपी	मेसर्स कुलदीप बिल्डिंग मैटेरियल्स पेहोवा	27/20 अप्रैल 2021	39,412	
	कुरुक्षेत्र	पेहोवा		दीवाना, जीपी	मेसर्स कुलदीप बिल्डिंग मैटेरियल्स पेहोवा	28/20 अप्रैल 2021	40,120	
	कुरुक्षेत्र	पेहोवा		दीवाना, जीपी	मेसर्स कुलदीप बिल्डिंग मैटेरियल्स पेहोवा	29/20 अप्रैल 2021	40,120	
	कुरुक्षेत्र	पेहोवा		दीवाना, जीपी	मेसर्स कुलदीप बिल्डिंग मैटेरियल्स पेहोवा	49/10 सितंबर 2021	30,680	
	कुरुक्षेत्र	पेहोवा		दीवाना, जीपी	मेसर्स कुलदीप बिल्डिंग मैटेरियल्स पेहोवा	50/27 फरवरी 2022	19,014	
	कुरुक्षेत्र	पेहोवा		दीवाना, जीपी	मेसर्स कुलदीप बिल्डिंग मैटेरियल्स पेहोवा	51/27 फरवरी 2022	37,654	
	कुरुक्षेत्र	पेहोवा		दीवाना, जीपी	मेसर्स कुलदीप बिल्डिंग मैटेरियल्स पेहोवा	52/27 फरवरी 2022	10,000	
	कुरुक्षेत्र	पेहोवा		दीवाना, जीपी	मेसर्स कुलदीप बिल्डिंग मैटेरियल्स पेहोवा	53/27 फरवरी 2022	13,419	
	कुरुक्षेत्र	पेहोवा		दीवाना, जीपी	मेसर्स कुलदीप बिल्डिंग मैटेरियल्स पेहोवा	54/27 फरवरी 2022	40,887	
	कुरुक्षेत्र	पेहोवा		दीवाना, जीपी	मेसर्स कुलदीप बिल्डिंग मैटेरियल्स पेहोवा	55/27 फरवरी 2022	630	
	कुरुक्षेत्र	पेहोवा		दीवाना, जीपी	लक्ष्मी भट्ठा कंपनी	56/27 फरवरी 2022	32,277	
	कुरुक्षेत्र	पेहोवा		दीवाना, जीपी	मस्टर रोल भुगतान	57/27 फरवरी 2022	19,098	
	कुरुक्षेत्र	पेहोवा		दीवाना, जीपी	मस्टर रोल भुगतान	102/05 अगस्त 2022	6,300	
	कुरुक्षेत्र	पेहोवा		दीवाना, जीपी	वासु कंस्ट्रक्शन	103/05 अगस्त 2022	49,560	
	कुरुक्षेत्र	पेहोवा		दीवाना, जीपी	लाल डोरा प्रॉपर्टी कार्ड पेमेंट	104/05 अगस्त 2022	3,127	
	कुरुक्षेत्र	शाहबाद	4	बीजरपुर, जीपी	मस्टर रोल भुगतान	07/ 08 दिसंबर 2023	5,355	5,355
	कुरुक्षेत्र	शाहबाद	5	मोहनपुर, जीपी	जय गणपति ट्रेडिंग कंपनी	01/ 01 जुलाई 2021	42,000	42,000
	कुरुक्षेत्र	शाहबाद	6	नलवी, जीपी	श्री बालाजी इंटरप्राइजेज	06/ 15 जून 2021	9,198	34,538
	कुरुक्षेत्र	शाहबाद		नलवी, जीपी	मेसर्स ऋषि मार्कंडेश्वर	07/ 22 जुलाई 2021	14,000	
	कुरुक्षेत्र	शाहबाद		नलवी, जीपी	मेसर्स कुश ट्रेडिंग कंपनी	18/ 26 जनवरी 2022	11,340	

क्र. सं.	जिला का नाम	पंचायत समिति का नाम		कार्यपालक एजेंसी (जैडपी/ पीएस/ जीपी/ अन्य)	फर्म का नाम	वाउचर नंबर/ दिनांक	राशि (₹ में)	कुल (₹ में)
	कुरुक्षेत्र	शाहबाद	7	टिओरा, जीपी	स्वच्छता कार्य के लिए श्रम मस्टर रोल	34/ दिसंबर 2021	23,625	47,625
	कुरुक्षेत्र	शाहबाद		टिओरा, जीपी	मेसर्स ऋषि मार्कंडेश्वर	35/फरवरी 2022	14,000	
	कुरुक्षेत्र	शाहबाद		टिओरा, जीपी	डोंगल भुगतान के लिए	03/ 22 फरवरी 2023	2,000	
	कुरुक्षेत्र	शाहबाद		टिओरा, जीपी	नरेश कुमार सुपुत्र शिवदयाल को।	07/ 21 जुलाई 2023	3,000	
	कुरुक्षेत्र	शाहबाद		टिओरा, जीपी	नरेश कुमार सुपुत्र शिवदयाल को।	08/ 21 जुलाई 2023	5,000	
3	पलवल	हथीन	8	छायंसा, जीपी	लक्ष्मी नारायण कॉन्ट्रैक्टर	उल्लेख नहीं/ 03 अगस्त 2022	7,10,000	14,05,000
		हथीन		छायंसा, जीपी	लक्ष्मी नारायण कॉन्ट्रैक्टर	उल्लेख नहीं/ 10 अगस्त 2022	6,95,000	
		पलवल	9	पलवल, पीएस	राघव स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, रसूलपुर रोड ट्रैक्टर मार्केट के पास, पलवल	03/ 06 अगस्त 2023 फोटोकॉपी पर भुगतान	1,53,947	8,01,853
		पलवल		पलवल, पीएस	मेसर्स रणबीर ठेकेदार एवं भवन निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता, मोहना रोड ग्राम अलावलपुर, पलवल	04/ 06 अगस्त 2023 फोटोकॉपी पर भुगतान	1,25,403	
		पलवल		पलवल, पीएस	मन्नू हार्डवेयर एंड सैनिटरी स्टोर, ग्राम- चांदहट, पलवल ग्राम- मेस्सा	09/ नवंबर 2023 फोटोकॉपी पर भुगतान	98,875	
		पलवल		पलवल, पीएस	मन्नू हार्डवेयर एंड सैनिटरी स्टोर, ग्राम- चांदहट, पलवल ग्राम- मेस्सा	10/ नवंबर 2023	1,00,873	
		पलवल		पलवल, पीएस	मन्नू हार्डवेयर एंड सैनिटरी स्टोर, ग्राम- चांदहट, पलवल ग्राम- चांदहट	11/ नवंबर 2023 फोटोकॉपी पर भुगतान	1,48,290	
		पलवल		पलवल, पीएस	एसपी एंटरप्राइजेज, शिव कॉलोनी स्टेट बैंक के पास, पलवल ग्राम- शेकपुर, भूड़, बहरामपुर	17/ नवंबर 2023 फोटोकॉपी पर भुगतान	1,74,465	
4	यमुना नगर	बिलासपुर	10	नगली 32, जीपी	ओम ट्रेडर्स	90/ 06 नवंबर 2021	5,865	6,52,396
		बिलासपुर		नगली 32, जीपी	गुलजार खान एडवोकेट	91/ 27 अप्रैल 22	11,000	
		बिलासपुर		नगली 32, जीपी	शिव शक्ति इंटरप्राइजेज	94/ 20 जून 22	23,482	
		बिलासपुर		नगली 32, जीपी	साबिर अहमद आपूर्तिकर्ता	100/ ------	1,15,021	
		बिलासपुर		नगली 32, जीपी	खालसा सीमेंट एवं हार्डवेयर स्टोर	101/ ------	32,326	
		बिलासपुर		नगली 32, जीपी	मजदूरी मस्टर रोल	102/ ------	75,746	
		बिलासपुर		नगली 32, जीपी	साबिर अहमद आपूर्तिकर्ता	103/ ------	1,37,700	
		बिलासपुर		नगली 32, जीपी	मेसर्स सोमप्रकाश एंड कंपनी	104/ ------	1,14,352	
		बिलासपुर		नगली 32, जीपी	खालसा सीमेंट एवं हार्डवेयर स्टोर	114/ ------	6,118	
		बिलासपुर		नगली 32, जीपी	महादेव इंटरप्राइजेज	115/ ------	70,331	
		बिलासपुर		नगली 32, जीपी	साबिर अहमद आपूर्तिकर्ता	116/ ------	41,399	
		बिलासपुर		नगली 32, जीपी	शिव शक्ति इंटरप्राइजेज	135/ ------	19,056	
					कुल		**42,36,683**	**42,36,683**

परिशिष्ट 2.12

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.15; पृष्ठ 24)

विभिन्न कार्यों पर एक ही व्यक्ति का एक साथ नियोजन और मस्टर रोल के माध्यम से अनियमित भुगतान

क्र. सं.	पंचायत का नाम	श्रमिक का नाम	कार्य का नाम	अवधि	वाउचर नंबर और दिनांक	मस्टर रोल की कुल राशि	बैंक खाता संख्या/आईएफएससी कोड जिसके माध्यम से श्रमिक को भुगतान किया गया	दिनों की संख्या	प्रतिदिन मजदूरी	भुगतान की गई राशि	भुगतान की गई न्यूनतम दोगुनी राशि (₹ में)
1	जिला परिषद यमुना नगर	करमफूल सुपुत्र श्री जोगिंदर सिंह	मुख्य सड़क से काली राम के घर से हुकम चंद के घर तक फिरनी में टाइलिंग का निर्माण, ग्राम: संधाला, ब्लॉक: रादौर	01 फरवरी 2021 से 28 फरवरी 2021	वाउचर नंबर 12 02 दिसंबर 2021 ₹ 84,512/-	84,512	7977000100008052/ PUNB0797700	21	365	7,665	0
			अनुसूचित जाति चौपाल में टाइलिंग, ग्राम: फरीदपुर, ब्लॉक: सरस्वती नगर	18 फरवरी 2021 से 28 फरवरी 2021	वाउचर नंबर 15 03 दिसंबर 2021 ₹ 22,061/-	22,061		11	446	4,906	4,906
2	जिला परिषद यमुना नगर	रजत कश्यप सुपुत्र श्री बाबू राम	मुख्य सड़क से काली राम के घर से हुकम चंद के घर तक फिरनी में टाइलिंग का निर्माण, ग्राम: संधाला, ब्लॉक: रादौर	01 फरवरी 2021 से 28 फरवरी 2021	वाउचर नंबर 12 02 दिसंबर 2021 ₹ 84,512/-	84,512	50100384710283/ HDFC0000210	21	365	7,665	7,665
			श्मशान में टाइलिंग का निर्माण, ग्राम: बापोली, ब्लॉक: रादौर	01 फरवरी 2021 से 28 फरवरी 2021	वाउचर नंबर 10 30-11-2021 ₹ 90,434/-	90,434		26	365	9,490	0
3	जिला परिषद यमुना नगर	सुनील कुमार सुपुत्र श्री श्यो राम	मुख्य सड़क से काली राम के घर से हुकम चंद के घर तक फिरनी में टाइलिंग का निर्माण, ग्राम: संधाला, ब्लॉक: रादौर	01 फरवरी 2021 से 28 फरवरी 2021	वाउचर नंबर 12 02 दिसंबर 2021 ₹ 84,512/-	84,512	50100103099453/ HDFC0004315	19	446	8,474	0
			अनुसूचित जाति चौपाल में टाइलिंग, ग्राम: फरीदपुर, ब्लॉक: सरस्वती नगर	18 फरवरी 2021 से 28 फरवरी 2021	वाउचर नंबर 15 03 दिसंबर 2021 ₹ 22,061/-	22,061		7	365	2,555	2,555
4	पंचायत समिति पेहोवा	नरेश कुमार सुपुत्र पाला राम	मुख्य सड़क से पीर बाबा तक गली का निर्माण	08 फरवरी 2022 से 28 फरवरी 2022	वाउचर नंबर 1/11 20 अक्तूबर 2022 ₹ 1,11,108/-	1,11,108	हैंड रसीद	19	648	12,312	0
			विशाल सूंडा से गली का निर्माण	14 फरवरी 2022 से 28 फरवरी 2022	वाउचर नंबर 65 06 मार्च 2023 ₹ 61,074/-	61,074	हैंड रसीद	13	331	4,303	4,303
5		रोशन लाल सुपुत्र भोलू राम	मुख्य सड़क से पीर बाबा तक गली का निर्माण	08 फरवरी 2022 से 28 फरवरी 2022	वाउचर नंबर 1/11 20 अक्तूबर 2022 ₹ 1,11,108/-	1,11,108	हैंड रसीद	19	648	12,312	0
			विशाल सूंडा से गली का निर्माण	14 फरवरी 2022 से 28 फरवरी 2022	वाउचर नंबर 65 06 मार्च 2023 ₹ 61,074/-	61,074	हैंड रसीद	13	315	4,095	4,095
			मस्टर रोल की कुल राशि			**7,32,456**		**भुगतान की गई कुल न्यूनतम राशि**			**23,524**

परिशिष्ट 2.13

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.7.1; पृष्ठ 25)

अक्रियाशील रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम (आरएचएस) और सोख्ता गड्ढों का विवरण

क्र.सं.	जिला का नाम	ब्लॉक का नाम	कार्यपालक एजेंसी	संरचना	अक्रियाशील इकाइयां
1.	जींद	उचाना	जीपी दोहाना खेड़ा	आरएचएस	1
2.	जींद	उचाना	जीपी माखंड	आरएचएस	1
3.	यमुना नगर	बिलासपुर	जीपी जुड्डा जतन	आरएचएस	1
4.	जींद	उचाना	जीपी करसिंधु	आरएचएस	1
5.	जींद	उचाना	जीपी छतर	सोख्ता गड्ढे	2
6.	कुरुक्षेत्र	शाहबाद	जीपी टिओरा	सोख्ता गड्ढे	1
7.	पलवल	हथीन	पीएस हथीन	सोख्ता गड्ढे	19
8.	पलवल	पलवल	जीपी चिरवाड़ी	सोख्ता गड्ढे	6
9.	पलवल	पलवल	जीपी रहराना	सोख्ता गड्ढे	9
10.	पलवल	पलवल	जीपी तारका	सोख्ता गड्ढे	7
11.	हिसार	बरवाला	जीपी मतलोडा	सोख्ता गड्ढे	1
	कुल				**49**

परिशिष्ट 2.14

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.7.3; पृष्ठ 26)

बिना शौचालय सुविधा वाली चौपालों का विवरण

क्र.सं.	जिला का नाम	ब्लॉक का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल चौपालें	बिना शौचालय सुविधा वाली चौपालें
1.	हिसार	बरवाला	बधावड़	10	9
2.	हिसार	हिसार-I	दाया	2	2
3.	हिसार	बरवाला	खानपुर	6	2
4.	हिसार	बरवाला	खारक पूनिया	11	5
5.	हिसार	हिसार-I	मंगली सुरतिया	4	4
6.	हिसार	बरवाला	मतलोडा	10	6
7.	हिसार	हिसार-I	मयार	2	2
8.	हिसार	बरवाला	संदलाना	9	8
9.	हिसार	हिसार-II	सरसाना	4	1
10.	हिसार	हिसार-I	तलवंडी राणा	3	3
11.	जींद	नरवाना	भीखेवाला	5	5
12.	जींद	उचाना	छत्तर	10	9
13.	जींद	नरवाना	डबलैन	8	6
14.	जींद	नरवाना	दनौदा कलां	16	11
15.	जींद	नरवाना	ढाकल	5	2
16.	जींद	उचाना	दोहाना खेड़ा	5	5
17.	जींद	जींद	ईक्कास	3	3
18.	जींद	जींद	इंतल कलां	3	3
19.	जींद	उचाना	कुचराना कलां	4	3
20.	जींद	उचाना	माखंड	3	3
21.	जींद	जींद	राढाना	8	6
22.	जींद	नरवाना	राजगढ़ धोबी	2	2
23.	कुरुक्षेत्र	पेहोवा	भेरियां	2	2
24.	कुरुक्षेत्र	शाहबाद	बीजरपुर	2	1
25.	कुरुक्षेत्र	शाहबाद	नलवी	6	2
26.	कुरुक्षेत्र	पेहोवा	रामगढ़ रोड	2	2
27.	कुरुक्षेत्र	शाहबाद	टिओरा	3	1
28.	पलवल	हथीन	छायंसा	2	1
29.	पलवल	पलवल	चिरवाड़ी	2	1
30.	पलवल	पलवल	जोधपुर	7	7
31.	पलवल	पलवल	रहराना	4	2
32.	पलवल	हथीन	रूपराका	5	5
33.	पलवल	पलवल	तारका	10	6
34.	यमुना नगर	जगाधरी	अमादलपुर	4	2
35.	यमुना नगर	जगाधरी	दयाल गढ़	4	3
36.	यमुना नगर	जगाधरी	दुधला	4	1
37.	यमुना नगर	बिलासपुर	नागली-32	4	4
38.	यमुना नगर	बिलासपुर	सुल्तानपुर	3	3
कुल				**197**	**143**

परिशिष्ट 2.15

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.7.4; पृष्ठ 27)

उन ग्राम पंचायतों की सूची जहां कचरा शेड का निर्माण किया गया

क्र. सं.	जिला का नाम	ब्लॉक का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	अभ्युक्तियां
1.	हिसार	बरवाला	जीपी बधावड़	गांव में दो कचरा शेड बनाए गए हैं। एक शेड का उपयोग बच्चों द्वारा जिम के रूप में किया जा रहा है और दूसरा खाली है। यह देखा गया है कि सड़क के किनारे यहां-वहां कचरा बिखरा हुआ है।
2.	हिसार	बरवाला	जीपी खानपुर	कचरा शेड का निर्माण लगभग 8-10 वर्ष पहले किया गया था लेकिन यह उपयोग में नहीं है। सड़क पर यहां-वहां कचरा बिखरा हुआ था।
3.	हिसार	बरवाला	जीपी मतलोडा	सड़क के किनारे यहां-वहां कचरा बिखरा हुआ है। ग्राम पंचायत द्वारा ठोस कचरे के पृथक्करण और सुरक्षित निपटान के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं।
4.	हिसार	हिसार-2	जीपी आर्य नगर	यह देखा गया है कि कचरा शेड पर ताला लगा हुआ था। सड़क के किनारे यहां-वहां कचरा बिखरा हुआ था।
5.	हिसार	हिसार-2	जीपी बालसमंद	सड़क के किनारे यहां-वहां कचरा बिखरा हुआ था और कचरा शेड के आसपास ठोस कचरा पड़ा हुआ है। शेड बिना उपयोग के पड़ा हुआ है।
6.	जींद	जींद	जीपी ईक्कास	कचरा शेड के बाहर प्लास्टिक कचरा डंप किया गया था। कचरे के पृथक्करण की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। सड़क के किनारे वाले क्षेत्र में कचरा बिखरा हुआ है।
7.	जींद	नरवाना	जीपी राजगढ़ धोबी	सड़क पर यहां-वहां कचरा बिखरा हुआ था।
8.	जींद	नरवाना	जीपी डबलैन	कचरा शेड उपयोग में नहीं था।
9.	जींद	उचाना	जीपी करसिंधु	कचरा शेड खराब स्थिति में था और चालू नहीं था। सड़क पर यहां-वहां कचरा बिखरा हुआ था और बरसोला माइनर के किनारे पर कचरा डंप किया गया था।
10.	कुरुक्षेत्र	पेहोवा	जीपी रामगढ़ रोड	ग्राम पंचायत ने अपने कचरा शेड का निर्माण तो कर लिया है लेकिन इसका उपयोग कचरा पृथक्करण के लिए नहीं किया जा रहा है। घरेलू कचरे को विभिन्न स्थानों पर डंप किया गया था।
11.	कुरुक्षेत्र	पेहोवा	जीपी जखवाला	कचरा शेड उपयोग में नहीं था।
12.	यमुना नगर	जगाधरी	जीपी दयालगढ़	ग्रामीणों द्वारा कचरा शेड का उपयोग पशुओं का चारा रखने के लिए किया जा रहा था।
13.	यमुना नगर	जगाधरी	जीपी दुधला	शेड के बाहर यहां-वहां कचरा बिखरा हुआ था। शेड उपयोग में नहीं था।
14.	जींद	जींद	जीपी राढाना	कचरा शेड उपयोग में नहीं था।
15.	जींद	नरवाना	जीपी भीखेवाला	कचरा शेड चालू स्थिति में था।

परिशिष्ट 2.16

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.7.5; पृष्ठ 27)

उन ग्राम पंचायतों की सूची जहां तालाबों में प्लास्टिक का निस्तारण पाया गया

क्र. सं.	जिला का नाम	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	टिप्पणी
1.	हिसार	बरवाला	जीपी बधावड़	थ्री-पॉन्ड सिस्टम में प्लास्टिक कचरा मौजूद है और खरपतवार उग रहे हैं। किसानों द्वारा बिना उपचार के ग्रे वाटर का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा रहा है और बारिश के मौसम के दौरान ओवरफ्लो तालाबों से ग्रे वाटर को लिफ्ट करने और उसे भाखड़ा नहर में डिस्चार्ज करने के लिए एक सिस्टम स्थापित किया गया है।
2.	हिसार	बरवाला	जीपी खानपुर	बिना उपचार के ग्रे वाटर तालाब में छोड़ा जा रहा है और तालाब में प्लास्टिक कचरा मौजूद है।
3.	हिसार	बरवाला	जीपी खारक पूनिया	थ्री-पॉन्ड सिस्टम में ग्रे वाटर छोड़ा जा रहा है। थ्री-पॉन्ड सिस्टम में प्लास्टिक कचरा मौजूद है और खरपतवार उग रहे हैं। किसानों द्वारा बिना उपचार के ग्रे वाटर का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा रहा है और बारिश के मौसम के दौरान ओवरफ्लो तालाबों से ग्रे वाटर को लिफ्ट करने और उसे भाखड़ा नहर में डिस्चार्ज करने के लिए एक सिस्टम स्थापित किया गया है।
4.	हिसार	बरवाला	जीपी मतलोडा	बिना उपचार के ग्रे वाटर तालाब में छोड़ा जा रहा है और तालाब में प्लास्टिक कचरा मौजूद है।
5.	हिसार	बरवाला	जीपी संदलाना	बिना उपचार के ग्रे वाटर तालाब में छोड़ा जा रहा है और तालाब में प्लास्टिक कचरा मौजूद है।
6.	हिसार	हिसार-1	जीपी दाया	तालाब में ग्रे वाटर छोड़ा जा रहा है। तालाब में प्लास्टिक कचरा मौजूद है।
7.	हिसार	हिसार-1	जीपी ढाणी जाटन	तालाब में ग्रे वाटर छोड़ा जा रहा है। तालाब में प्लास्टिक कचरा मौजूद है।
8.	हिसार	हिसार-1	जीपी मंगली सुरतिया	तालाब में ग्रे वाटर छोड़ा जा रहा है। तालाब में प्लास्टिक कचरा मौजूद है।
9.	हिसार	हिसार-1	जीपी तलवंडी राणा	तालाब में ग्रे वाटर छोड़ा जा रहा है। तालाब में प्लास्टिक कचरा मौजूद है।
10.	हिसार	हिसार-2	जीपी बालसमंद	मॉडल तालाब में ग्रे वाटर छोड़ा जा रहा है। मॉडल तालाब में प्लास्टिक कचरा मौजूद है और खरपतवार उग रहे हैं। कंटीले तारों की बाड़ के अंदर मॉडल तालाब के ट्रैक पर ग्रामीणों द्वारा चबूतरे बना लिए गए हैं।
11.	हिसार	हिसार-2	जीपी आर्य नगर	तालाब में ग्रे वाटर छोड़ा जा रहा है। तालाब में प्लास्टिक कचरा मौजूद है और खरपतवार उग रहे हैं।
12.	हिसार	हिसार-2	जीपी पाटन	तालाब में ग्रे वाटर छोड़ा जा रहा है। तालाब में प्लास्टिक कचरा मौजूद है और खरपतवार उग रहे हैं।
13.	हिसार	हिसार-2	जीपी सरसाना	तालाब में ग्रे वाटर छोड़ा जा रहा है। तालाब में प्लास्टिक कचरा मौजूद है।
14.	हिसार	हिसार-2	जीपी टोकस	तालाब में ग्रे वाटर छोड़ा जा रहा है। तालाब में प्लास्टिक कचरा मौजूद है।
15.	जींद	जींद	जीपी ईक्कास	बिना उपचार के ग्रे वाटर तालाब में छोड़ा जा रहा है और तालाब में प्लास्टिक कचरा मौजूद है।
16.	जींद	उचाना	जीपी छत्तर	बिना उपचार के ग्रे वाटर तालाब में छोड़ा जा रहा है और तालाब में प्लास्टिक कचरा मौजूद है।
17.	जींद	उचाना	जीपी दोहाना खेड़ा	बिना उपचार के ग्रे वाटर तालाब में छोड़ा जा रहा है और तालाब में प्लास्टिक कचरा तैर रहा है।
18.	जींद	उचाना	जीपी कुचराना कलां	बिना उपचार के ग्रे वाटर तालाब में छोड़ा जा रहा है और तालाब में प्लास्टिक कचरा मौजूद है।

क्र. सं.	जिला का नाम	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	टिप्पणी
19.	जींद	उचाना	जीपी माखंड	बिना उपचार के ग्रे वाटर तालाब में छोड़ा जा रहा है और तालाब में प्लास्टिक कचरा मौजूद है।
20.	कुरुक्षेत्र	पेहोवा	जीपी भेरियां	तालाब में ग्रे वाटर छोड़ा जा रहा है। तालाब में प्लास्टिक कचरा और खरपतवार उग रहे हैं।
21.	कुरुक्षेत्र	पेहोवा	जीपी दीवाना	तालाब में ग्रे वाटर छोड़ा जा रहा है। तालाब में प्लास्टिक कचरा और खरपतवार उग रहे हैं।
22.	कुरुक्षेत्र	पेहोवा	जीपी जखवाला	घास, कीचड़ का कचरा और प्लास्टिक कचरे जैसा अन्य कूड़ा-कर्कट जमा हो गया था। इसके परिणामस्वरूप, गांव के तालाब ठोस कचरे के डंपिंग ग्राउंड बन गए हैं और इनका उपयोग किसी भी उपयोगी उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा है।
23.	कुरुक्षेत्र	पेहोवा	जीपी मुर्तजापुर	तालाब में ग्रे वाटर छोड़ा जा रहा है। तालाब में प्लास्टिक कचरा और खरपतवार उग रहे हैं।
24.	कुरुक्षेत्र	पेहोवा	जीपी रामगढ़ रोड़	तालाब में ग्रे वाटर छोड़ा जा रहा है। तालाब में प्लास्टिक कचरा और खरपतवार उग रहे हैं।
25.	कुरुक्षेत्र	शाहबाद	जीपी बीजरपुर	तालाब में ग्रे वाटर छोड़ा जा रहा है। तालाब में प्लास्टिक कचरा और खरपतवार उग रहे हैं।
26.	कुरुक्षेत्र	शाहबाद	जीपी मोहनपुर	तालाब में ग्रे वाटर छोड़ा जा रहा है। तालाब में प्लास्टिक कचरा और खरपतवार उग रहे हैं।
27.	कुरुक्षेत्र	शाहबाद	जीपी नलवी	तालाब में ग्रे वाटर छोड़ा जा रहा है। तालाब में प्लास्टिक कचरा और खरपतवार उग रहे हैं।
28.	कुरुक्षेत्र	शाहबाद	जीपी सुधपुर	तालाब में ग्रे वाटर छोड़ा जा रहा है। तालाब में प्लास्टिक कचरा और खरपतवार उग रहे हैं।
29.	कुरुक्षेत्र	शाहबाद	जीपी टिओरा	तालाब में ग्रे वाटर छोड़ा जा रहा है। तालाब में प्लास्टिक कचरा और खरपतवार उग रहे हैं।
30.	पलवल	पलवल	जीपी तारका	बिना उपचार के ग्रे वाटर को तालाबों में छोड़ा जा रहा है। तालाब में प्लास्टिक तैर रहा था।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag/haryana/hi